खण्ड-310, अंक-1
बुधवार, 2 श्रावण, शक संवत् 1896
(24 जुलाई, 1974 ई0)

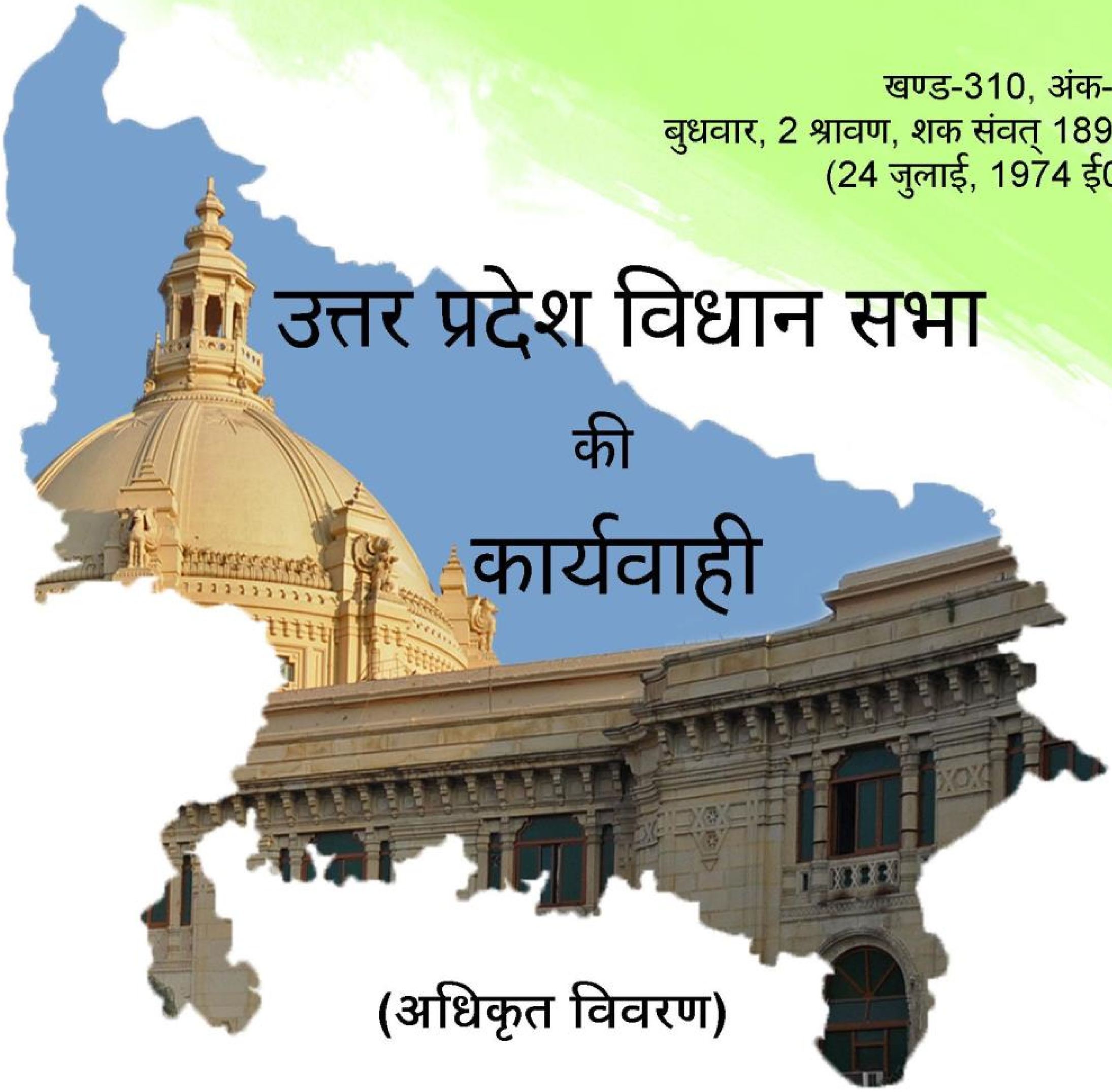

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 310 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

बुधवार, २४ जुलाई, १९७४

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य ..	१-६
प्रश्नोत्तर ..	६-४४
नेता विरोधी दल, चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल से तथा-कथित निष्कासन के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना तथा औचित्य के प्रश्नों की सूचना (जारी) ..	४४-४६
स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ की मांगों के सम्बन्ध में वक्तव्य	४६-४८
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	४८-५१
नेता विरोधी दल, चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांतिदल से तथा-कथित निष्कासन के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना तथा औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं ..	५१-५४
१९७४-७५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ४५—सामुदायिक विकास, अनुदान संख्या ७८-सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ९४—ऋण और अग्रिम सामुदायिक विकास (स्वीकृत) ..	५४-१०५
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं ..	१०६-१०७
आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील में चकबन्दी में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	१०७-११३
[illegible] ..	११४-१२६

बृहस्पतिवार, २५ जुलाई, १९७४

उपस्थित सदस्य ..	१२७-१३१
प्रश्नोत्तर ..	१३२-१७७
प्रधान मंत्री तथा मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	१७७
सिंचाई मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	१७७
विविध विषय ..	१७८-१७९
[illegible]डा जिले में गन्ने की फसल को पाइरिला नामक कीड़े से क्षति के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	१७९-१८०
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	१८०-१८४

विषय		पृष्ठ-संख्या
संवैधानिक औचित्य का प्रश्न उठाने की सूचना	..	१८४–१८५
नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचनाएं	..	१८५–१८७
मन्त्रि परिषद् द्वारा अनुदान स्वीकृत होने के पूर्व ही १५ प्रतिशत की कटौती के आदेश जारी करने के सम्बन्ध में वैधानिक आपत्ति		१८७–१९३
१९७४–७५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या ३८––सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, अनुदान संख्या ७२––सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ४०––अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें, अनुदान संख्या ४२––विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र तथा अनुदान संख्या ७४––विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	..	१९३–२४६
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	..	२४६
नत्थियां	..	२४७–२५९

शुक्रवार, २६ जुलाई, १९७४

उपस्थित सदस्य	..	२६१–२६५
प्रश्नोत्तर	..	२६६–२९३
विधान मण्डल पुस्तकालय अग्नि काण्ड जांच आयोग की रिपोर्ट (सदन के पटल पर रक्खी गयी)	..	२९३
विधान मण्डल पुस्तकालय अग्नि काण्ड जांच आयोग की रिपोर्ट विलम्ब से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	..	२९३–२९४
सार्वजनिक निर्माण मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	..	२९४–२९५
सदन में रामायण के पन्ने फाड़ने के सम्बन्ध में चौधरी रामपाल सिंह यादव के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं		२९५–२९७
पाठ्य पुस्तकों के मूल्यों के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री द्वारा सदन से बाहर दिए गए तथाकथित बयान के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	..	२९७–२९८
सदन में गाली देने तथा चप्पल दिखाने के सम्बन्ध में श्री कुंवर बहादुर मिश्र तथा श्री हरिकेवल के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचना	..	२९८

(विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट)

चौधरी रामपाल सिंह यादव द्वारा रामायण के पन्ने फाड़ने के सम्बन्ध में संवैधानिक तथा औचित्य का प्रश्न	..	२९८–३०१
विधान भवन प्रवेश-पत्र बनवाने के लिए दूसरे सदस्यों के हस्ताक्षर न बनाने की अपील	..	३०१–३०२

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री बलवान सिंह, सदस्य विधान सभा के विधान मण्डल भारतीय क्रांति दल की सदस्यता से निष्कासन की सूचना ..	३०२
भारतीय क्रांति दल के कुछ विधायकों द्वारा चौधरी चरण सिंह को दल का नेता न मानने की सूचना ..	३०२
२१ जून, १९७४ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ९ के सम्बन्ध में श्री बीरेन्द्र वर्मा द्वारा पूछे गए अनुपूरक प्रश्न से उत्तर में वन मंत्री का शोधन वक्तव्य ..	३०३
लखनऊ के समाचार-पत्रों के वितरकों की हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	३०३-३०५
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) विधेयक, १९७४ (पुरःस्थापित किया गया) ..	३०६
उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९७४ (पुरःस्थापित किया गया) ..	३०६
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ..	३०६-३०८
सदन के 'नहीं' कक्ष में झगड़ा व मारपीट होने की सूचना ..	३०८-३१०
मंत्रि परिषद् द्वारा अनुदान स्वीकृत होने से पूर्व ही १५ प्रतिशत की कटौती के आदेश जारी करने के सम्बन्ध में वैधानिक आपत्ति ..	३१०-३११
कार्यवाही से किसी सदस्य की बातों को निकालने के श्री अध्यक्ष के अधिकार के सम्बन्ध में प्रश्न ..	३११-३१३
श्री काशी नाथ मिश्र द्वारा कटौती के प्रस्ताव नियमानुसार न होने के सम्बन्ध में २५ जुलाई, १९७४ को उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	३१३-३१४
१९७४-७५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ५४—ग्राम एवं लघु उद्योग (स्वीकृति) ..	३१४-३२७
अनुदान संख्या ५३—उद्योग, अनुदान संख्या ५५—खानें तथा खनिज अनुदान संख्या ७५—विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ९१—ऋण और अग्रिम उद्योग (स्वीकृत) ..	३२८-३६०
सदन के 'नहीं' कक्ष में घटी मारपीट के सम्बन्ध में संवाददाता समिति द्वारा पारित प्रस्ताव तथा इस विषय पर प्राप्त विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं (विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट) ..	३६१-३६६
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं ..	३६६
[illegible]तौनीबांध (देवरिया) के बिहार-उत्तर प्रदेश सीमा पर कट जाने तथा उसकी मरम्मत न होने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्त-[illegible]न वक्तव्य ..	३६६-३७०
..	३७१-३८९

सोमवार, २९ जुलाई, १९७४

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..	३९१–३९५
प्रश्नोत्तर	..	३९५–४२५
श्री भगवती प्रसाद (फैजाबाद) को हिरासत में ले लिए जाने के सम्बन्ध में सूचना	..	४२५
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्य के लिए समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	..	४२५–४२६
कतिपय समितियों के निर्वाचन के स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	..	४२६
आटा मिलों तथा बेकरी के मजदूरों की समस्या पर विचार की मांग		४२६–४२७
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	..	४२७–४२८
१९७४–७५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या ८—स्टाम्प एवं पंजीकरण, अनुदान संख्या ११—बिक्री-कर, अनुदान संख्या १४—अल्प बचतों की प्रोन्नति तथा अनुदान संख्या २०—कोषागार तथा लेखा प्रशासन (जारी)	..	४२८–४२९
मंत्रि परिषद् द्वारा अनुदान स्वीकृत होने से पूर्व ही १५ प्रतिशत की कटौती के आदेश जारी करने के सम्बन्ध में वैधानिक आपत्ति		४३०–४४९
१९७४–७५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ८—स्टाम्प एवं पंजीकरण, अनुदान संख्या ११—बिक्री-कर, अनुदान संख्या १४—अल्प बचतों की प्रोन्नति तथा अनुदान संख्या २०—कोषागार तथा लेखा प्रशासन (स्वीकृत)	..	४४९–४७६
अनुदान संख्या १—राज्य विधान मण्डल (स्वीकृत)	..	४७६–४७७
अनुदान संख्या ९८—ऋण और अग्रिम वित्त (स्वीकृत)	..	४७७
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७४ (जारी)	..	४७७–४७८
मंत्रि परिषद् द्वारा अनुदान स्वीकृत होने से पूर्व ही १५ प्रतिशत की कटौती के आदेश जारी करने के सम्बन्ध में वैधानिक आपत्ति तथा व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	..	४७८–४८१
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७४ (पारित)	..	४८१–५०३
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	..	५०३
देवरिया जिले के सैकड़ों ग्राम जलमग्न हो जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	..	५०३–५०८
नत्थियां	..	५०९–५१५

मंगलवार, ३० जुलाई, १९७४

उपस्थित सदस्य	..	५१७–५२१
प्रश्नोत्तर	..	५२१–५६६
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, कानपुर का वर्ष १९७२–७३ का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	..	"
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (अष्टम) आदेश, १९७४ (सदन के पटल पर रखा गया)	..	"

पृष्ठ-संख्या

भण्डारागार निगम, लखनऊ का स्थिति पत्रक और ...न का लेखा वर्ष १९७२-७३ (सदन के पटल पर रखा .. ५६७

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम के वर्ष १९६९-७० एवं वर्ष १९७१-७२ की वार्षिक रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी) .. ५६७

उत्तर प्रदेश पूर्वान्चल विकास निगम लि० के वर्ष १९७१-७२ की वार्षिक रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी) .. ५६७

उत्तर प्रदेश बुन्देलखंड विकास निगम लि० के वर्ष १९७०-७१, १९७१-७२ एवं १९७२-७३ के वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखे गए) .. ५६७

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (ऋण लेने की) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७३ (सदन के पटल पर रखी गयी) .. ५६८

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७४ में किए गए शाब्दिक संशोधन (सदन के पटल पर रखा गया) .. ५६८

इन्डियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ में किए गए शाब्दिक संशोधन (सदन के पटल पर रखा गया) .. ५६८

इण्डियन टोल (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ में किये गये शाब्दिक संशोधन (सदन के पटल पर रखा गया) .. ५६८

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७४ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा) .. ५६९

नेता विरोधी दल द्वारा उठाई गई वैधानिक आपत्ति पर मुख्य मन्त्री द्वारा दिए गए उत्तर में तथा कथित गलत बयानी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान के प्रश्न की सूचना .. ५६९-५७३

श्री उपाध्यक्ष के निर्वाचन कार्य-क्रम की सूचना .. ५७३

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. ५७३-५७४

विभिन्न प्रतिवेदनों को सदन के पटल पर रखने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय .. ५७४-५७५

की वर्तमान खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य-(जारी) .. ५७५-५८१

मैनपुरी के ग्राम बदनपुर करखा, थाना शिकोहाबाद में श्री ...ग्राम सिंह पुत्र श्री रामेश्वर दयाल के परिवार के पांच सदस्यों ...हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य .. ५८१

वर्तमान खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य .. ५८१-५८४

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (जारी) ..	५८४-५८७
मदा की कमी से आटा मिल मजदूरों तथा बेकरी कर्मचारियों की समस्या के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	५८७-५८८
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	५८८-५९०
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ (जारी)	५९०-५९२
श्री मोती लाल देहलवी के सदन से निष्कासन की समाप्ति ..	५९२
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ (पारित)	५९२-६२०
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९७४ (पारित)	६२१-६३६
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं ..	६३६
नस्थियां ..	६३७-६५४

बुधवार, ३१ जुलाई, १९७४

उपस्थित सदस्य ..	६५५-६५९
प्रश्नोत्तर ..	६५९-७०८
भूतपूर्व सदस्य श्री गोपाल नारायण सक्सेना (पालन जी) के निधन पर शोकोद्गार ..	७०८-७१०
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७४ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	७१०
श्री जय प्रकाश नारायण के आगमन के संबन्ध में मुख्य मंत्री द्वारा कथित गलत बयानी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	७११-७१३
खाद्य मंत्री के विरुद्ध श्री ओम प्रकाश सिंह द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	७१३-७१४
खाद्य मंत्री के विरुद्ध श्री मधुकर विधे द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	७१४-७१५
कतिपय सदस्यों द्वारा पुनः चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व वाले भारतीय क्रांतिदल में वापस आने के सम्बन्ध में सूचना ..	७१५
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	७१५-७१६
कतिपय समितियों एवं निकायों के निर्वाचन कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना ..	७१६-७१७
जिला मैनपुरी के ग्राम बदनपुर करखा थाना शिकोहाबाद में श्री श्याम सिंह पुत्र श्री रामेश्वर दयाल के परिवार के पांच सदस्यों की हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	७१७-
उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी को केन्द्रीय सरकार द्वारा आवंटित धन तथा प्रशासनिक कार्य हेतु अधिकृत हिन्दी भाषा की तथाकथित अपेक्षा के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	७२१-

विषय	पृष्ठ–संख्या
मुहल्ला अशरफ टोला, संडीला, जिला हरदोई में २२ जुलाई, १९७४ की रात में छः व्यक्तियों की हत्या की घटना के संबंध में वक्तव्य ..	७३०–७३३
उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड में विधान सभा के तीन सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	७३३
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	७३३–७३४
उत्तर प्रदेश मानववादी साहित्य प्रचार तथा प्रसार विधेयक, १९७४ (पुरःस्थापित किया गया) ..	७३४–७३५
उत्तर प्रदेश लैन्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९७४ (पुरःस्थापित किया गया) ..	७३५
'चियार' जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने के संबंध में संकल्प (जारी) ..	७३५–७६७
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें ..	७६७
विश्वविद्यालय प्रशासन में व्याप्त अनियमिततायें एवं भ्रष्टाचार के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	७६७–७७४
नस्थियां ..	७७५–७८९

मंगलवार, ६ अगस्त, १९७४

उपस्थित सदस्य ..	७९१–७९५
प्रश्नोत्तर ..	७९५–८४४
नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, लखनऊ को आर० बी० ओ० ऐक्ट की धारा ८–बी के अन्तर्गत दिये गये कम्पाउन्ड करने के अधिकार के सम्बन्ध में याचिका ..	८४४
दैनिक समाचार–पत्र "नेशनल हेराल्ड" के सम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	८४४–८४६
श्री मोती लाल देहलवी द्वारा "स्वतंत्र भारत" समाचार–पत्र के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को सूचना ..	८४६–८४७
कार्यवाही से किसी सदस्य की बातों के निकालने के अध्यक्ष के अधिकार के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	८४७–८५१
ग्राम कालाकांकर थाना संग्रामगढ़, जिला प्रतापगढ़ में श्री जगन्नाथ एवं श्री तेजी लाल की गोली मारकर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	८५१–८५५
लोक लेखा समिति तथा प्रतिनिहित विधायन समिति में सहयुक्त सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु विधान परिषद् के सदस्यों को सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	८५५–८५६
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें ..	८५६–८६१
उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था जांच समिति १९७२–७३ के प्रतिवेदन पर चर्चा (जारी) ..	८६१–८६९

विषय	पृष्ठ-संख्या
जल प्रदूषण को रोकने के लिए संसद को विधि निर्मित करने का अधिकार देने के संबंध में संकल्प (स्वीकृत) ..	८९९–९००
उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था जांच समिति १९७२–७४ के प्रतिवेदन पर चर्चा ..	९००
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों के कल्याण हेतु दोनों सदनों की संयुक्त समिति गठित करने के संबंध में संकल्प (स्वीकृत) ..	९००–९०२
प्रदेश की खाद्य स्थिति पर खाद्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर चर्चा ..	९०२–९२५
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	९२५–९२७
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भीमवार, जिला आजमगढ़ के अध्यापकों तथा कर्मचारियों को दो वर्ष से वेतन न मिलन के संबंध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा ..	९२७–९३०
नस्थियां ..	९३१–९४६

बुधवार, ७ अगस्त, १९७४

उपस्थित सदस्य ..	९४७–९५१
प्रश्नोत्तर (जारी) ..	९५१–९६६
उपाध्यक्ष के निर्वाचन के स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	९६६
प्रश्नोत्तर ..	९६७–९९२
श्री सत्यपाल मलिक द्वारा श्री कन्हैया लाल मिश्र के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	९९२–९९९
सदन के स्थगन तथा परिवर्तित कार्य-क्रम के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	१०००–१००२
कतिपय समितियों तथा निकायों के निर्वाचन के परिवर्तित कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सूचना ..	१००२
खाद्य विभाग के जिला पूर्ति कार्यालयों से १,५०० कर्मचारियों के बिना पूर्व सूचना के निष्कासन के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	१००३–१००६
बाढ़ की स्थिति पर तुरन्त चर्चा की मांग ..	१००७–१००९
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें ..	१००९–१०१०
बाजरा काण्ड के सम्बन्ध में सी० आई० डी० की रिपोर्ट के बारे में जानकारी की मांग ..	१०१०–१०१३
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियम तथा संशोधन) विधेयक, १९७४ को विचारार्थ लेने के सम्बन्ध में वैधानिक आपत्तियां ..	१०१३–१०१८
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमनन तथा संशोधन) विधेयक, १९७४ (विचारोपरान्त पारित) ..	१०१८–१०५६
उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) विधेयक, १९७४ (विचारोपरान्त पारित) ..	१०५६–१०६७

विषय	पृष्ठ-संख्या
भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ (विचारोपरान्त पारित)	.. १०६७–१०७४
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	.. १०७४
नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य तथा नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा का स्थगन	.. १०७५
गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, गोंडा तथा बहराइच जिलों में बाढ़ की स्थिति पर वक्तव्य	.. १०७५–११०३
नस्थियां	.. ११०४–१११

मंगलवार, १३ अगस्त, १९७४

उपस्थित सदस्य	.. १११३–१११७
उपाध्यक्ष के निर्वाचन के परिवर्तित कार्यक्रम का प्रस्ताव (स्वीकृत)	१११७–१११८
प्रश्नोत्तर	.. १११८–११६५
भूतपूर्व सदस्य श्री रघुरन तेज बहादुर सिंह के निधन पर शोकोद्गार	११६५–११६६
भारत परिसीमन आयोग की अधिसूचना (सदन के पटल पर रखी गई)	.. ११६६
उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (तृतीय संशोधन) नियमावली, १९७३ (सदन के पटल पर रखी गई)	.. ११६६
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७४ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	.. ११६६–११६७
विधान सभा सदस्य श्री सुखराज सिंह तथा श्री बाबू लाल वर्मा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना	.. ११६७–११६८
जिला अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक बहराइच के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	.. ११६८–११६९
जीप फ्लैशलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इलाहाबाद के पक्ष में पट्टे दिये जाने से सम्बन्धित श्री सत्य प्रकाश मालवीय द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	.. ११६९–११७०
श्री हाकिम राय, थाना अध्यक्ष, थाना बहजोई, जिला मुरादाबाद के विरुद्ध श्री मनीराम द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	.. ११७०
कतिपय समितियों तथा निकायों के परिवर्तित निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना	.. ११७०–११७१
चौधरी राम पाल सिंह यादव द्वारा रामायण के पन्ने फाड़ने के सम्बन्ध में संवैधानिक तथा औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	.. ११७१–११७८
कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, में पुलिस तथा पी० ए० सी० की तैनाती के सम्बन्ध में वक्तव्य	.. ११७८–११८१
गढ़वाल विश्वविद्यालय की सिनेट के ४ सदस्यों के निर्वाचन के प्रस्ताव	११८१

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (जारी) ..	११८१-११९४
आजमगढ़ जिले के चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी ..	११९४-११९५
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें ..	११९५-११९९
उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक १९७४ (पारित)	११९९-१२१५
उत्तर प्रदेश विधियों का (समाप्ति सम्बन्धी) विधेयक, १९७३ (पारित)	१२१५-१२१९
उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य संचालन) विधेयक, १९७४ (पारित) ..	१२१९-१२३५
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें ..	१२३५-१२३६
राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा चन्दौसी-मुरादाबाद थर्मल पावर हाउस के विक्रय में तथा कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	१२३६-१२४१
जिला बरेली के थाना फतेहगंज पूर्वी में थानाध्यक्ष द्वारा गरीबों की मदद में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा ..	१२४१-१२४५
नस्थियां ..	१२४६-१२६७

बुधवार, १४ अगस्त, १९७४

उपस्थित सदस्य ..	१२६९-१२७३
प्रश्नोत्तर ..	१२७३-१३१७
मुख्य सचिव के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	१३१८-१३२०
जनता के साप्ताहिक के सम्पादक, श्री जियाउल्लाह सिद्दीकी तथा पत्रलेखक, श्री गोपाल प्रसाद गुप्त ग्राम प्रधान के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	१३२०-१३२२
हिन्दी साप्ताहिक 'ग्रामवासी' के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	१३२२
मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	१३२२-१३२४
इटावा जिले के विरोधी दल के सदस्य की कथित हत्या के षड़यंत्र के सम्बन्ध में श्री मुन्शी लाल द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण ..	१३२४-१३२७
विविध विषय ..	१३२७
कानपुर नगर महापालिका के अन्तर्गत हजारों एकड़ भूमि अधिकारियों, व्यापारियों तथा संसद सदस्यों द्वारा हड़प लिये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	१३२८-१३३३

विषय	पृष्ठ-संख्या
ग्राम चोरहा, थाना राजापुर, जिला बांदा के सवर्णों द्वारा कथित अत्याचार तथा अमानुषिक व्यवहार किये जाने के परिणाम-स्वरूप हरिजनों के गांव छोड़ कर भाग जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	१३३३–१३३६
उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधि-नियमन) विधेयक, १९७४ (पुरःस्थापित किया गया) ..	१३३६
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक १९७४ (पुरःस्थापित किया गया)	१३३६–१३३७
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (जारी) ..	१३३७–१३३९
खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ ..	१३३९
कार्य स्थगन प्रस्ताओं की सूचनायें (प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय) (जारी) ..	१३३९–१३४१
खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ (पारित) ..	१३४१–१३५९
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७४ (पारित) ..	१३५९–१३८७
नियम ५१ की सूचनायें ..	१३८७–१३८९
ग्राम ऐली परसौली, थाना तरबगंज, जिला गोंडा में उच्च जातियों द्वारा हरिजनों तथा भूमिहीनों को पट्टे पर दी गयी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	१३८९–१३९१
नस्थियां ..	१३९२–१४०२

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद

शासन

राज्यपाल

श्री अकबर अली खां

मंत्रि-परिषद्

1—श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा	..	सदस्य, विधान सभा, मुख्य मंत्री एवं मंत्री सामान्य प्रशासन, गृह, विद्युत्, शिक्षा (उच्च शिक्षा), नियोजन, युवक कल्याण, राजनैतिक पेंशन, सूचना, हरिजन एवं समाज कल्याण, राष्ट्रीय एकीकरण, कारागार, आबकारी, स्वायत्त शासन, आवास, कृषि, पशुपालन, सहकारिता एवं पर्वतीय विकास ।
२—श्री अजीत प्रताप सिंह	..	सदस्य, विधान सभा, वन तथा पर्यटन मंत्री ।
३—श्री इस्तफा हुसेन	..	सदस्य, विधान परिषद, लघु उद्योग मंत्री ।
४—श्री नारायण दत्त तिवारी	..	सदस्य, विधान सभा, वित्त, भारी उद्योग गन्ना विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री ।
५—श्री बलदेव सिंह आर्य	..	सदस्य, विधान सभा, सामुदायिक विकास तथा पंचायती-राज मंत्री ।
६—श्री महमूद अली खां	..	सदस्य, विधान सभा, सिंचाई एवं लघु सिंचाई मंत्री ।
७—श्री राज मंगल पाण्डेय	.	सदस्य, विधान सभा, श्रम, न्याय, परिवहन एवं राज्य सम्पत्ति मंत्री ।
८—डा० रामजी लाल सहायक	..	सदस्य, विधान सभा, प्राविधिक, माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा मंत्री ।
९—डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी	..	सदस्य, विधान सभा, खाद्य तथा रसद मंत्री ।
१०—श्री लक्ष्मी शंकर यादव	..	सदस्य, विधान सभा, सार्वजनिक निर्माण मंत्री ।
११—श्री सालिगराम जायसवाल	..	सदस्य विधान परिषद, स्वास्थ्य मंत्री ।
१२—श्री स्वामी प्रसाद सिंह	..	सदस्य, विधान सभा, राजस्व, सहायता एवं पुनर्वास तथा विधायिका मंत्री ।

विख्यात सभा

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन क्षेत्र

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
१	अंगने लाल, श्री	..	बेनीगंज, अ० जा०
२	अजीजुर्रहमान, श्री	..	बिजनौर
३	अजीत प्रताप सिंह, श्री	..	प्रतापगढ़
४	अजीत सिंह सेठी, श्री	..	मेरठ कैंट
५	अठईराम, श्री	..	हंडिया
६	अनवार जमील, श्री उर्फ जिमी मियां (एडवोकेट)	..	कमालगंज
७	अनवार मोहम्मद, श्री	..	कायमगंज
८	अनिरुद्ध राय, श्री	..	गौरीबाजार
९	अबुल फैज शाह, श्री	..	गाजीपुर
१०	अब्दुल बाकी, श्री	..	मऊ
११	अब्दुल रऊफ लारी, श्री	..	लक्ष्मीपुर
१२	अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री	..	आर्यनगर
१३	अब्दुल वहीद, श्री	..	सिवहारा
१४	अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री	..	इसौली
१५	अम्मार रिजवी, श्री	..	महमूदाबाद
१६	अवधेश कुमार, श्री	..	गोरखपुर
१७	अवैद्य नाथ, श्री	..	मानीराम
१८	आगा जैदी, श्री	..	मछलीशहर
१९	आनन्द स्वरूप, श्री	..	उरई
२०	आबिद अली, श्री	..	लहरपुर
२१	आशाराम यादव, श्री	..	मिर्जापुर
२२	इन्द्रपाल सिंह, श्री	..	अलीगढ़
२३	इन्द्रमोहनी, श्रीमती	..	कुन्दरकी
२४	इन्द्रलाल, श्री	..	खटीमा, अ० जा०
२५	ईश्वरी सिंह, श्री	..	खुर्जा
२६	उदय नाथ, श्री	..	चिरईगांव

अध्यक्ष विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
२७	उमानाथ, श्री	..	बयालसी
२८	ऊदल, श्री	..	कोलअसला
२९	एदल सिंह, श्री	..	जेवर, अ० जा०
३०	ए० सी० प्राईस, श्री	..	निर्देशित आंग्ल भारतीय
३१	ओम प्रकाश, श्री	..	मुरादाबाद देहात
३२	ओम प्रकाश गुप्त, श्री	..	निगोही
३३	ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री	..	जौनपुर
३४	ओम प्रकाश सिंह, श्री	..	चुनार
३५	कन्हैया लाल सोनकर, श्री	..	चायल, अ० जा०
३६	कबूल सिंह, श्री	..	जानसठ, अ० जा०
३७	कमला प्रसाद वर्मा, श्री	..	भिनगा
३८	कल्याण सिंह, श्री	..	अतरौली
३९	काजी जलील अब्बासी, श्री	..	डुमरियागंज
४०	का० मु० मुहीउद्दीन, श्री	..	लकसर
४१	कालीचरण यादव, श्री	..	सादात
४२	काशीनाथ मिश्र, श्री	..	बलिया
४३	काशीनाथ मेहरोत्रा, श्री	..	संडीला
४४	काशी प्रसाद, श्री	..	चरखारी, अ० जा०
४५	किशन लाल, श्री	..	बरखेड़ा, अ० जा०
४६	कुवर बहादुर मिश्र, श्री	..	मौदहा
४७	कुलतार सिंह, सरदार	..	सहारनपुर
४८	कृपा शंकर आर्य, श्री	..	सेवरही
४९	कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)	..	खागा
५०	कृष्णवीर सिंह, श्री	..	बिलौली
५१	कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर	..	आगरा छावनी
५२	कृष्णा राय, श्री	..	देवरिया
५३	केदार नाथ अग्रवाल, श्री	..	बहराइच

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
५४	केशरी लाल, श्री	..	भोगिनीपुर, अ० जा०
५५	कैलाशपति, श्रीमती	..	मलिहाबाद, अ० जा०
५६	कैलाश सिंह, श्री	..	कोपाचिट
५७	क्रान्तिकुमार, श्री	..	अफजलगढ़
५८	खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री	..	अनूपशहर
५९	खूब चन्द, श्री	..	सोरों
६०	खयाली राम शास्त्री, श्री	..	मुरादाबाद पश्चिम
६१	गंगादेवी विशारद, श्रीमती	..	नगीना
६२	गंगा प्रसाद, श्री	..	एटा
६३	गंगा सिंह, श्री	..	निघौली कलां
६४	गंगा स्वरूप, श्री	..	बेहटा
६५	गंजी प्रसाद श्री	..	मुगलसराय
६६	गजाधर प्रसाद आर्य, श्री	..	चर्दा, अ० आ०
६७	गजेन्द्र सिंह, श्री	..	विधूना
६८	गया प्रसाद मेहरोत्रा श्री,	..	बिसवां
६९	गया सिंह, श्री	.	पुरवा
७०	गायत्री देवी, श्रीमती	..	गोकुल
७१	गिरिजा किशोर मिश्र, श्री	..	दबरौल
७२	गिरिजा शंकर पाठक, श्री	..	औराई
७३	गुलाब चन्द, श्री	..	हाटा, अ० जा०
७४	गुलाब सिंह, श्री	..	चकरौता, अ० जा०
७५	गुलाब सेहरा, श्री	..	आगरा पश्चिमी, अ० जा०
७६	गोपाल दत्त ओझा, श्री	..	डीडीहाट
७७	गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री	..	इटावा
७८	गोरे लाल शाक्य, श्री	..	भरथना
७९	गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री	..	देवप्रयाग
८०	गोविन्द सिंह नेगी, श्री	..	टिहरी

विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
८१	गोविन्द सिंह मेहरा, श्री ..	रानीखेत
८२	गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट) ..	अजीतमल, अ० जा०
८३	चन्दन सिंह, कामरेड ..	ललितपुर
८४	चन्दन सिंह, श्री ..	मांट
८५	चन्द्र नारायण सिंह, श्री ..	महोबा
८६	चन्द्रपाल सिंह, श्री ..	कांठ
८७	चन्द्र भान आजाद, श्री ..	नरैनी
८८	चन्द्र शेखर, श्री ..	घुरियापार
८९	चन्द्र शेखर सिंह, श्री ..	मेंहदावल
९०	चम्पावती, श्रीमती ..	फतेहपुर
९१	चरण सिंह, चौधरी ..	छपरौली
९२	चरण सिंह, डाक्टर ..	लखनऊ कैन्टूनमेंट
९३	चरन दास सेठ, श्री ..	वाराणसी दक्षिण
९४	चितरंजन स्वरूप, श्री ..	मुजफ्फरनगर
९५	चेतराम गंगवार, श्री ..	नवाबगंज
९६	छज्जू सिंह, श्री ..	खेकड़ा
९७	छेदालाल चौधरी, श्री ..	पैला, अ० जा०
९८	जंग बहादुर, श्री ..	अतरौलिया
९९	जंगबहादुर, श्री ..	मेंहनगर, अ० जा०
१००	जंगबहादुर वर्मा, श्री ..	हैदरगढ़
१०१	जंगबहादुर सिंह पटेल, श्री ..	सोरांव
१०२	जगदीश अवस्थी, श्री ..	चौबेपुर
१०३	जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री ..	भोगांव
१०४	जगदीश मिश्र, श्री ..	नत्थूपुर
१०५	जगन्नाथ चौधरी, श्री ..	चिलकहर
१०६	जगन्नाथ सिंह परमार, श्री ..	तिन्दवारी
१०७	जटाधर बाजपेयी, श्री ..	जमरलगंज
१०८	जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री ..	श्याम देउरवा
१०९	जफर आजमी, श्री ..	घोसी
११०	जमुना प्रसाद बोस, श्री ..	बांदा
१११	जयनारायण सिंह, श्री ..	हसवा
११२	जयराज गौतम, श्री ..	कादीपुर, अ० जा०
११३	जागेश्वर, श्री ..	किशुनपुर, अ० जा०
११४	जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर ..	सुल्तानपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
११५	जुगल किशोर यादव, श्री	..	गुन्नौर
११६	ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री	..	गोवर्धन, अ० जा०
११७	झामलाल अहिरवार, श्री	..	कन्नौज, अ० जा०
११८	झिलमिट, श्री	..	जरवनिआं
११९	तीरथराम कोहली, श्री	..	इलाहाबाद पश्चिमी
१२०	तेज नरायन त्रिवेदी, श्री	..	लखीमपुर
१२१	तेजबहादुर, श्री	..	बीसलपुर
१२२	तेज सिंह, श्री	..	दादरी
१२३	त्रिवेणी सहाय, श्री	..	गोंडा
१२४	त्रिवेनी, श्री	..	लालगंज
१२५	दधीच सिंह, श्री	..	शाहाबाद
१२६	दयाकिशन पान्डेय, श्री	..	पिथौरागढ़
१२७	दयाराम भास्कर, श्री	..	सराय मीर, अ० जा०
१२८	दलसिंह यादव, श्री	..	जलालाबाद
१२९	दशरथ सिंह, श्री	..	सादुल्लानगर
१३०	दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री	..	मुरादाबाद
१३१	दीनानाथ सेवक, श्री	..	सलोन, अ० जा०
१३२	दीप नारायण पान्डेय, श्री	..	कटरा बाजार
१३३	दीप नारायण वन महन्थ, श्री	..	मुजेहना
१३४	दुर्योधन, श्री	..	महराजगंज, अ० जा०
१३५	दुलारा देवी, श्रीमती	..	इकौना, अ० जा०
१३६	देव कुमार यादव, श्री	..	बबेरू
१३७	देव बहादुर सिंह, श्री	..	हल्द्वानी
१३८	देवी सिंह, श्री	..	चन्दौसी, अ० जा०
१३९	धरम राम, श्री	..	जमानिआं
१४०	धर्मचन्द्र मिश्र, श्री	..	मिल्कीपुर
१४१	धर्मपाल सिंह, श्री	..	सासनी, अ० जा०
१४२	धर्मपाल सिंह, डाक्टर	..	उमर्दा
१४३	धर्मवीर, श्री	..	मंझनपुर, अ० जा०
१४४	धर्मवीर सिंह, श्री	..	चान्दपुर
१४५	धर्मवीर सिंह, श्री	..	बरनावा
१४६	धर्म सिंह, श्री	..	शिकारपुर, अ० जा०
१४७	धीरेन्द्र सहाय, श्री	..	पीलीभीत
१४८	ध्रुव नारायण सिंह, श्री	..	कौड़ी राम

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
१४९	नजीर अहमद, श्री	..	सरधना
१५०	नजु राम, श्री	..	बरसठी
१५१	नत्थू सिंह यादव, श्री	..	करहल
१५२	नन्द राम, श्री	..	चरथावल अ० जा०
१५३	नन्हे लाल, श्री	..	फतेहपुर, अ० जा०
१५४	नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री	..	बद्री केदार
१५५	नाथूराम, श्री	..	जलेसर, अ० जा०
१५६	नारायणदत्त तिवारी, श्री	..	काशीपुर
१५७	नारायणदास, श्री	..	मोहनलालगंज
१५८	नारायण सिंह, श्री	..	मोरना
१५९	नारायण हरी शर्मा, श्री	..	हाथरस
१६०	नियाज हसन खां, श्री	..	कुडां
१६१	निर्भय नारायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)	..	सिकन्दरपुर
१६२	निसार अहमद अंसारी, श्री	..	टांडा
१६३	पुरुषोत्तम कौशिक, श्री	..	पडरौना
१६४	पुरुषोत्तम दास, चौधरी	..	छानवे, अ० जा०
१६५	पुरुषोत्तम लाल बुधवार, श्री (उर्फ राजा जी)	..	बदायूं
१६६	पूरन चन्द, श्री	..	कोयल, अ० जा०
१६७	पूरन लाल, श्री	..	बावन, अ० जा०
१६८	प्यारे लाल, श्री	..	खैर
१६९	प्यारे लाल, श्री	..	गाजियाबाद
१७०	प्यारे लाल वर्मा, श्री	..	सकीट
१७१	प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर	..	आगरा पूर्व
१७२	प्रताप नारायण, श्री	..	हमीरपुर
१७३	प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री	..	पट्टी
१७४	प्रभाकर सिंह, बाबू	..	रामपुर खास
१७५	प्रभु दयाल, श्री	..	शोहरतगढ़
१७६	प्रभु नारायण, श्री	..	संडपुर
१७७	प्रिय दर्शी जेटली, श्री	..	अकबरपुर
१७८	प्रेम दत्त, श्री	..	जहानाबाद
१७९	प्रेम सुन्दर नारायण सिंह, श्री	..	खरखौदा
१८०	फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री	..	नानपारा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
१८१	फरजन्द अली बेग, श्री	..	सिकन्दराराऊ
१८२	फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री	..	मुंडेराबाजार, अ० जा०
१८३	बंशीधर, श्री	..	शाहाबाद, अ० जा०
१८४	बच्चा पाठक, श्री	..	बांसडीह
१८५	बनवारी राम यादव, श्री	..	द्वाबा
१८६	बलदेव सिंह आर्य, श्री	..	उत्तरकाशी
१८७	बलबीर सिंह यादव, श्री	..	जसराना
१८८	बलवान सिंह, श्री	..	सखनखेड़ा
१८९	बल्देव, श्री	..	गंगापुर
१९०	बांके लाल, श्री	..	रामकोला
१९१	बाबाम सिंह, श्री	..	बरेली कैंट
१९२	बाबूलाल तिवारी, श्री	..	झांसी
१९३	बाबूलाल वर्मा, श्री	..	कैसरगंज
१९४	बाबू सिंह यादव, श्री	..	गंगोरी
१९५	बालकृष्ण सनवाल, श्री	..	नैनीताल
१९६	बृजपाल सिंह यादव, श्री	..	उसहेत
१९७	बेचन राम, श्री	..	चकिया, अ० जा०
१९८	बेनी प्रसाद वर्मा, श्री	..	दरियाबाद
१९९	बेनी बाई, श्रीमती	..	मऊरानीपुर, अ० जा०
२००	बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री	..	सिराथू
२०१	बैजनाथ यादव, श्री	..	घानापुर
२०२	भगवत दयाल, श्री	..	बबीना, अ० जा०
२०३	भगवती चरण निर्मोही, श्री	..	पौड़ी
२०४	भगवती प्रसाद, श्री	..	जलालपुर
२०५	भगवती सिंह विशारद, श्री	..	भगवन्तनगर
२०६	भगौती प्रसाद, श्री	..	रामनगर
२०७	भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री	..	कटेहरी
२०८	भाभी, श्री	..	मुबारकपुर
२०९	भारत सिंह, श्री	..	लैन्सडौन
२१०	भारत सिंह चौहान, श्री	..	औरइया
२११	भीखालाल, श्री	..	हसनगंज अ० जा०
२१२	भीषम, श्री	..	हैंसर बाजार, अ० जा०
२१३	भूप सिंह केन, श्री	..	हापुड़, अ० जा०
२१४	भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	..	चिल्लूपार

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
२१५	भोला दत्त सकलानी, श्री	..	देहरादून
२१६	मंगरे सिंह, श्री	..	तुलसीपुर
२१७	मंजूर अहमद, श्री	..	गढ़मुक्तेश्वर
२१८	मधुकर दिघे, श्री	..	पिपराइच
२१९	मनीराम, श्री	..	गंगेश्वरी, अ० जा०
२२०	मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)	..	रामपुर
२२१	मन्ना लाल, श्री	..	मोहम्मदी, अ० जा०
२२२	मन्नी लाल, श्री	..	अहिरौरी, अ० जा०
२२३	मन्नू लाल द्विवेदी, श्री	..	डलमऊ
२२४	मलखान सिंह, डाक्टर	..	कोंच, अ० जा०
२२५	मलखान सिंह सैनी, श्री	..	थानाभवन
२२६	मलिक मुहम्मद जमीर अहमद खां, श्री	..	पटियाली
२२७	महाबीर प्रसाद, श्री	..	बांसगांव, अ० जा०
२२८	महाबीर सिंह, श्री	..	देवबन्द
२२९	महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा	..	बाह
२३०	महेन्द्र सिंह, श्री	..	हसनपुर
२३१	महेश सिंह, श्री	..	पिहानी
२३२	माखन लाल मिश्र, श्री	..	हैदराबाद
२३३	माता प्रसाद, श्री	..	शाहगंज, अ० जा०
२३४	माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री	..	बांसी
२३५	मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री	..	कासगंज
२३६	मानबहादुर सिंह, श्री	..	बलरामपुर
२३७	मिश्रयार खां, श्री	..	काबर
२३८	मुन्शी लाल, श्री	..	किशनी, अ० जा०
२३९	मुमताज मोहम्मद खां, श्री	..	स्याना
२४०	मुलतान सिंह यादव, चौधरी	..	दयालबाग
२४१	मुलायम सिंह यादव, श्री	..	जसवन्तनगर
२४२	मुहम्मद असरार अहमद, श्री	..	बिनावर
२४३	मुहम्मद मसूद खां, श्री	..	निजामाबाद
२४४	मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी,	..	वाराणसी उत्तर
२४५	मूलचन्द राजपूत, श्री	..	कांधला
२४६	मेघनाथ सिंह शिशोदिया, श्री	..	मोदीनगर

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
२४७	मोतीलाल देहलवी, श्री	..	बिल्हौर, अ० जा०
२४८	मोहनलाल कपूर, श्री	..	मेरठ
२४९	मोहन सिंह, श्री	..	तिलोई
२५०	मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री	..	फिरोजाबाद
२५१	मोहम्मद असलम, श्री	..	मुजफ्फरनगर
२५२	मोहम्मद महमूद अली खां, श्री	..	सरसावा
२५३	मोहम्मद रफी खां, श्री	..	शाहजहांपुर
२५४	मोहम्मद शकील अहमद, श्री	..	लखनऊ पश्चिम
२५५	मोहम्मद हयात, श्री	..	अमरोहा
२५६	मोहसिना किदवई, श्रीमती	..	मसौली
२५७	यशपाल सिंह, श्री	..	नकुड़
२५८	यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)	..	सिसवां
२५९	रघुनाथ, श्री	..	रसड़ा, अ० आ०
२६०	रघुनाथ सिंह, श्री	..	महरौनी
२६१	रघुबीर, श्री	..	जहूराबाद
२६२	रघुबीर सिंह, श्री	..	धिरोर
२६३	रघुराज सिंह, श्री	..	करनैलगंज
२६४	रघुराज सिंह, श्री	..	भाटपार रानी
२६५	रणंजय सिंह, राजा	..	अमेठी
२६६	रणजीत सिंह, 'जूदेव', श्री	..	गरौठा
२६७	रणधीर सिंह, श्री	..	राजपुर
२६८	रफीउल्ला, श्री	..	सीयर
२६९	रमाकान्त द्विवेदी, श्री	..	बिन्दकी
२७०	रमा पन्त, कुमारी	..	अल्मोड़ा
२७१	रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री	..	लखनऊ मध्य
२७२	राघवेन्द्र सिंह, श्री	..	बांगरमऊ
२७३	राजकिशोर तिवारी, श्री	..	मड़ियाहूं
२७४	राजपति देवी, श्रीमती	..	गौरीगंज
२७५	राजपाल, श्री	..	मुरादनगर
२७६	राजबहादुर, श्री	..	रारी
२७७	राजबहादुर चन्द, श्री	..	खेरहा
२७८	राज ब्रजराज सिंह, श्री	..	श्रीनगर
२७९	राज मंगल पाण्डेय, श्री	..	कसया
२८०	राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री	..	हरिद्वार

विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
२८१	राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर	..	इलाहाबाद उत्तरी
२८२	राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री	..	रुद्रपुर
२८३	राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	..	उतरौला
२८४	राजेन्द्र प्रसाद दोनेरिया, श्री	..	फतेहाबाद
२८५	राजेन्द्र शाह, श्री	..	माधोगढ़
२८६	राजेन्द्र सिंह, श्री	..	इगलास
२८७	राजेन्द्र सिंह यादव, श्री	..	मोहम्मदाबाद
२८८	राधाचरण सिंह, ठाकुर	..	छाता
२८९	राम अधार, श्री	..	गोपालपुर
२९०	राम औतार सिंह भदौरिया, श्री	..	सरसौल
२९१	रामगरीब, कैप्टेन	..	मनकापुर, अ० जा०
२९२	रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री	..	नवाबगंज
२९३	राम चरन शाह, श्री	..	निधासन
२९४	राम जनम राय, श्री	..	मोहम्मदाबाद
२९५	रामजी लाल केन, श्री	..	टुण्डला
२९६	रामजीलाल सहायक, श्री	..	सिबाल खास, अ० जा०
२९७	रामजी सिंह, श्री	..	दिलदार नगर
२९८	राम दयाल सिंह, श्री	..	किठौर
२९९	रामदुलारे, श्री	..	बछरांवा, अ० जा०
३००	राम देव, श्री	..	मेजा, अ० जा०
३०१	राम देव यादव, श्री	..	सतांव
३०२	रामनाथ, बाबा	..	मैनपुरी
३०३	राम नारायण पाठक, श्री	..	कल्याणपुर
३०४	राम निहोर, श्री	..	भदोही, अ० जा०
३०५	रामपति, श्री	..	डिकसिर, अ० जा०
३०६	रामपाल त्रिवेदी, श्री	..	महोना
३०७	रामपाल सिंह, श्री	..	ठाकुर द्वारा
३०८	रामपाल सिंह यादव, चौधरी	..	डेरापुर
३०९	रामपूजन पटेल, श्री	..	नवाबगंज
३१०	राम प्यारे तिवारी, श्री	..	चन्दौली
३११	राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	..	छिबरामऊ
३१२	राम प्रकाश यादव, श्री	..	सादाबाद

बिहार विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
३१३	राम बचन, श्री	..	फूलपुर
३१४	राम बाबू, श्री	..	मथुरा
३१५	राममूर्ति, श्री	..	बहेड़ी
३१६	राम रतन सिंह, श्री	..	मिसरिख
३१७	रामरति बिन्द एडवोकेट, श्री	..	ज्ञानपुर
३१८	रामरती देवी, श्रीमती	..	जहांगीरगंज, अ० जा०
३१९	राम रेखा यादव, श्री	..	नौगढ़
३२०	राम लखन, श्री	..	लखना, अ० जा०
३२१	रामलखन, श्री	..	कप्तानगंज
३२२	रामलाल राही, श्री	..	हरगांव, अ० जा०
३२३	रामशिरोमणि दुबे, श्री	..	गड़वारा
३२४	राम सजीवन, श्री	..	करवी
३२५	राम समझावन, श्री	..	केराकत, अ० जा०
३२६	राम समुझ तिवारी, श्री	..	रामनगर
३२७	राम सुन्दर पान्डेय, श्री	..	सगड़ी
३२८	राम सेवक धोबी, श्री	..	जगदीशपुर, अ० जा०
३२९	राम सेवक यादव, श्री	..	रुदौली
३३०	राम स्वरूप भारतीय, श्री	..	बिहार, अ० जा०
३३१	राम हर्ष चौधरी, श्री	..	फखरपुर
३३२	रामायण राय, श्री	..	फाजिल नगर
३३३	रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	..	सन्हा
३३४	राव मुश्ताक, श्री	..	रुड़की
३३५	रुद्र प्रसाद, श्री	..	मझवा
३३६	रूप राम, श्री	..	पवायां, अ० जा०
३३७	रेवती रमण सिंह, श्री (उप नाम मणि जी)	..	करछना
३३८	रेवती शरण मौर्य, श्री	..	हस्तिनापुर, अ० जा०
३३९	लक्ष्मण सिंह, श्री	..	खतौली
३४०	लक्ष्मी नारायन पान्डे, श्री	..	फरेंदा
३४१	लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री	..	मानिकपुर, अ० जा०
३४२	लक्ष्मी शंकर यादव, श्री	..	खुटहन
३४३	लटूरी सिंह, श्री	..	अलीगंज
३४४	लालन शर्मा, श्री	..	मल्लावां
३४५	लालू राम, श्री	..	खलीलाबाद, अ० जा०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
३४६	लोकपति, श्री	..	राजगढ़
३४७	बिक्रम सिंह, श्री	..	अगौता
३४८	विजय कुमार, श्री	..	सरोजनीनगर
३४९	विजय पाल सिंह, श्री	..	गैसड़ी
३५०	विद्याधर, श्री	..	झूंसी
३५१	विमल प्रसाद तिवारी, श्री	..	फर्रुखाबाद
३५२	विश्राम, श्री	..	आजमगढ़
३५३	वीर बहादुर सिंह, श्री	..	पनियरा
३५४	वीर सिंह सेंगर, श्री	..	कालपी
३५५	वीरेन्द्र कुमार, चौधरी	..	मछरेहटा, अ० जा०
३५६	वीरेन्द्र वर्मा, श्री	..	बधरा
३५७	वीरेन्द्र स्वरूप, श्री	..	शिकोहाबाद
३५८	वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री	..	सिकन्दराबाद
३५९	वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री	..	अयोध्या
३६०	शकुन्तला देवी, श्रीमती	..	हरोड़ा, अ० जा०
३६१	शतरुद्र प्रकाश, श्री	..	वाराणसी कैन्ट
३६२	शफीकुर्रहमान बर्क, श्री	..	सम्भल
३६३	शान्ति देवी यादव, श्रीमती	..	सहसवान
३६४	शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री	..	मसूरी
३६५	शारदा प्रसाद रावत, श्री	..	सहजनवां
३६६	शारदा भक्त सिंह, श्री	..	बिलग्राम
३६७	शिव कुमार पान्डेय, श्री	..	जैसिंहपुर
३६८	शिव कुमारी दुबे, श्रीमती	..	बीगापुर
३६९	शिव कैलाश, श्री	..	सिद्धौर, अ० जा०
३७०	शिव चरन लाल, श्री	..	एतमादपुर, अ० जा०
३७१	शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर	..	घाटमपुर
३७२	शिवपाल सिंह, श्री	..	उन्नाव
३७३	शिवप्रसाद, श्री	..	मोहम्मदाबाद गोहना, अ० जा०
३७४	शिव प्रसाद गुप्त, श्री	..	खेरागढ़
३७५	शिव लाल, श्री	..	सीसामऊ, अ० जा०
३७६	शिव शंकर सिंह, श्री	..	सरेनी
३७७	शिव सम्पत्ति राम, श्री	..	दुद्धी, अ० जा०
३७८	शिवानन्द नौटियाल, श्री	..	कर्णप्रयाग

विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
३७९	श्याम किशोर, डाक्टर	सीतापुर
३८०	श्याम बिहारी सिंह, श्री	आंवला
३८१	श्याम मिश्रा, श्री	कैन्टूनमेंट
३८२	श्याम लाल रावत, श्री	सिधौली, अ० जा०
३८३	श्यामा देवी, श्रीमती	बस्ती
३८४	श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)	नौरंगिया, अ० जा०
३८५	श्रीपाल सिंह, कुंवर	चांदा
३८६	श्रीशचन्द, श्री	हरदोई
३८७	सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री	हड़हा
३८८	सत्तार अहमद, श्री	धामपुर
३८९	सत्यपाल मलिक, श्री	बागपत
३९०	सत्यपाल सिंह यादव, श्री	तिलहर
३९१	सत्य प्रकाश, श्री	बरेली सिटी
३९२	सत्य प्रकाश मालवीय, श्री	इलाहाबाद दक्षिणी
३९३	सत्यवीर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
३९४	सन्त सिंह यूसुफ, श्री	गोविन्द नगर
३९५	सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती	दातागंज
३९६	सरस्वती टम्टा, श्रीमती	बागेश्वर, अ० जा०
३९७	सरस्वती प्रताप सिंह, श्री	धौरहरा
३९८	सलाहउद्दीन उसमानी, श्री (उर्फ नव्वन)	फतेहपुर
३९९	सीताराम निषाद, श्री	बीकापुर
४००	सुक्खन सिंह, श्री	नजीबाबाद, अ० जा०
४०१	सुखदराज सिंह, श्री	महसों
४०२	सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
४०३	सुनीता चौहान, श्रीमती	रायबरेली
४०४	सुन्दर लाल कुरील, श्री	सफीपुर, अ० जा०
४०५	सुरेन्द्र प्रताप नरायन, श्री	हरैया
४०६	सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	बरहज
४०७	सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	बरौली
४०८	सुल्तान सिंह यादव, श्री	बहजोई
४०९	सूबेदार प्रसाद, श्री	राबर्ट्सगंज, अ० जा०

विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
४१०	सैयदमुर्तजाअली खां, नवाब	..	स्वार टाण्डा
४११	सोहन लाल, श्री	..	बिल्सी, अ० जा०
४१२	सोहन लाल बुसिया, श्री	..	नगर पूर्व, अ० जा०
४१३	सोहन लाल राठ, श्री	..	बिलासपुर
४१४	स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	..	लखनऊ पूर्व
४१५	स्वामी प्रसाद सिंह, श्री	..	राठ
४१६	हरप्रताप सिंह, श्री	..	प्रतापपुर
४१७	हरिकेवल, श्री	..	सलेमपुर
४१८	हरिराम, श्री	..	मागल, अ० जा०
४१९	हरीश कुमार गंगवार, श्री	..	भोजीपुरा
४२०	हरीश चन्द्र खन्डेलवाल, श्री	..	पूरनपुर
४२१	हिम्मत सिंह, श्री	..	डिबाई
४२२	हुक्म सिंह, श्री	..	कैराना
४२३	हुबराज, श्री	..	सोहावल, अ० जा०
४२४	हेमराज, श्री	..	फरीदपुर, अ० जा०
४२५	हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री	..	बारा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री वासुदेव सिंह, एम० ए०

उपाध्यक्ष (रिक्त)

सचिव विधान सभा

श्री सत्य प्रिय सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक २ श्रावण, शक संवत् १८९६
२४ जुलाई, सन् १९७४ ई० ।

[विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।]

उपस्थित सदस्य

(३८८)

अंगने लाल, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अनवार जमील, श्री उर्फ जिमी मियां (एडवोकेट)
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री

कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी, श्रीमती (विशारद)
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह, श्री (जिला टिहरी-गढ़वाल)
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप; श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डा०
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायन बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री

धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजुराम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसा अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री (जिला देवरिया)
पुरुषोत्तम, श्री (जिला मिर्जापुर)
पुरुषोत्तम लाल बधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नरायण सिंह, श्री
फजलुर्रहमान अंसारी, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह यादव, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूलाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपालसिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री

मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपालसिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शीलाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद, खां
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह शीशोदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पंत, कुमारी
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राज बहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पान्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दोनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण, श्री
राम अधार, श्री
राम गरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल सेन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री

राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरति बिन्दु एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
बीर बहादुर सिंह, श्री
बीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान वर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती

सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल लाठ, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल घुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खन्डेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज सिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २४ जुलाई १९७४

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री अयोध्या प्रसाद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जालौन के विरुद्ध शिकायत

**१—डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखंड डिवीजन के ऐसे बेसिक शिक्षा अधिकारी (जिला) कौन-कौन हैं जिनका स्थानान्तरण जून अथवा जुलाई, १९७४ में किया गया था बाद में स्थगित कर दिया गया ? स्थानान्तरण करने का कारण क्या है तथा स्थगित क्यों किया गया ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

केवल एक श्री अयोध्या प्रसाद जालौन के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का स्थानान्तरण शिकायतों के कारण पहले मथुरा किया गया था परन्तु बाद में इस विचार से कि उनकी सेवा निवृत्ति में ४ माह मात्र ही शेष हैं निरस्त किया गया। परन्तु पुनर्विचार पर उन्हे पास में ही झांसी जिले में स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

डाक्टर मलखान सिंह—

मैं आपके माध्यम से मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो अनेकों शिकायतें हैं, वे क्या हैं और जो उनका स्थानान्तरण किया गया है ; तो क्या वह जालौन से रिलीव कर दिये गये हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, १२ शिकायतें हैं । आज्ञा हो तो पढ़ दें ।

श्री अध्यक्ष—

संक्षेप में बता दें ।

श्री रामजी लाल सहायक—

शिकायतें यह हैं—उनका व्यवहार अभद्र है । मान्यता देने में वह रिश्वत लेते हैं । उनके दौरे में स्कूलों की तरफ से खाने-पीने में बड़ा खर्च होता है । अध्यापक, उनके भ्रष्टाचार के कारण आतंकित हैं । जिला परिषद् सलाहकार समिति में सम्मिलित नहीं होते और प्राइमरी स्कूलों के भवनों के निर्माण के लिये रुचि नहीं लेते । परीक्षकों की नियुक्तियों में अनियमिततायें हैं । शराब भी पीते हैं । धन लेते हैं । शिक्षा प्रदर्शनी के लिये स्कूलों से धन लिया । प्रौढ़ शिक्षा अनुदान में फर्जी वाउचर है, आदि-आदि ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिल गोंडा)—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि १२ शिकायतों में से कोई शिकायत शिक्षा निदेशक को भी भेजी गई थी और यदि दी गई थी तो उसके सम्बन्ध में क्या जांच हुई ?

श्री राम जी लाल सहायक—

मान्यवर, इन सभी शिकायतों की जांच हो रही है । रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, शिक्षा निदेशक महोदय को भी वहां का एक प्रतिनिधि मन्डल मिलने आया था और उसने शिकायतें की थीं । सवाल किया गया तो आपने कह दिया कि चूंकि वह मुक्त हो गये हैं इसलिये कुछ कहा नही जा सकता । अब आप बता रहे हैं कि १२ शिकायतें हैं । मेरा चार्ज है कि निदेशक महोदय को शिकायतें दी गई थीं समाचार पत्रों में भी शिकायतें छपी हैं तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, मैंने कहा जांच की जा रही है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन शिकायतों की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई जा रही है ? यह शिकायतें कब प्राप्त हुई थीं ? और दूसरा प्रश्न जो शेष रह गया है वह यह है कि क्या वह रिलीव हो गये हैं या नहीं ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, शिकायतों की तारीख तो मेरे पास नहीं है । जिला विद्यालय निरीक्षक जांच कर रहे हैं । मेरी सूचना है कि वह रिलीव हो गये हैं ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब इतने आरोप लगाये गये हैं तो इसका केवल ट्रान्सफर हल नहीं होता । उनको तो मुअत्तल करके क्या जांच करायेंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, कार्यवाही के पश्चात् जब रिपोर्ट आ जायगी तब जो उचित होगा, किया जायगा।

डाक्टर मलखान सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब मैंने एक प्रश्न और किया था तब माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ १२ शिकायती पत्र प्राप्त हुये हैं और आज प्रश्न २४ के उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि बेसिक शिक्षा निदेशक सेवानिवृत्त हो चुके हैं इसलिये सूचना नहीं है.....

श्री अध्यक्ष—

यही सवाल तो श्री त्रिवेणी सहाय जीने पूछा था अब अगर उसमें कोई वैषम्य है तो उपचार आपके हाथ में है।

डाक्टर मलखान सिंह—

क्या बेसिक शिक्षा अधिकारी, जालौन का स्थानान्तरण इससे पहले मथुरा के लिये किया गया था और बाद में झांसी किन कारणों से कर दिया गया ?

श्री राम जी लाल सहायक—

उनका स्थानान्तरण मथुरा किया गया था लेकिन बाद में यह सोचा गया कि उनके रिटायरमेन्ट में ४–५ महीने रह गये हैं इसलिये उसे रोक दिया गया।

उन्नाव के बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों को देय नया वेतन

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

*२२—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर उन्नाव जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन कार्य करने वाले अध्यापकों को नये वेतन-मान नहीं दिये जा रहे हैं जिसके फलस्वरूप अध्यापकों ने संघ के मंत्री द्वारा यह सूचना दी है कि यदि ३१ जुलाई तक उनके नये वेतन न दिये गये तो वह पहली अगस्त से बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्नाव के कार्यालय के समक्ष क्रमिक अनशन प्रारम्भ कर देंगे ? यदि हां, तो अध्यापकों को बढ़ा हुआ वेतन देने और बकाया भुगतान करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी नहीं।

बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन उन्नाव जनपद के अध्यापकों का वेतन नये-वेतन मानों में निर्धारित किये जाने के पश्चात् शीघ्र ही नये वेतनमान में वेतन तथा बकाया का भुगतान कर दिया जायेगा। आशा है जून, १९७४ का अध्यापकों का नये वेतनमानों में वेतन ३१ जुलाई, १९७४ के पूर्व ही दे दिया जायेगा।

श्री भीखालाल—

क्या शिक्षा मंत्री जी बतलायेंगे कि अध्यापकों के नये वेतनमान निश्चित करने में इतना विलम्ब क्यों किया गया ? और, क्या यह सही है कि इस प्रश्न को करने के बाद और अध्यापकों द्वारा अनशन की नोटिस देने पर वेतन फिक्स करने की बात की गयी है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

यह कार्य बहुत दिनों से चल रहा है लेकिन यह प्रक्रिया ऐसी है कि इसमें टाइम लगता ही है और ५, ६ महीने लग जाते हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या बेसिक शिक्षा अधिकारी को भुगतान करने के लिये रुपया दे दिया गया है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां। इसकी व्यवस्था कर दी गयी है।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी (जिला उन्नाव)—

मंत्री जी ने उत्तर दिया कि जुलाई के अन्त तक वेतन दिया जायगा तो शासन के आदेश इस सम्बन्ध में वेतन कब तक देने के लिये है ?

श्री अध्यक्ष—

३१ जुलाई बतला दिया है।

श्री भीखालाल—

जून का वेतन अब तक नहीं दिया गया है तभी माननीय मंत्री बतला रहे हैं कि ३१ जुलाई तक। मैं जानना चाहता हूं कि अध्यापकों के वेतन मान फिक्स करने के लिये शासन के क्या आदेश हैं, किस तारीख तक वेतन मिल जाना चाहिये और जून का वेतन अब तक क्यों नहीं दिया गया ?

श्री रामजी लाल सहायक—

इस समय वेतन निर्धारण का कार्य चल रहा है। यह अलग प्रश्न है कि वेतन जो रुक गया वह कब दिया जायगा। वेतन निर्धारण में जो बकाया है उसके लिये बतला दिया गया कि यह जुलाई में दे दिया जायगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

प्रकाशकों एवं पुस्तक विक्रेताओं द्वारा अधिक मूल्य पर पुस्तकों का विक्रय

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती), श्री तीरथराम कोहली (जिला इलाहाबाद) तथा श्री राम चरन शाह (जिला लखीमपुर खीरी)—

*१—क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है कि आज कल निजी प्रकाशकों एवं पुस्तक विक्रेताओं द्वारा बड़े पैमाने पर छात्रों एवं अभिभावकों को गुमराह कर अपने द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को राजकीय प्रकाशित पुस्तकों के स्थान पर जबरदस्ती भारी मूल्य पर बेचा जा रहा है ? यदि हां, तो इसकी रोक-थाम के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी नहीं। शासन को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

संबंधित अधिकारियों को पहले से ही निदेश दिये जा चुके हैं कि विद्यालयों में ऐसे किसी प्रकाशन का प्रयोग न हो जो राजकीय प्रकाशन न हो अथवा विभाग द्वारा स्वीकृत या अनुमोदित न हो ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मुझे मालूम नहीं कि आपने पुस्तक विक्रेताओं के पास आदेश भेज दिये हैं या नहीं, लेकिन हो यह रहा है कि जब कोई पुस्तक खरीदने जाता है जो कि आपका प्रकाशन है तो पुस्तक विक्रेता खरीददार से कहता है कि पाठ्य-पुस्तक के साथ इसको भी लो ।

उसकी कीमत अगर डेढ़ रुपया होगी तो वे चार रुपया ले लेंगे और उसके साथ जबर्दस्ती एक दूसरी पुस्तक लाद देंगे । तो इसको रोकने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, इसमें हमारे जिलाधीश, जिला पूर्ति अधिकारी, परगना अधिकारी, विकास खण्ड अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यह आदेश दे दिया गया है कि वे इस बात को ध्यान रखें कि पाठ्य-पुस्तक बिक्रेता किसी तरह की धांधली न कर पायें और इनके पास जो स्टाक है उसकी चेकिंग करें । उसकी एक लिस्ट बनाकर पुस्तकों पर जो मूल्य हैं उसे दुकानों पर टांग दें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मेरा आग्रह यह है कि सूची तो वे टांग देंगे और कहेंगे कि निर्धारित मूल्य पर बेच रहे हैं लेकिन इसकी गरन्टी क्या होगी कि वे जबर्दस्ती विद्यार्थियों को दूसरी पुस्तक नहीं लादेंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, इस प्रकार की सूचना अभी मिल रही है । माननीय त्रिपाठी जी हमें लिखकर दे दें तो मैं इन्क्वायरी करा कर व्यवस्था करा लूंगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार ने पहले यह निर्णय लिया था कि जो राजकीय प्रकाशन हैं वे केवल सरकारी एजेन्सियों द्वारा ही या विद्यालयों के अध्यापकों के द्वारा ही बिकवाये जायेंगे? तो क्या सरकार ने प्राइवेट विक्रेताओं से यह प्रकाशन न बेचे जाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, इसके लिये व्यवस्था कर दी गई है और जो विभाग के अधिकारी हैं उनके मार्फत ही बिकवाया जा रहा है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो शिक्षण संस्थायें हैं इन्टरमीडियेट और हायर सेकेन्डरी स्कूल, उनसे क्या सूची मांग ली गई है कि कितने विद्यार्थियों को पुस्तकों की आवश्यकता है और अब तक कितनी राजकीय प्रकाशित पुस्तकें उन्हें दी गई हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां, ऐसी सूची मांग ली गई है।

श्री रामचरन शाह—

मान्यवर, जो डी० आई० आर० पुस्तक विक्रेताओं पर लगाया गया था उस पर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है और आपको अधिकार नहीं रह गया है।

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार की यह निश्चित पालिसी रही है कि जो पुराने प्रकाशन हैं और जिनके पास वे हैं, उनको जब्त करके सरकार उन्हें पुराने मूल्य पर ही बेचेगी। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने डी० आई० आर० के अन्तर्गत ऐसे प्रकाशनों को जब्त किया है और पुराने रेट पर बेचने की व्यवस्था की है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

उनसे लिस्ट ले ली गई है और उनसे कहा गया है कि वे उसके अनुसार ही बेंचे।

*२—श्री पुरुषोत्तम कौशिक तथा श्री शिव कैलाश—

(४थे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

सर्वोदय जूनियर हाई स्कूल, हरदोई के छात्रों को शिक्षा शुल्क का वापस न किया जाना

*३—श्री शारदा भक्त सिंह (जिला हरदोई)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद में बाढ़ग्रस्त विकास खंड हरपालपुर के जूनियर हाई स्कूलों का माह अक्तूबर सन् १९७३ से मार्च सन् १९७४ तक के शिक्षा शुल्क को शासनादेश के अनुसार वापस किये जाने हेतु बेसिक शिक्षा कार्यालय से आवश्यक धन प्रधानाचार्यों को प्राप्त होने पर भी सम्बन्धित विद्यार्थियों को उक्त ६ माह का शुल्क पूरा वापस नहीं किया गया ? यदि हां, तो कितने रुपये का गबन इस प्रकार किया गया है, दोषी कौन-कौन हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां। केवल सर्वोदय जूनियर हाई स्कूल, हरपालपुर के संबंधित छात्रों में शुल्क का वितरण संस्थाधिकारियों द्वारा नहीं किया गया। १,२४२ रु० का।

जांच की जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री शारदा भक्त सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जांच इसी सत्र के पूर्व समाप्त हो जायेगी और वे यहीं पर सूचना दे सकेंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, माननीय सदस्य की सूचना के लिये कह देना चाहता हूं कि यह जांच समाप्त हो गई है और उस विद्यालय को यह नोटिस दे दिया गया है कि या तो आप एक सप्ताह के भीतर

रुपया वापस कर दें अन्यथा उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और जो अनुदान उस स्कूल को दिया जाता था वह बन्द कर दिया जायेगा।

श्री शारदा भक्त सिंह—

क्या मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानते हुये इस बात की जांच करायेंगे कि अन्य ६ जूनियर हाई स्कूलों में जहां पर कि पैसा वितरित नहीं हुआ है, उसमें प्राध्यापक लोग घर पर जाकर विद्यार्थियों के अभिभावकों से पैसा वसूल कर रहे हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, जहां-जहां यह हो रहा है, उसके बारे में यदि वह कृपया लिखकर दे दें तो जांच ही नहीं की जायगी बल्कि उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस प्रश्न की परिधि से बाहर मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि जो प्रदेश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के हाईस्कूल एवम् एन्टरमीडिएट कालेजों में छात्रों से मार्कशीट देते समय हस्ताक्षर कर लिए जाते हैं कि वह मार्कशीट ले जाएं, किन्तु वह वास्तव में वह कागज है जो बाढग्रस्त क्षेत्रों में ६ महीने की फीस वापसी हो रही है, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करा लेंगे। यह सब गोरखपुर में हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

यह दूसरा सवाल है। मंत्री जी देना चाहें तो जवाब दे दें।

श्री रामजी लाल सहायक—

यह तो पूरे सूबे का प्रश्न है यह लिखकर देंगे तो इसकी जांच करा लूंगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

उन्नाव के जूनियर हाई स्कूलों के प्रधान अध्यापकों का चुनाव

*१—श्री भीखा लाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले में जूनियर हाई स्कूलों के प्रधान अध्यापकों का चुनाव कब से नहीं किया गया है, जिले में इनकी कोई ग्रेडेड लिस्ट है अथवा नहीं, कितने स्थायी प्रधान अध्यापक पूरे जिले में कार्य कर रहे हैं और कितने ऐसे अस्थायी प्रधान अध्यापक हैं जिनको इस पद पर ग्रेड दिया जा रहा है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

वर्ष १९५५ से चुनाव नहीं किया गया है। अध्यापकों की ग्रेडेड लिस्ट है।

१७ स्थाई प्रधान अध्यापक कार्य कर रहे हैं।

४३ अस्थाई प्रधान अध्यापक स्थानापन्न रूप से कार्यरत हैं व इन्हें प्रधान अध्यापकों के पद का वेतन-क्रम दिया जा रहा है।

श्री भीखालाल—

उन्नाव जिले में जूनियर हाई स्कूलों की संख्या लगभग १२० है, किन्तु आपने ब्योरा दिया है केवल ६० का, तो मैं जानना चाहता हूं कि बाकी जो ६० हैं, उसमें क्या व्यवस्था है ? उसमें अस्थायी, स्थायी प्रधानाध्यापक हैं या नहीं ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जूनियर हाईस्कूल ९९ हैं। इनमें ३९ में कार्यकारी प्रधान शिक्षक हैं।

श्री भीखालाल—

क्या सरकार यह बताएगी कि मेरे प्रश्न करने के बाद उन्नाव जिले में इन प्रधान अध्यापकों के चुनाव की कार्यवाही शुरू की गई है और मुझे पता चला है कि उसमें यह प्रतिबन्ध रखा गया है कि ३५ साल की आयु के ऊपर के अध्यापक नहीं लिए जाएंगे, जबकि १९५५ से कोई चुनाव नहीं हुआ है, तो इस तरह २० वर्ष उनको हो गये हैं और ग्रेडेशन लिस्ट भी ३५ से ऊपर हो गये हैं। इस प्रकार इस भांति का प्रतिबन्ध रखना बहुत से अध्यापकों के साथ अन्याय होगा, तो क्या सरकार यह प्रतिबन्ध हटाने की कृपा करेगी ?

श्री रामजी लाल सहायक—

ऐसा कोई प्रतिबन्ध मेरी जानकारी में नहीं है। है तो लिखकर दे दीजिए, मैं देखवा लूंगा। यों इस वक्त स्थिति यह है कि अध्यापक न्यायालय में चले गये हैं। एक बार फैसला हो चुका था, अबकी उच्च न्यायालय में चले गये हैं। इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भीमवर (आजमगढ़) के अध्यापकों का बकाया वेतन

*२—श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भीमवर, जिला आजमढ़ के अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों का वेतन दो वर्ष से बकाया पड़ा हुआ है ? यदि हां तो इसका भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां। आगामी कुछ माह के भीतर इनके वेतन भुगतान करा देने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री रामसुन्दर पान्डेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक दो साल के अन्दर वेतन भुगतान न होने के कारण क्या हैं और इस विद्यालय को वार्षिक अनुदान कितना मिलता है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, यह जूनियर हाई स्कूल स्तर तक अनुदानित है। हाई स्कूल के लिये इसको कोई अनुदान नहीं मिलता है। जो इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिये जिला विद्यालय निरीक्षक ने कुछ पुवर ब्वाय फंड तथा रिएम्वर्समेंट फंड था उसको मिलाकर भुगतान किया। आगे जैसे-जैसे इसकी आय बढ़ेगी, इसकी शुल्क आय शामिल खाते में लें तो इसकी व्यवस्था हो सकती है।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

उत्तर नहीं मिला। इसको वार्षिक अनुदान सरकार से कितना मिलता है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या यह सही है कि इसको जूनियर स्तर का वार्षिक अनुदान मिलता है और बेसिक शिक्षा अधिकारी का कर्त्तव्य है कि हर महीने में इस का वितरण होता है या नहीं, इसको देखें, न देने का कारण यह है, पिछले वर्षों के अन्दर जो वहां के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, लोग उस रुपये का भुगतान अपने पेट में कर गये हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मैंने निवेदन किया कि इस स्कूल को जूनियर स्तर तक के लिये अनुदान मिलता है। जिस अधिकारी ने कोताही की है उसकी जांच कराऊंगा और उसके बाद उसका इंतजाम करेंगे।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने मासों में वह बकाया वेतन भुगतान हो जायगा ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मैं समझता हूं चार-पांच महीने लग जायेंगे।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दो वर्ष तक जूनियर हाईस्कूल के अध्यापकों को तनख्वाह नहीं मिली जब सरकार पैसा देती रही तो अधिकारी ने क्यों भुगतान नहीं कराया ?

श्री रामजी लाल सहायक—

दो साल तक वेतन नहीं मिला यह बात नहीं है। वेतन मिला लेकिन कुछ बकाया रहा, और भी कर्मचारी उसमें शामिल हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद् का प्रादेशिक जिला व ग्राम स्तर पर गठन की मांग

*३—श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं), श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद) तथा श्री धर्म वीर (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० की राज्य, जिला एवं ग्राम स्तर की परिषदों का गठन हो गया है या नहीं ? यदि नही, तो क्यों?

श्री रामजी लाल सहायक—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

मुझे यह कहना है कि जो प्रान्तीय स्तर की कमेटी है, वह गठित हो गयी है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

राज्य, जिला और ग्राम स्तर, तीनों का प्रश्न है।

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, प्रादेशिक स्तर का जो बोर्ड बना है वह भी पूर्णतया गठित नहीं है क्योंकि नियमों के अनुसार उसमें जिला परिषद् से आने हैं, जिला परिषद् गठित नहीं हुई है। ग्राम तो ६५ हजार के करीब हैं। ग्राम समितियों द्वारा तो अभी नहीं बनी हैं। अभी आगे बनायी जायेंगी।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

जब जिला परिषद् से शिक्षा विभाग को निकाल दिया तो प्रान्तीय स्तर पर या जिला स्तर पर जो बोर्ड बनने थे, क्या जिला स्तर की अभी तक नहीं बनीं, सूबे स्तर की भी नहीं बनी, ग्रामीणों को छोड़ दीजिये और क्यों नहीं बनी उसमें क्या दिक्कत है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि प्रदेशीय स्तर का बोर्ड बना लेकिन अभी तक वह पूर्णतया गठित नहीं है। कुछ ही व्यक्तियों का है, पूरा नहीं है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

यह तो बता दें कि किस कारण से नहीं बनीं, सरकार ने क्या कदम उठाया जब कि डेढ़ वर्ष हो गये, या यह बता दें कि बनना ही नहीं है और यह बता दें कि कौन देखभाल कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

आखिरी अंश है कि कौन कार्यभार देख रहा है इसका उत्तर दे सकते हैं माननीय शिक्षा मंत्री ? कौन उनकी जगह पर कार्य कर रहा है, कैसे चला रहे हैं उसको ?

श्री रामजी लाल सहायक—

बेसिक शिक्षा निदेशक इसके अध्यक्ष थे, और दो-तीन इसके सदस्य थे जो उस स्तर में आते थे, उनकी राय से काम चल रहा था वह रिटायर हो गये हैं। अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं उनके चार्ज में यह है। वह देख रहे हैं इसको।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिला स्तर और ग्राम स्तर परिषदों का गठन इसलिये नहीं हो रहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद् को भंग करके माध्यमिक शिक्षा परिषद् में मिलाने का इरादा हो रहा है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

अभी ऐसी बात नहीं है। यह मामला विचाराधीन है।

जिला आजमगढ़ में घाघरा नदी से कटाव

*४—श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम परसिया जैराम गिरि, मूसाडीही और मोलनापुर ग्रामों की खेती की भूमि को

चालू वर्ष में घाघरा नदी ने कितना–कितना काटा है (एकड़ों में) ? तथा हाहानाला बन्ध पर कटाव का खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो कटाव रोकने हेतु कौन-कौन प्रयास किया गया है ?

सिंचाई मंत्री (श्री मोहम्मद महमूद अली खां)––

घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत इस वर्ष १–१०–७३ से ३०–६–७४ की अवधि में परसिया (जैराम गिरि) की १७ एकड़ भूमि घाघरा नदी में कट गई है। ग्राम मूसाडीही वर्ष १९६८–६९ में पूर्णतया कट गया था। ग्राम मोलनापुर १९६७–६८ की बाढ़ में पूरा कट गया था।

घाघरा नदी इस समय पुराने हाहा–नाला बांध के ४ मील ६ फर्लांग के पास १५० फुट लम्बाई में बांध के निकट बह रही है, जिससे बांध को कुछ खतरा उत्पन्न हो गया है।

कटाव रोकने हेतु बल्ली के पांच ठोकरों ? (स्परों) का निर्माण किया गया है, इन्हीं ठोकरों (स्परों) का सुदृढ़ीकरण बोल्डरक्रेट आदि डाल कर किया जा रहा है।

श्री राम सुन्दर पांडेय––

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन ठोकरों को बनाने का कार्य कब से प्रारम्भ हुआ है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां––

इन ठोकरों का ७३–७४ में काम शुरू किया गया है।

श्री राम सुन्दर पांडेय––

क्या यह सही है कि यह काम ७३–७४ में शुरु न होकर जब नदी पूरे ऊफान पर है तो इस समय स्पर लगाये जा रहे हैं ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां––

अभी तक काम जारी है।

श्री राम सुन्दर पांडेय––

क्या मंत्रीजी बतायेंगे कि ५ बल्लियों के स्पर और बोल्डर्स बनाये जा रहे हैं तो उन पर अलग अलग कितना खर्चा हो रहा है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां––

इनमें से एक पर एक लाख एक हजार रुपया, दूसरे यानी ५ बल्लियों के स्पर पर २ लाख हुआ है और तीसरे में ऊपर नीचे २ लाख ५० हजार हुआ है यानी कुल ४ लाख ५० हजार खर्च हुआ है।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी गढ़वाल)––

मैं जानना चाहता हूं कि घाघरा नदी पर जो निर्माण कार्य हो रहा है क्या पानी के लिये ऐसे आदेश हैं कि उसको न बहने दे ? यदि बह गया तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि पब्लिक के पैसे का गलत उपयोग किया जा रहा है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

यह बांध को बचाने के लिये ही काम हो रहा है। इसीलिये इन ठोकरों को बनाया जा रहा है।

श्री ऊदल--

क्या मंत्री जी हाहा नाले की व्यापक जांच करायेंगे कि यह बड़ा खतरनाक नाला है इसलिये समुचित व्यवस्था करने के लिये विचार करेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

पहले एक बांध आगे था। जब वह कटना शुरू हुआ तो दूसरा बांध बना दिया गया है इसकी हिफाजत के लिये। यही योजना थी जो पूरी हो गई है।

श्री राम सुन्दर पांडेय--

मान्यवर, अगर घाघरा का पानी बह निकलेगा तो बलिया जिले की लगभग १०-१२ मील और आजमगढ़ की १०-२० मील जमीन बह जायेगी जिससे करोड़ों की सम्पत्ति का नुकसान होगा। इसको देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी कोई ठीक व्यवस्था कराने की कोशिश करेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

वह तो मैंने अर्ज किया। उम्मीद है कि पूरा काम मुकम्मल हो जायेगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

कटाव को रोकने के लिये क्या बोल्डर चलाये जा रहे हैं या डम्पिंग की जा रही है?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

ठोकरें बन रही है। इस का सवाल नहीं है कि बह जायें ?

मंझना-बिठूर मार्ग (कानपुर) के निर्माणार्थ अध्यापित भूमि

*५--श्री जगदीश अवस्थी-- (जिला कानपुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जनपद के अन्तर्गत मंझना से बिठूर मार्ग निर्माण किये जाने में किसानों की कितने एकड़ भूमि ली गई है ? और उसके मुआवजे की कितनी धनराशि का भुगतान अब तक किसानों को किया जा चुका है तथा कितनी मुआवजे की धनराशि का भुगतान किया जाना शेष है ? वह कब तक कर दिया जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)--

इस कार्य के लिये ९ ग्रामों की कुल २८.५६ एकड़ भूमि एल० ए० ऐक्ट के अन्तर्गत विज्ञापित की गयी थी, जिसमें से ६ ग्रामों की १६.०१ एकड़ भूमि के मुआवजे में से २७,६५५ रु० ७१ पैसे का भुगतान कर दिया गया है तथा शेष ३,५०३ रु० ५९ पैसे प्रतिकर की धनराशि को रेवेन्यू डिपाजिट में भू-स्वामियों के न उपस्थित होने के कारण जमा कर दिया गया है।

शेष ग्रामों में चकबन्दी के कारण विधिक स्थिति स्पष्ट न होने से प्रतिकर नहीं बांटा गया।

यह हम बता देना चाहते हैं कि ६ गांवों की सूचना प्राप्त हुई थी। ३ गांव बचे थे। आज यह सूचना मिली है कि एक गांव चकबन्दी का नहीं है।

श्री जगदीश अवस्थी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ३ शेष गांवों के नाम क्या हैं और भूमि-अर्जन की कार्यवाही कब की गयी थी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

तीन गांव हैं—बगदोधी बांगर, संडीला और चौधीपुर। भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही की गयी थी १९६९ में। २६ अगस्त, १९६९ को कब्जा ले लिया गया था और ३ व ४ सितम्बर को घोषित किया गया था। इन्हीं तिथियों से लेकर २७ अक्तूबर, १९७० तक जितने काश्तकार आये उनको मुआवजा दे दिया गया है।

श्री जगदीश अवस्थी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बिना भमि अर्जन किए हुए सड़क का निर्माण करा दिया गया है और उन भू-स्वामियों से जमीन लेने के बाद भी लगान में वसूल किया जा रहा है। क्या मेरी इस सूचना को सही मानकर उनको जल्दी से जल्दी मुआवजा मिल जायेगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

कार्यवाही की जायेगी। जब से कब्जा लिया है तब से मुआवजा मिलेगा। सब ऐडजस्ट हो जायेगा।

जय नारायण डिग्री कालेज, लखनऊ में बंगला देश सहायतार्थ फंड का गबन

*६—श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव (जिला लखनऊ)—

क्या यह सही है कि शासन को लखनऊ स्थित इन्टर कालेजों में बंगला देश सहायतार्थ छात्रों से एकत्रित की गई धनराशि के दुरुपयोग किये जाने की शिकायत सितम्बर, १९७३ में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक दोषी शिक्षा संस्थाओं के प्रति क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राम जी लाल सहायक—

जी हां।

मामला विभाग के विचाराधीन है।

श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय जय नारायण डिग्री कालेज के विरुद्ध शिकायत मिली थी और उस पर डी० डी० ई० और स्पेशल आडिट के जरिए यह सिद्ध हो गया है कि वहां के मैनेजमेंट ने बंगला देश के सम्बन्ध में जो पैसा जमा हुआ था वह गबन किया है। तो क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रामजी लाल सहायक—

इसकी जांच कराऊंगा।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

यह वही विद्यालय है जिसके सम्बन्ध में ३–४ दिन पहले चर्चा हो रही थी। मेरी निश्चित जानकारी है कि श्री शिवकुमार शुक्ल भूतपूर्व लिपिक ने एक शिकायत की थी ९ सितम्बर, १९७३ को और दिसम्बर, १९७३ में उसकी जांच हुई। स्पेशल आडिट रिपोर्ट

है वह ९६ पन्नों की है। उसमें भी है कि बंगला देश का पैसा गबन किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इन्होंने साफ साफ देश द्रोहिता का काम किया है और केवल इन्होंने यह २४ मार्च, १९७४ को वहां के मैनेजमेन्ट को शो-काज नोटिस दिया है। इन्टरमीडिएट अमेंडमेंट ऐक्ट १९५८ की धारा १६ (बी) (२) के अन्तर्गत कि क्यों न आपका यह मैनेजमेंट समाप्त करके रेसीवर कायम कर दिया जाय ? क्या कारण है कि बंगला देश के पैसे को गबन करने के मामले को आपने अंकित नहीं किया ?

श्री राम जी लाल सहायक—

मैंने मान्यवर, पहले निवेदन किया कि वहां पर अनियमितताएं मिलीं, शो काज नोटिस दे देना चाहिये और भी कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव—

मान्यवर, उनका चालान क्यों नहीं किया गया जब कि गबन सिद्ध हो गया ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, जहां इस तरह की चीजें होती हैं, वह पुलिस की बात नहीं रहती, विभाग किसी स्कूल के प्रति विभागीय कार्यवाही करता है। हमारे हाथ में है कि उनका अनुदान बंद कर दें और उनकी मान्यता समाप्त कर दें और उसकी कार्यवाही की जा रही है।

श्री शिव चरन लाल (जिला आगरा)—

मान्यवर, बंगला देश की सहायता जो इस प्रकार से की जा रही है, इसको कब समाप्त करने की कृपा करेंगे, जब कि बंगला देश का मामला समाप्त हो गया है ? इस टैक्स को कब समाप्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री राम जी लाल सहायक—

मान्यवर, यह बात तो कभी की खत्म हो गई।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं जैसा कि श्री कल्याणसिंह जी ने कहा है और पढ़कर सुनाया है और गबन साबित हो गया और गबन के नाम पर हमारी सरकार से उसको अनुदान मिलता है तो राज्य सरकार की इसी में प्रतिष्ठा है कि वह मान्यता और अनुदान समाप्त करने की शीघ्र कृपा करें।

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, मैंने पहले निवेदन किया कि हम नियंत्रक बैठावें और उस पर कार्यवाही करें। मान्यता समाप्त करने या अनुदान समाप्त करने से वहां के कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा और उनका नुकसान होगा।

श्री कल्याण सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि २४ मार्च, १९७४ को प्रबन्ध समिति को भंग करके, रिसीवर कायम करने, इन्टरमीडिएट ऐक्ट, १९५८ की धारा १६(ब) (२) के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो अब तक उस कार्यवाही का क्या परिणाम हुआ और यदि नहीं, तो कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री राम जी लाल सहायक—

मान्यवर, नोटिस गया था परन्तु कोई उत्तर नहीं मिला। अब दूसरी नोटिस जायगी और यह फाइनल होगी।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने रुपयों का दुरुपयोग हुआ है और जो आडिट रिपोर्ट तैयार हुई और विभाग के अधिकारियों ने जांच किया उसमें कितने रुपयों का दुरुपयोग हुआ और उसमें कौन कौन से लोग उस गबन के मामले में दोषी हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, मैनेजमेंट और प्रिंसिपल दोनों ही दोषी हैं। अब रुपया कहां तक गिनाए, बहुत रुपया है।

*७—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

सिंचाई विभाग में जिलेदारो की पदोन्नति

*८—श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में अक्तूबर, १९७२ में जिलेदारों के कितने पद कन्फर्मेशन हेतु रिक्त थे और अक्तूबर ७ तथा नवम्बर, १९७२ में कितने जिलेदार उप-राजस्व अधिकारी पद पर पदोन्नत किये गये ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

प्रश्नगत अवधि में कन्फरमेशन हेतु जिलेदार के २३ पद रिक्त थे। अक्टूबर तथा नवम्बर, १९७२ में दो स्थाई तथा १४ अस्थाई जिलेदारों को उप राजस्व अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया।

मान्यता-प्राप्त नर्सरी एवं मान्टेसरी विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा नियमावली

*९—श्री कल्याण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के मान्यता प्राप्त नर्सरी एवं मान्टेसरी बाल मंदिरों (विद्यालयों) के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिये अभी तक सेवा नियम न बनाये जाने के क्या कारण हैं और वह कब तक बना दिये जायेंगे ?

श्री राम जी लाल सहायक—

शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश से प्रस्ताव मांगे गये हैं। प्राप्त होने पर उन पर विचार किया जायगा।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, यह प्रदेश भर के अध्यापकों और अध्यापिकाओं के जीवन का प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि प्रस्ताव कब मांगें गये हैं और उन प्रस्तावों में कौन-कौन से प्वाइन्ट्स पूछे गये हैं।

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, मान्यता प्राप्त ये संस्थायें लगभग ५० हैं। सेवा नियम बनाने के लिये अध्यापकों की नियुक्ति, उनकी अवधि, उनकी योग्यता और कब से वे काम कर रहे हैं, उनको क्या वेतन दिया जा रहा है, उनका वेतन निर्धारण हुआ है या नहीं, अनेक सूचनायें ऐसी हैं, जिनकी मांग की गयी है और मांगी जा रही हैं।

श्री कल्याण सिंह—

येजो सूचनायें मांगी गयी हैं, माननीय मंत्री जी का यह प्रस्ताव उनको कब तक प्राप्त हो जायगा और सरकार कब तक निश्चय ले लेगी ताकि सर्विस रूल्स बन सकें ?

श्री रामजी लाल सहायक—

निश्चित समय तो नहीं बता सकता लेकिन लगभग ५–६ महीने लग जायेंगे।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी उस वेतन क्रम को जो महापालिकाओं के मान्टेसरी स्कूलों में हैं, उनको उत्तर प्रदेश के सभी मान्टेसरी स्कूलों में लागू करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक—

यह प्रश्न दूसरा है। वैसे मैं माननीय सदस्य के सूचनार्थ बता दूं कि यह प्रश्न भी शासन के विचाराधीन है।

जिला गाजीपुर में निर्मित पक्की सड़कें

*१०—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर), तथा श्री झिलमिट (जिला गाजीपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर में १९७३-१९७४ के अन्तर्गत कितने किलोमीटर पक्की सड़क और कितने किलो मीटर तारकोल की सड़क बनी है तथा कितने पक्के पुल बने ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जिला गाजीपुर में वित्तीय वर्ष १९७३–७४ में कुल २६.९२५ किलोमीटर पक्की सड़क यातायात के योग्य पूर्ण की गई। इसमें से ३.८० कि० मी० पर तारकोल लेपन का कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त ८.३० कि० मी० लम्बाई के मार्गों पर भी तारकोल लेपन किया गया। कोई पक्का पुल तैयार नहीं हुआ।

श्री रघुवीर—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने बताया कि २६.९२५ किलोमीटर सड़क बनी, वह किस स्थान से किस स्थान तक बनी और कितने किलोमीटर अलग अलग ये सड़कें बनायी गयी हैं ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

यह भितरी–शादियाबाद मार्ग है और ३.८० कि० मी० जो लेपन किया गया है वह भी उसका हिस्सा है। बहुत सी सड़कें हैं, २६ हैं। बहुत बड़ी लिस्ट है।

श्री रघुवीर—

आपने तारकोल की सड़क के बारे में जवाब दिया कि कुल २६.९२५ किलोमीटर जिले में पक्की सड़क बनी। मेरा प्रश्न है कि किस स्थान से किस स्थान की बनीं, और कितनी सड़कें बनीं ? अलग-अलग बताने की कृपा करें ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

बहुत लम्बी लिस्ट है। वैसे यदि माननीय सदस्य चाहें तो बता देंगे।

श्री झिलमिट—

१९७३–७४ में कहां-कहां पुल बने या बनने की योजना थी लेकिन बनने नहीं पाये, इसका क्या कारण है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

मैं तो अपने उत्तर में ही निवेदन कर चुका हूं कि कोई पुल तैयार नहीं हुआ है। पुल बनाने की कोई योजना ही नहीं थी।

श्री झिलमिट—

माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि २६.९२५ किलोमीटर पक्की सड़क बनायी गयी तो क्या उसमें अब्दुल हमीद रोड भी शामिल है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सड़क बनाने का काम कब आरम्भ हुआ और अब तक कितना हो चुका है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो पूर्णतया उन्होंने बता दिया।

श्री रघुवीर—

क्या मंत्री जी बतायेंगे एक ये दोनों सड़कें जो तारकोल की आपने बनवायी हैं ये किस स्थान से किस स्थान तक तारकोल की कब बनवाई ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न करने का क्या अभिप्राय है ? क्या गलत बनी हैं, नहीं बनी हैं, क्या बात है ?

श्री रघुवीर—

मंत्री जी ने जवाब दिया है कि ३.८० किलोमीटर तारकोल की सड़क बनायी गयी और दूसरे में उत्तर दिया है कि ८.३० किलोमीटर तारकोल सड़क बनायी गयी। तो उसकी लम्बाई जानना चाहता हूं कि किस स्थान से किस स्थान तक वह है, उसे बतायें।

श्री अध्यक्ष—

यह तो ब्योरे की जानकारी चाहते हैं। आपके पास है जहां तारकोल का लेपन हुआ है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

श्रीमान् जी, जो ७३.–७४ में २६.९२५ किलोमीटर सड़क बनी उसमें से ३.८ कि० मी० पक्की हुई। इसके अलावा ८.३ किलोमीटर जो पहले की बनी थी उस पर भी लेपन हुआ। तो जो ८.३ कि० मी० का लेपन हुआ वह इस प्रकार है कि मोहम्मदाबाद-करीमुद्दीनपुर ताज-पुर मार्ग– ०.२ किलोमीटर, शादियाबाद बहरियाबाद मार्ग– २.५० किलोमीटर, कासिमाबाद-सियागर घाट मार्ग– ३.४० किलोमीटर, गाजीपुर-चोचकपुर मार्ग १.०० किलोमीटर, मोहम्मदाबाद-कासिमाबाद-मऊ मार्ग– १.२० किलोमीटर। यह सब ८.३ किलोमीटर सड़क का लेपन हुआ।

श्री रघुवीर—

क्या २६ प्वाइंट कुछ किलोमीटर जो ७३–७४ में सड़क बनायी आपने ऐसे ही उसका उत्तर नहीं दिया। डिस्ट्रिक्ट इन्जीनियर ने आपको गलत रिपोर्ट दी है और यह सड़क कच्ची है, पक्की नहीं हुई है। मेरी सूचना को सही मानकर के फिर से इंक्वायरी करा कर सही जांच करके उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां, जरूर कराऊंगा।

बलदेव–खंदौली, सादाबाद-राया, सादाबाद–मुरसान तथा सादाबाद-पुरा मार्गों का निर्माण

*११—श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष बल्देव-खंदौली, सादाबाद-राया, सादाबाद-मुरसान, सादाबाद-पुरा मार्गों का निर्माण जो अधूरा है उनको पूर्ण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

(१) बलदेव-खन्दौली मार्ग—इस मार्ग की कुल लम्बाई २३.५ कि० मी० में से केवल ७.३५ कि० मी० निर्माण के लिये स्वीकृत है और कार्य प्रगति में है। स्वीकृत कार्य को पूरा करने के लिये पुनरीक्षित आगणन बनाया जा रहा है। शेष १६.१५ कि० मी० लम्बाई का कार्य अभी किसी योजना में स्वीकृत नहीं है अतएव इसको पूर्ण करने का प्रश्न नहीं उठता। धनाभाव के कारण इस समय इस शेष लम्बाई को स्वीकृत करना संभव नहीं है।

(२) सादाबाद-राया मार्ग—यह मार्ग पूरी लम्बाई में स्वीकृत है और कार्य प्रगति में है। स्वीकृत लागत में निर्माण सामग्री एवं श्रमिकों के मूल्यों में बढ़ोत्तरी के कारण पूरा कार्य नहीं हो सकेगा अतएव पुनरीक्षित आगणन बनाया जा रहा है जिसकी स्वीकृति के बाद पूरा कार्य किया जाना सम्भव होगा।

(३) सादाबाद-मुरसान मार्ग व सादाबाद-पुरा मार्ग का संबंध सार्वजनिक निर्माण विभाग से नहीं है।

श्री राम प्रकाश यादव—

श्रीमन्, मुझे प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिला है। जो उत्तर मंत्री जी ने पढ़ा वह भी सुनायी नहीं दिया, अब मैं प्रश्न कैसे करू ? ऐसे ही कल भी मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—

मेरी सूचना है कि उत्तर भेजा गया है और इस पर राम प्रकाश जी क दस्तखत हैं या कोई अन्य व्यक्ति आपके यहां रहते हैं जिन्होंने इसको प्राप्त किया हो।

श्री राम प्रकाश यादव—

मैं ही अपने यहां डाक रिसीव करता हूं। और प्रश्न वगैरह जो जाते हैं वे मिल जाते हैं। उत्तर पुनः पढ़वा दें।

(प्रश्न का उत्तर पुनः पढ़ा गया)

श्री राम प्रकाश यादव—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सादाबाद–राया सड़क कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

मार्च, ७५ तक पूर्ण हो जायेगी।

श्री शिवचरन लाल—

खदौली से एतमादपुर वाली सड़क कब तक बन जायेगी ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री राम प्रकाश यादव—

मंत्री जी ने बताया कि ७.५३ किलोमीटर का निर्माण हुआ है और इस प्रकार किलोमीटर के करीब बनने को शेष रह गयी है। जब तक यह शेष भाग बनता नहीं है तब तक जो सड़क बनी वह बेकार है और उस पर जो खर्च हुआ है वह बेकार चला जाता है। तो शेष सड़क कब तक बन जायेगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

शेष की स्वीकृति तो अभी है नहीं। जब स्वीकृत होगी तो जरूर बन जायेगी।

मुखलिसपुर लिफ्ट माइनर (बस्ती) की सिंचन क्षमता

*१२—श्री शारदा प्रसाद रावत–जिला गोरखपुर

क्या सरकार को जानकारी है कि बस्ती जनपद की मुखलिसपुर लिफ्ट माइनर की कटसहराव बुदहर माइनर तथा उनकी शाखायें निर्माण काल से आज तक क्षमता के बराबर पानी देने में पूर्ण रूपेण अक्षम रही हैं ? यदि हां, तो सरकार उक्त नहरों के सुधार हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मोम्मद महमूद अली खां—

प्रश्न का प्रथम भाग—बस्ती जनपद में मुखलिसपुर लिफ्ट नहर कुवानो पम्प नहर की ग्राम कटसहरा के पास से निकली बुदहर माइनर टेल पर होने के कारण अपनी क्षमता के अनुसार सिंचाई करने में असमर्थ है।

प्रश्न का द्वितीय भाग—उक्त नहरों के सुधार हेतु कुवानो पम्प नहर (मुख्य नहर) की क्षमता बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।

सहजनवा तथा पाली विकास क्षेत्र, गोरखपुर में निर्मित नल कूप

*१३—श्री शारदा प्रसाद रावत—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत पंचवर्षीय योजना में सहजनवा तथा पाली विकास क्षेत्र ; जनपद गोरखपुर के प्रस्तावित एवं स्वीकृत सरकारी नल कूपों तथा उनकी नहरों का कार्य पूर्ण हो गया ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण होने की आशा है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

गत पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गोरखपुर जनपद के विकास क्षेत्र सहजनवां एवं पाली में क्रमश: १० व ८ राजकीय नलकूप प्रस्तावित एवं स्वीकृत थे। इनमें से उक्त क्षेत्रों में जितने नलकूप एवं गूलें बनी हैं उनका विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

प्रत्येक नलकूप पर एक मील लम्बी पक्की गूल का निर्माण प्रस्तावित है। इस प्रकार १३ मील २ फर्लांग पक्की गूलों का निर्माण होना शेष रह गया है।

इन शेष गूलों का निर्माण जुलाई, १९७५ तक पूर्ण होने की आशा है।

सहजनवां विकास क्षेत्र में शेष एक नलकूप का निर्माण १९७४–७५ में पूरा हो जायेगा।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ. ११४ पर)

श्री शारदा प्रसाद रावत—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरा प्रश्न था कि क्या सरकार को जानकारी है कि बस्ती जनपद की मुखलिसपुर लिफ्ट माइनर की कटसहराव बुदहर माइनर तथा उनकी शाखायें निर्माण काल से आज तक क्षमता के अनुसार पानी नहीं दे सकी हैं तो मंत्री जी ने केवल बुदहर माइनर के बारे में बताया है। शेष के बारे में नहीं दिया ?

श्री मोहम्मद अहमूद अली खां—

सबका दिया है।

श्री शारदा प्रसाद रावत—

मान्यवर, जैसा मंत्री जी ने कहा है कि बस्ती जनपद में मुखलिसपुर लिफ्ट नहर कुवानो पम्प नहर के ग्राम कटसहरा के पास से निकली बुदहर माइनर टेल पर न होने के कारण अपनी क्षमता के अनुसार सिंचाई करने में असमर्थ है। तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो अन्य नहरें हैं वह क्या अपनी क्षमता के बराबर पानी दे रही हैं ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

मान्यवर, मुखलिसपुर लिफ्ट नहर क्षमता से कम पानी दे रही है और यह जो अन्य नहरें हैं वह भी क्षमता से कम पानी दे रही हैं।

श्री शारदा प्रसाद रावत—

मान्यवर, जैसा अभी मंत्री जी ने बताया कि उक्त नहरों के सुधार हेतु कुवानों पम्प नहर की क्षमता बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, तो क्या मंत्री जी को यह जानकारी है है कि कब से यह विचार प्रारम्भ हुआ है और कब इस विचार को फाइनलाइज करने जा रहे हैं ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जब से इनमें शिकायत की बात आयी है तब से कार्यवाही हो रही है ।

(श्री जगदीश अवस्थी
का नाम पुकारे जाने पर)

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मान्यवर, अभी तो मैंने अपने प्रश्न १३ के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है ।

मान्यवर जैसा अभी उन्होंने कहा है कि क्षमता बढ़ाने पर विचार हो रहा है, तो मैं आश्वासन चाहता हूं कि क्या निश्चित ही आगामी रबी की फसल को पानी दिया जायगा ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

मान्यवर, इसके बारे में इस्टीमेट वगैरह बन गये हैं । बाकी जो कुछ काम है जल्दी से जल्दी हो रहा है । कोशिश यह है कि जो काम बाकी है जल्द से जल्द कर दिया जाय ।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

(प्रश्न १३ से संबंधित) ।

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नाली और गूलों का जो कार्य प्रारम्भ हुआ है वह कब से हुआ है ? कितना काम हुआ है और यदि काम नहीं हुआ तो क्यों, और क्या काम न होने के कारण अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

मान्यवर, १९७१-७२ में ५ नलकूप बने और उन पर बिजली आयी । उन पर एक की पक्की गूलें बन गयीं हैं और अब उसमें कोई चीज बाकी नहीं है । ४ नलकूपों में दिसम्बर, १९७२ में मुकम्मल हुये थे । इनमें से एक में २ मार्च को बिजली मिली । एक में ७ मार्च को बिजली मिली । इनमें कच्ची गूलें हैं । बरसात में कच्ची गूलों की मिट्टी नीचे बैठ कर सख्त हो जाती है । इसलिये बरसात के बाद यह गूलें पक्की कर दी जायेंगी ।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मान्यवर, क्या मेरी जानकारी को सही मानते हुये कि नलकूपों में एक भी नाली पक्की नहीं है, इक्जीक्यूटिव इंजीनियर से मैंने बार बार कहा है, क्या इसकी जांच करायेंगे कि क्यों उनमें ऐसी अनियमिततायें हैं ?

श्री मोहम्मद मुहमूद अली खां--

मैं इसकी जांच करा दूंगा ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, मैं मंत्री महोदय से प्रश्न संख्या १२ के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि जैसा कि लिखा गया है कि उसके निर्माण काल से माइनर क्षमता के बराबर पानी देने में असमर्थ रहा है । तो इन माइनरों का निर्माण कब हुआ और वर्षवार उनका लक्ष्य कितना था और कितना सिंचित रकबा परा हुआ है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

इसके बारे में यदि नोटिस आप देंगे तो जानकारी करा दूंगा ।

कानपुर के बेसिक विद्यालयों के अध्यापकों को प्रशिक्षण से कथित छूट

*१४—श्री जगदीश अवस्थी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्यपाल महोदय के दिनांक ३० मई, १९७३ की राजाज्ञा के अनुसार कानपुर जनपद के बेसिक विद्यालयों के कितने अप्रशिक्षित अध्यापक व अध्यापिकाओं को बी० टी० सी० प्रशिक्षण से छूट दी गई और कितनों को छूट नहीं मिल सकी तथा क्यों ? इस सम्बन्ध में कितने शिक्षकों के प्रतिवेदन मिले हैं और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रामजी लाल सहायक—

राजाज्ञा संख्या १३८६/१५-(१३)-१४५०(५६)/७३, दिनांक मई ३०, १९७३ बी०टी० सी० चुनाव सम्बन्धी नियमों में किये गये परिवर्तन से संबंधित है। इसी के अनुसार १९७३-७४ का चुनाव सम्पन्न किया गया था। इन आदेशों के अन्तर्गत प्रशिक्षण से छूट देने तथा प्रतिवेदन प्राप्त होने का प्रश्न नहीं उठता।

*१५—डाक्टर मलखान सिंह—

(९वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या १ पर स्थानान्तरित।)

*१६—श्री हरीश कुमार गंगवार—

(९वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

छिबरामऊ-विशुनगढ़ एवं सोरिख-सकरावा सड़क (फर्रुखाबाद) का निर्माण

*१७—श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के अन्तर्गत छिबरामऊ-विशुनगढ़ एवं सौरिख-सकरावा सड़कों का निर्माण कार्य कब आरम्भ हुआ और इस समय कार्य बन्द क्यों हैं? साथ ही कब तक इसे पूर्ण करने का लक्ष्य है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

छिबरामऊ-विशुनगढ़ तथा सौरिख-सकरावा मार्गों का निर्माण कार्य क्रमशः अप्रैल तथा जनवरी, १९७२ में आरम्भ किया गया।

इस समय कार्य बन्द नहीं है। इन दोनों मार्गों का निर्माण मार्च, १९७६ तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

नोट—नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या १३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का सयम समाप्त हो गया।

बेसिक शिक्षा परिषद् (इटावा) के अध्यापकों को देय नया वेतन मान

*१८—श्रीमती सुखदा मिश्रा (जिला इटावा)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला इटावा में बेसिक शिक्षाधिकारी, इटावा के यहां अध्यापकों के क्या ऐसे मामले बकाया हैं कि जिनमें न तो वेतन निर्धारित हुआ है और न ही बकाया वेतन दिया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राम जी लाल सहायक—

जी हां ।

जिला इटावा में बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों से नये वेतनमान का विकल्प प्राप्त होने के पश्चात् उनके वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है । यह प्रक्रिया समाप्त हो जाने के पश्चात् शीघ्र ही अध्यापकों को नये वेतनमान में वेतन प्राप्त होने लगेगा तथा बकाया वेतन का भुगतान कर दिया जायगा ।

जूनियर बेसिक स्कूल (जालौन) के अध्यापकों की पेंशन

*१९—श्री वीरसिंह सेंगर (जिला जालौन)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जी० ओ० नं० ए–५३५५/३१३३–१९६२ दिनांक १७–१२–६५ के अनुसार जिला जालौन में कितने जूनियर बेसिक स्कूल अध्यापकों को सन् १९६६ से पेन्शन स्वीकृत हुई थी तथा वह कब तक उन व्यक्तियों को दी गई तथा कब बन्द कर दी गई और क्यों ?

श्री राम जी लाल सहायक—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जी० एम० ए० इन्टर कालेज, बलिया में गबन

*२०—श्री रघुवीर तथा श्री झिलमिट—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के अन्तर्गत बिल्थरा रोड स्थित जी० एम० ए० इन्टर कालेज में गत वर्ष ५० हजार रु० के गबन होने की सूचना सरकार को मिली है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां, सम्बन्धित अभिलेख जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में सील कर रखा दिये गये हैं तथा उनके आडिट हेतु विशेष आडिट पार्टी की व्यवस्था की जा रही है ।

बेसिक शिक्षा परिषद्, कानपुर के निलम्बित अध्यापक

*२१—श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् से सम्बन्धित जनपद कानपुर के सन् १९७० से सन् १९७३ तक कितने अध्यापक निलम्बित किये गये और उनमें कितने अध्यापकों को गुजारा भत्ता नहीं दिया गया तथा गुजारा भत्ता न देने का क्या कारण है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

बेसिक शिक्षा परिषद् से संबंधित जनपद कानपुर में सन् १९७० से १९७३ तक ५ अध्यापकों को निलम्बित किया गया था।

इनमें से दो अध्यापकों को निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित न रहने के कारण, निलम्बन भत्ता नहीं दिया जा रहा है।

सिराथू तहसील (इलाहाबाद) में नहरों से पानी का दिया जाना

*२२—श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा (जिला इलाहाबाद), तथा श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद में सिराथू तहसील के अन्तर्गत नहरों को बने लगभग १५ साल हो गया है किन्तु उनमें पानी आज तक नहीं आ रहा है? यदि हां, तो पानी न आने का क्या कारण है और इसका सुधार कब तक करा दिया जायेगा?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी नहीं, केवल ६ नहरों को बने हुये ६ वर्ष हुये हैं। ये नहरें रामगंगा परियोजना के अन्तर्गत बनायी गयी हैं, जिनको पानी रामगंगा जलाशय से नवम्बर, १९७४ से उपलब्ध होगा, फिर भी इन ६ नहरों को वर्ष १९६५ से फतेहपुर शाखा में उपलब्धि के अनुसार पानी दिया गया है।

शेष नहरों को जो १९७४ में बनी हैं पानी रामगंगा जलाशय से नवम्बर, १९७४ से मिलेगा।

मथुरा जनपद में सड़कों व पुलों का निर्माण

*२३—श्री राम प्रकाश यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में किन-किन सड़कों और पुलों के निर्माण की स्वीकृति सन् १९७० से दिनांक ३१ मार्च, १९७४ तक हो चुकी है? तथा उनमें से प्रत्येक सड़कों और पुलों के निर्माण में दिनांक ३१ मार्च, १९७४ तक क्या प्रगति हुई है और क्या इन पुलों के लिये स्वीकृत धनराशि का ३१ मार्च, १९७४ तक व्यय कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है। इस अवधि में कोई पुल स्वीकृत नहीं हुआ है अतः व्यय करने का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पष्ठ ११५ पर)

बेसिक शिक्षा परिषद् (जौनपुर) के अध्यापकों को बकाया वेतन

*२४—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह (जिला बाराबंकी) तथा श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जौनपुर के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्य करने वाले अध्यापकों को १९७०–७१, १९७२–७३ तक का वेतन, हाउस एलाउन्स का करीब ५ लाख रुपया बकाया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री रामजी लाल सहायक—

उक्त अवधि का नगर क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों का कुल ५,१३,५३० रु० वेतन का अवशेष है। इस अवधि के वेतन भुगतान का दायित्व स्थानीय निकायों का था जिसे निकायों ने पूरा नहीं किया है। अब इस बकाये धनराशि को बेसिक शिक्षा परिषद को अनुदान के रूप में स्वीकृत करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ताकि अध्यापकों की आर्थिक कठिनाइयों का निवारण किया जा सके, किसी भी अध्यापक को हाउस एलाउन्स अनुमन्य नहीं है। अतः बकाये का प्रश्न नहीं उठता।

बढ़नी विकास खंड (बस्ती) में राजकीय सिंचाई साधन

*२५—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बस्ती जिले के बढ़नी विकास खंड के ट्रान्स राप्ती क्षेत्र में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है ? और नलकूप लगाने के लिये ४०० फिट तक बोरिंग करने पर भी पानी नहीं निकला ? यदि हां, तो सरकार वहां सिंचाई की क्या व्यवस्था करने का विचार कर रही है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी नहीं, बस्ती जनपद के बढ़नी विकास खंड के ट्रान्स राप्ती क्षेत्र में राजकीय सिंचाई साधन उपलब्ध हैं।

इस क्षेत्र की भूमि के नीचे बोल्डर्स होने के कारण अब तक विभाग ने कोई बोरिंग नहीं की जिससे स्ट्रेटा के सम्बन्ध में कुछ जानकारी होती।

बनकटी ब्लाक (बस्ती) में निलम्बित बेसिक शिक्षा अध्यापक

*२६—श्री जंगबहादुर (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती में जून, १९७२ में ब्लाक बनकटी में कितने बेसिक शिक्षा अध्यापकों को निलम्बित किया गया तथा फिर उन्हें सेवारत किया गया लेकिन बकाया वेतन अभी तक भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक—

सूचना एकत्र की जा रही है।

नहर शाखा बेवर, राजवहा बजेड़ा मैनपुरी द्वारा सिंचाई की व्यवस्था

*२७—श्री मुन्शी लाल (जिला मैनपुरी)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मैनपुरी के अन्तर्गत नहर शाखा बेवर राजवहा बजेड़ा कब से चल रहा है तो इसकी टेल मधुकरपुर, धरमनैर, हीरापुर और कूड़ी आदि में पानी न पहुंचने का क्या कारण है और कब तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर दी जायेगी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

मैनपुरी में जिला परिषदीय अध्यापकों का वेतन

*२८—बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् मैनपुरी ने जिला परिषदीय अध्यापकों को अगस्त, १९७२ के वेतन का भुगतान अब तक नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक यह भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां। जिला परिषद् द्वारा अगस्त, १९७२ के वेतन का भुगतान धनाभाव के कारण नहीं किया गया बताया गया है। इस अवधि के वेतन भुगतान का दायित्व स्थानीय निकायों का है परन्तु अध्यापकों की कठिनाइयों को दृष्टि में रख कर एतदर्थ आवश्यक अनुदान बेसिक शिक्षा परिषद् को दिये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

बाधम्बरी अल्लापुर क्षेत्र (इलाहाबाद) में पानी की निकासी हेतु योजना

*१—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या सिचाई मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि बाधम्बरी अल्लापुर क्षेत्र बाढ़ निवारण समिति, इलाहाबाद का कोई पत्र दिनांक १४ नवम्बर, १९७३ तथा ६ फरवरी, १९७४ व २० मई, १९७४ उन्हें प्राप्त हुआ है जिसमें मांग की गई कि उक्त क्षेत्र से बरसाती पानी की निकासी के लिये सरकार कोई स्थायी व्यवस्था करें ? यदि हां, तो इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जिन खेतों का जिक्र किया गया है वह सिचाई विभाग में प्राप्त नहीं हुए हैं फिर भी बाधम्बरी अल्लापुर इत्यादि क्षेत्र में बरसाती पानी के निकासी की स्थायी व्यवस्था स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग, इलाहाबाद के माध्यम से की जा रही है। इस सम्बन्ध में सिचाई विभाग ने स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग को तुरन्त काम शुरू करने के लिये ३ लाख रुपये मन्जूर कर दिये हैं।

*२—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

*३–४—श्री उमानाथ, श्री आशा राम यादव तथा श्री ओम प्रकाश सिंह—

[१०वें गुरूवार के लिये प्रश्न संख्या ७५–७६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्राच्य शिक्षण संस्थाओं (संस्कृत पाठशाला) के बिल प्रतिहस्ताक्षरण का अधिकार जिला स्तर पर देने की मांग

*५—श्रीमती शिव कुमारी दूबे (जिला प्रतापगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अरबिक संस्थाओं के अनुदान बिल के प्रति हस्ताक्षरण का अधिकार जिला स्तर पर प्रदान कर दिया गया है ? यदि हां तो क्या प्राच्य शिक्षण संस्थाओं से संबद्ध संस्कृत संस्थाओं के लिये भी सरकार ने अनुदान बिल प्रतिहस्ताक्षरण का अधिकार जिला स्तर पर प्रदान करने का विचार किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां। प्राच्य शिक्षण संस्थाओं (संस्कृत पाठशाला) के बिल प्रतिहस्ताक्षरण का अधिकार जिले स्तर पर देने का विषय विचाराधीन है।

प्रतापगढ़ के जिला परिषदीय अध्यापकों का वेतन

*६—श्रीमती शिवकुमारी दूबे—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद के जिला परिषद् के अध्यापकों का वेतन लगभग ५ महीनों से नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार अविलम्ब वेतन दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री राम जी लाल सहायक—

जी नहीं।

अध्यापकों का वेतन वितरण माह जून, १९७४ तक का किया जा चुका है।

*७—श्री मुहम्मद असरार अहमद, श्री शिव चरन लाल, श्री मुहम्मद मसूद खां तथा श्री नजीर अहमद—

(९वें बुधवार के लिये स्थगित)।

*८—श्री सत्य प्रकाश मालवीय तथा श्री अठई राम—

(९वें बुधवार के लिये स्थगित)।

*९—श्री राम प्रकाश यादव—

(९वें बुधवार के लिये स्थगित)।

मीरापुर देवल सड़क (मुजफ्फरनगर) की मरम्मत की मांग

*१०—श्री कबूल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुजफ्फरनगर जिले की तहसील जानसठ में मीरापुर से देवबल जाने वाली सड़क जो बहुत ही पुरानी है को इस वर्ष इसे बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन चल रही है ? यदि हां, तो कब तक उक्त कार्य पूरा हो जायगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं।

7066

प्रश्न नहीं उठता।

*११—श्री त्रिवेणी सहाय—

[माननीय सदस्य ने वापस लिया]।

भावरकोल तथा बाराचवर, विकास खंडों, (गाजीपुर) में सड़क निर्माण की मांग

*१२—श्री राम जनम राय (जिला गाजीपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर के क्रमशः भावरकोल तथा बाराचवर विकास खंडों में वाराणसी–बलिया रोड के अतिरिक्त कोई भी सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार निकट भविष्य में ही यातायात की इस साधारण कठिनाई को दूर करने की कब तक व्यवस्था करेगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

इन विकास खंडों में वाराणसी-बलिया मार्ग के अतिरिक्त बाराचवर विकास खंड में मुहम्मदा बाद—करीमउद्दीन पुर-ताजपुर मार्ग का १३ किली मीटर भाग भी पड़ता है।

धनाभाव के कारण इन विकास खंडों में किसी अन्य मार्ग का निर्माण इस समय सम्भव नहीं है ।

*१३—श्री राम जनम राय—

(९वें बुधवार के लिये स्थगित) ।

*१४–१५—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

(९वें बुधवार के लिये स्थगित) ।

लिफ्ट सिचाई योजना के वर्क चार्ज श्रमिक

*१६—श्री जमुना प्रसाद बोस (जिला बांदा) तथा, श्री हरि केवल (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य की लिफ्ट सिंचाई योजना में कार्यरत वर्क चार्ज श्रमिकों, जिन्होंने तीन साल से अधिक लगातार सेवा की है, को कब तक रेगुलर कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

उक्त योजना में कार्यरत वर्कचार्ज श्रमिकों को, जिन्होंने तीन साल से अधिक लगातार सेवा की है, रेगुलर करने हेतु शासन ने हाल ही में लगभग ५०० रेगुलर अस्थायी पदों का सृजन किया है तथा इस संबंध में कार्यवाही शुरू कर दी गई है ।

*१७—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

(९वें बुधवार के लिये स्थगित) ।

*१८–१९—श्री राम जी सिंह—

(९वें बुधवार के लिये स्थगित) ।

*२०—श्री जफर आजमी—

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया) ।

*२१—श्री वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री बाबू लाल वर्मा, श्री दशरथ सिंह, श्री राम पति तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी—

(९वें बुधवार के लिये स्थगित) ।

माध्यमिक विद्यालयों के शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को प्रवक्ता वेतनमान

*२२—श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद), श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच); श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा), श्री रामपति (जिला गोंडा), तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोंडा)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को प्रवक्ता वेतन–मान देने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या उनको प्रवक्ता वेतन दिया जाता है ? यदि नहीं, तो कब से प्रवक्ता वेतन देना प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री रामजी लाल सहायक—

राज्य के साहाय्यिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में प्रचलित नियम यह है कि जो अध्यापक किसी विधिवत स्थापित विश्वविद्यालय की उस विषय में स्नातकोत्तर उपाधि (मास्टर्स डिग्री) रखते हैं जिस विषय का अध्यापन वह इन्टरमीडिएट कक्षाओं में करते हैं उन्हें प्रवक्ता वेतनमान अनुमन्य होता है। अतः जो अध्यापक इन्टरमीडिएट कक्षाओं में शारीरिक शिक्षा देते हैं और किसी विधिवत स्थापित विश्वविद्यालय की शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि भी रखते हैं उन्हें प्रवक्ता वेतन-मान अनुमन्य है।

देवरिया के प्राथमिक शिक्षकों का वेतन

*२३—श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि देवरिया जनपद में उप जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय से प्राथमिक शिक्षकों का वेतन बराबर अनियमित रूप से कई माह देर से दिया जाता है और अभी तक उनका नवीन वेतन एवं एरियर भी नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे माह के सात तारीख तक शिक्षकों को वेतन मिल जाया करे?

श्री रामजी लाल सहायक—

अध्यापकों का वेतन नियमित रूप से प्रतिमास वितरित करने हेतु प्रयास किया जाता है, परन्तु कभी-कभी किसी कारण वश विलम्ब भी हो जाता है, जिसके निवारणार्थ शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, को पुनः निर्देश जारी किये जा रहे हैं। पुनरीक्षित वेतन-मान में वेतन भुगतान हेतु पहले प्रत्येक शिक्षकों का वेतन निर्धारण आवश्यक है जिसमें पर्याप्त समय लगता है। इसको यथाशीघ्र सम्पादित करा कर शीघ्र भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, जालौन के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*२४—डाक्टर मलखान सिंह—

क्या यह सही है कि दिनांक ११ मई, १९७४ को उरई में बेसिक शिक्षा निदेशक से एक जन प्रतिनिधि मन्डल मिला था तथा वहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की शिकायतें की थीं? यदि हां, तो सरकार ने उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री रामजी लाल सहायक—

तत्कालीन बेसिक शिक्षा निदेशक की सेवा-निवृत्ति के फलस्वरूप यह सूचना उपलब्ध नहीं है। जालौन के बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध अनेक शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं जिन पर जांच के आदेश दे दिये गये हैं। इनका जालौन से स्थानान्तरण भी कर दिया गया है।

मान्यता-प्राप्त माध्यमिक एवं जूनियर माध्यमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति व जन-जाति के अध्यापक

*२५—श्री अब्दुल रऊफ लारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित तथा अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों को मान्यता–प्राप्त माध्यमिक एवं जूनियर माध्यमिक विद्यालयों में १८ प्रतिशत अध्यापक रखे जाते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम जी लाल सहायक—

नीति का यह प्रश्न सम्प्रति विचाराधीन है ।

सिंचाई विभाग के यान्त्रिक तथा सिविल अधिशासी अभियन्ता

*२६—श्री अब्दुल रऊफ लारी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में यांत्रिक के कुल कितने खंड हैं तथा उनमें यान्त्रिक तथा सिविल के अधिशासी अभियन्ताओं की संख्या अलग-अलग क्या है ? क्या सरकार के समक्ष कोई ऐसी योजना विचाराधीन है जिसके द्वारा सम्पूर्ण यान्त्रिक खंडों में सभी अधिशासी अभियन्ता (यान्त्रिक) को ही नियुक्ति किये जाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो इसका क्रियान्वयन कब कर दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

प्रश्न का पहला भाग—जी हां । यह सूचना संलग्न है ।

प्रश्न का दूसरा भाग—माननीय सदस्य के वर्तमान सत्र के छठे बुद्ध के तारांकित प्रश्न संख्या १६ के उत्तर में इसके बारे में पहले ही वस्तुस्थिति बताई जा चुकी है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ११९ पर) ।

*२७—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

(९वे बुधवार के लिये स्थगित) ।

*२८—श्री बृज पाल सिंह यादव—

(९वें बुधवार के लिये स्थगित) ।

विकास खंड हस्तिनापुर, मवाना और परी क्षतगढ़ (मेरठ) में निर्मित राजकीय नलकूप

*२९—श्री रेवती शरन मौर्य (जिला मेरठ)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला मेरठ के विकास खंड हस्तिनापुर, मवाना और परीक्षतगढ़ में अब तक कितने राजकीय नलकूप लगे हैं तथा वित्तीय वर्ष १९७४–७५ में कितने राजकीय नलकूप लगाये जाने की योजना है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

मेरठ जिले के विकास खंड हस्तिनापुर, मवाना और परीक्षतगढ़ में ३१–३–७४ तक क्रमशः १८, १३ व ३४ राजकीय नलकूप लगे हैं ।

मेरठ जिले में चालू वित्तीय वर्ष में अब तक २० नये राजकीय नलकूपों का निर्माण प्रस्तावित है। जिले के किन-किन विकास खंडों में कितने-कितने नलकूप लगेगें, इस बारे में निर्णय जिला चयन समिति द्वारा लिया जायगा।

कन्या जूनियर हाई स्कूल, रसूलाबाद (कानपुर) की अध्यापिका स्वर्गीय श्रीमती सावित्री देवी की ग्रेच्युटी व प्राविडेन्ट फंड

*३०—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के कन्या जूनियर हाई स्कूल, रसूलाबाद में श्रीमती सावित्री देवी, सहायक अध्यापिका के पद पर वर्ष १९६९ से कार्य कर रही थीं और अप्रैल, १९७३ में उनका स्वर्गवास हो गया है? यदि हां, तो उनकी विभागीय सामूहिक बीमा की धनराशि व ग्रेच्युटी तथा प्रावीडेन्ट फंड की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो उसे कब तक उनके परिवार के लोगों को दे दिया जायगा?

श्री राम जी लाल सहायक—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बी० टी० सी० प्रशिक्षण केन्द्रों का तोड़ा जाना

*३१—श्री देवी सिंह (जिला मुरादाबाद), श्री सुल्तान सिंह (जिला मुरादाबाद) तथा श्री महेन्द्र सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी० टी० सी० के ४७ प्रशिक्षण केन्द्र तोड़ दिये गये हैं? यदि हां, तो कब और इसका क्या कारण है? और उपरोक्त प्रशिक्षण केन्द्रों पर जो प्रशिक्षण का कार्य करते थे और जो अब बेकार घूम रहे हैं, उनके बारे में सरकार क्या सोच रही है?

श्री राम जी लाल सहायक—

जी हां।

४६ अस्थायी मान्यता प्राप्त बी०टी०सी० इकाइयां तोड़ी गई हैं। जुलाई, १९७४ से। बी० टी० सी० पास पुरुषों के लिये आगामी पांच वर्ष में उपलब्ध होने वाली रिक्तियों की संख्या से अधिक लोगों को प्रशिक्षिक न करने का निर्णय लिये जाने के कारण तोड़ी गयी इकाइयों में कार्यरत व्यक्तियों में से लगभग आधे अंशकालिक हैं जो अपने मूल पदों पर सेवा रत रहेंगे। शेष को प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं में सेवायोजित करने का विचार है।

अतारांकित प्रश्न

ग्राम केवलपुर, गोविन्दपुर, (गोंडा) के पानी निकासी हेतु योजना की मांग

१—श्री विजयपाल सिंह (जिला गोंडा) तथा श्री मंगरे सिंह (जिला गोंडा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिला की तहसील बलरामपुर के ग्राम केवलपुर, गोविन्दपुर आदि में जल-भराव की समस्या के निवारणार्थ पानी निकासी

हेतु गूल बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सर्वे कब हुआ, योजना अब तक प्रारम्भ न होने का कारण क्या है ? और वह गूल कब तक बन कर तैयार हो जायगी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

बहराइच-लखनऊ मार्ग पर घाघरा घाट पर पुल बनाने की मांग

२—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बहराइच-लखनऊ मार्ग पर घाघरा घाट पर रोड ब्रिज बनाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

इस समय विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा और मैनपुरी सीमा पर यमुना नदी पर पुल निर्माण की मांग

३—श्री बाबा रामनाथ तथा श्री वीरेन्द्र स्वरूप (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आगरा और जनपद मैनपुरी की सीमा बनाने वाली यमुना नदी के तटवर्ती मुकाम बटेश्वरनाथ पर कोई पुल बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? उसे क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सुल्तानपुर में गोमती नदी पर पैन्टून ब्रिज बनाने की योजना

४—श्री अम्बिका प्रसाद सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सुल्तानपुर में गोमती नदी पर कुडवार घाट, इसौली घाट तथा दियरा घाट पर पैन्टून ब्रिज (पीपे का पुल) बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

५—श्री जंग बहादुर तथा श्री गिरजा शंकर पाठक—

(९वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न १७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

कस्बा बेबर (मैनपुरी) में नहर विभाग का नाला

६—श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी (जिला मैनपुरी)—

क्या मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जिले में कस्बा बेबर के अन्दर से गुजरने वाले नहर विभाग के बरसाती नाले को नगर क्षेत्र समिति को सौंपने और पक्का कराने हेतु पिछले बारह वर्षों से चल रही कार्यवाही अभी तक पूरी नहीं हो सकी ? यदि हां, तो इस कार्य को पूरा करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

मामला विचाराधीन है ।

ग्राम सिरिया (गोंडा) का राप्ती नदी से कटाव

७—श्री विजय पाल सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोंडा के अन्तर्गत ग्राम सिरीया को राप्ती नदी काट रही है और उस पर पत्थर का पिचिंग देकर कटाव से बचाने का प्रबन्ध करने की क्या कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

ग्राम सिरियां को राप्ती नदी के कटाव से रक्षा हेतु योजना बनाने के लिये सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिये जा रहे हैं ।

जूनियर हाई स्कूलों (आजमगढ़) के चौकीदारों व चपरासियों का नया वेतन मान

८—श्री जंग बहादुर (जिला आजमगढ़) तथा श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत राजकीय जूनियर हाई स्कूलों में जो चौकीदार एवं चपरासी के पद पर कार्य कर रहे हैं उन्हें वेतन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार वेतन दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक—

राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, लालगंज को छोड़कर आजमगढ़ जनपद के समस्त राजकीय जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत चौकीदारों एवं चपरासियों को उत्तर प्रदेश, वेतन आयोग १९७१–७३ के प्रतिवेदन के अनुसार वेतन दिया जाता है । राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, लालगंज की प्रधानाध्यापिका का स्थानान्तरण हो जाने से सम्बन्धित कागजात समय पर न मिल सकने के कारण वहां के चौकीदार एवं चपरासी का वेतन पुनरीक्षित वेतन क्रम में निर्धारित नहीं हो सका है ।

रामकोला–सिंगहा मार्ग (देवरिया) का निर्माण

९—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रामकोला से सिंगहा होते हुए (देवरिया जनपद) जो सड़क खड्डा रोड में मिलाई जा रही हैं और सिंगहा गांव में एक मील कच्ची क्यों रह गयी है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

देवरिया जनपद में प्रश्न गत मार्ग का १०.४ किलोमीटर पेन्टेड हो चुका है। २.४ किलोमीटर भाग की स्वीकृति दी जा चुकी है जिस पर सिंघहा ग्राम पड़ता है। इस भाग के निर्माण के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पडरौना तथा विशुनपुरा ब्लाक (देवरिया) में निर्माणाधीन मार्ग

१०—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि पडरौना तथा विशुनपुरा ब्लाक में किन-किन सड़कों का निर्माण हो रहा है ? तथा उनका निर्माण कब तक पूरा करने का लक्ष्य है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

पडरौना ब्लाक में कोई मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन नहीं है। विशुनपुरा ब्लाक में बंधवा सुकई बाजार मार्ग विभाग द्वारा निर्माणाधीन है जिसके मार्च १९७५ तक पूर्ण होने की आशा है।

हरदोई जिले में हरदोई-फर्रुखाबाद सड़क का निर्माण

११—श्री पूरन लाल (जिला हरदोई)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई जिले में जो सड़क हरदोई से बावन होती हुयी फर्रुखाबाद जाती है उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है या नहीं ? यदि नहीं, तो कब तक पूरे होने की आशा है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

इस मार्ग के जिस भाग का निर्माण कार्य शासन द्वारा स्वीकृत है वह अभी पूरा नहीं हुआ है। स्वीकृत लागत में जितना कार्य पूरा हो सकेगा उसके जून १९७६ तक पूरे होने की आशा है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (बहराइच) के जूनियर इंजीनियर व अधिशासी अभियन्ताओं का कार्य-काल

१२—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के विभिन्न डिवीजनों में कुल कितने जूनियर इन्जीनियर और अधिशासी अभियन्ता तीन साल से काम कर रहे हैं तथा ऐसे जूनियर इन्जीनियरों और अधिशासी अभियन्ताओं को दूसरे जिलों में तबादला करने हेतु शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

बहराइच जिले में केवल दो डिवीजन हैं। इन डिवीजनों में कार्यरत जूनियर इन्जीनियरों तथा अधिशासी अभियन्ताओं से सें केवल ५ जूनियर इन्जीनियरों तथा एक अधिशासी अभियन्ता को ३०-६-७४ को ३ वर्ष से अधिक समय हो चुका था जिनके स्थानान्तरण आदेश जारी किये जा चुके हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद् (जालौन) के अध्यापकों का वेतन

१३—श्री वीर सिंह सेंगर—

क्या सरकार को जानकारी है कि जालौन जिले के बेसिक शिक्षा विद्यालयों के अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं को वेतन प्रतिमाह नियमित रूप से नहीं बंटता ? यदि हां, तो उसे नियमित करने के सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री राम जीलाल सहायक—

अध्यापकों/अध्यापिकाओं का वेतन नियमित रूप से प्रतिमास वितरित करने के लिये प्रयास किया जाता है, परन्तु कभी-कभी किसी कारणवश विलम्ब भी हो जाता है, जिसके निवारणार्थ शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रनेश को पुनः निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

तहसील कालपी (जालौन) में नलकूप लगाने की मांग

१४—श्री वीर सिंह सेंगर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जालौन जिले की तहसील कालपी में वर्ष १९७४–७५ में प्रत्येक विकास खण्ड में कितने नलकूप बनाने की योजना है तथा कब तक उनका छिद्रण प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

इस समय जालौन जिले में वर्ष १९७४–७५ में १५ नये राजकीय नलकूप का निर्माण प्रस्तावित है। जिले के किन-किन विकास खंडों में कितने-कितने नलकूप लगे इसका निर्णय जिला चयन समिति द्वारा किया जायगा।

मिही पुरवा से लौकाही (बहराइच) तक सड़क बनाने की मांग

१५—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जनपद के विकास खंड के मिहीपुरवा से लौकाही तक कोई सड़क एवं पुल बनाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

१६—श्री जयराम गौतम—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

पड़ेला तालाब, सुल्तानपुर के निर्माणाधीन ड्रेन का बन्द होना

१७—श्री जयराम गौतम (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पड़ेला तालाब कादीपुर, जिला सुल्तानपुर में प्रति वर्ष बाढ़ की भीषण विभीषिका से १० गांव जलमग्न हो जाते हैं ? क्या सरकार जल निकालने की कोई व्यवस्था कर रही है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

वर्षा ऋतु में पड़ेला ताल में अधिक पानी आ जाने के कारण निकटवर्ती ग्रामों की फसलें क्षति-ग्रस्त हो जाती हैं।

सिंचाई विभाग द्वारा १९५८ में पड़ेला ताल ड्रेन का प्रस्ताव बनाया गया था तथा इस ड्रेन का निर्माण कार्य मार्च १९६५ से प्रारम्भ हुआ था। लेकिन, भारी जन विरोध के कारण बन्द करना पड़ा जो अभी भी बन्द है।

१८–१९—श्री ऊदल—

(९वें बुद्धवार के लिये स्थगित)।

२०—श्री सत्य प्रकाश मालवीय तथा श्री अठई राम—

(९वें बुधवार के लिये स्थगित)।

मिर्जापुर नगर में गंगा नदी के घाटों का जीर्णोद्धार

२१—श्री आशा राम यादव (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर नगर को गंगा नदी की कटान से बचाने हेतु मिर्जापुर के घाटों के जीर्णोद्धार हेतु कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो यह योजना कब तक लागू होगी?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी हां। एक प्रयोजना बनाई गई है, जिस पर राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की मंजूरी होनी है। उसकी मंजूरी मिल जाने पर और धनराशि उपलब्ध होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

कटरा व हलधर मऊ ब्लाकों (गोंडा) के लिये नलकूपों की मांग

२२—श्री दीप नारायण पाण्डेय (जिला गोंडा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में कटरा ब्लाक व हलधर मऊ ब्लाक में अब तक कितने राजकीय नलकूप लग चुके हैं तथा सन् १९७४–७५ वर्ष में कितने नलकूप लगने की सम्भावना है?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

कोई नहीं।

(ख) वित्तीय वर्ष १९७४–७५ में गोंडा जनपद में १० नलकूपों के निर्माण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है। किन-किन विकास खण्डों में नलकूप लगाये जायेंगे इसका निर्णय जिला परामर्शदात्री तथा स्थान चयन समिति द्वारा लिया जायेगा।

बभन जोत व रहरा विकास खंड (गोंडा) में निर्मित नलकूप

२३—श्री दशरथ सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड बभन जोत व रहरा, जनपद गोंडा में कुल कितने राजकीय नलकूप हैं तथा इस वित्तीय वर्ष १९७४–७५ में और कितने नलकूपों के लगाने की योजना है?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

गोंडा जनपद के उक्त खंड में कुल ९ राजकीय नलकूप हैं। वित्तीय वर्ष १९७४-७५ में गोंडा जनपद में १० नलकूपों के निर्माण का प्रस्ताव है।

फर्रुखाबाद में हरिजन नलकूप चालकों की पदोन्नति

२४--श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)--

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि नलकूप खंड फर्रुखाबाद में किसी भी हरिजन कूप चालक को अभी तक पदोन्नति का अवसर नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी हां।

केवल स्थायी नलकूप चालक ही अमीन एवं नलकूप मिस्त्री के पदों पर पदोन्नति के पात्र होते हैं जिनकी पदोन्नति केवल योग्यता के आधार पर चयन द्वारा होती है। नलकूप खंड फर्रुखाबाद में दिनांक २६-२-७० को अमीन के पदों पर भर्ती के लिये स्थायी नलकूप चालकों से चयन किया गया था किन्तु इस अवसर पर कोई भी स्थायी हरिजन नलकूप चालक प्रोन्नति के योग्य नहीं पाया गया।

बलिया में दोहरीघाट सहायक पम्प नहर का निर्माण

२५--श्री राम सुन्दर पांडेय--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिलथरा, जिला बलिया से घाघरा नदी में से कोई पम्प नहर निकालने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे कार्यान्वित करने में सरकार के सामने क्या दिक्कत हैं ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जिला बलिया में बिलथरा में घाघरा नदी से पम्प नहर निकालने की योजना नहीं है, अपितु इसके ऊपर की ओर स्थित तुर्तीपार रेलवे पुल के नीचे से दोहरी घाट सहायक पम्प नहर निकालने की योजना है। इस योजना पर प्रारम्भिक कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

जरगों तथा अहरौला बांध (मिर्जापुर) के लिये प्रस्तावित नयी नहरें

२६--श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जनपद स्थित जरगों तथा अहरौला बांध से चुनार तहसील में कौन-कौन नई नहरें कहां से कहां तक निकालने के लिये स्वीकृत तथा प्रस्तावित हैं ? इन प्रत्येक नई नहरों से कौन-कौन से गांव लाभान्वित होंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

मिर्जापुर जनपद के चुनार तहसील में अहरौरा तथा जरगों बांध से पोषित नहर प्रणाली पर कोई नई नहरें स्वीकृत नहीं हैं। उपरोक्त बांधों के सिन्चन क्षेत्र में ६४ मील लम्बी नई नहरों के निर्माण का प्रस्ताव है। प्रस्ताव स्वीकृत होने व धन उपलब्ध होने पर

इनका निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इन प्रस्तावित प्रत्येक नहरों की सूची, इनसे लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची तथा वे कहां से कहां तक निकालने के लिये प्रस्तावित हैं, की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ. १२०–१२५ पर)

गोरखपुर व बस्ती जनपद में मुखालिसपुर व बखिरा लिफ्ट माइनर की सिंचन क्षमता

२७—श्री शारदा प्रसाद रावत—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर व बस्ती जनपद में मुखलिसपुर लिफ्ट माइनर व बखिरा माइनर की कार्य-क्षमता क्या है और वर्ष १९७०–७१ में कितने एकड़ में कितनी सिंचाई हुई? इस सम्बन्ध में आज से ३ वर्ष पूर्व की सिंचाई विवरण क्या है तथा कार्य-क्षमता बढ़ाने हेतु सरकारी आधार पर क्या प्रयास हो रहा है?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

गोरखपुर व बस्ती जनपद में कुआनो नहर (जो कि मुखलिसपुर पम्प नहर भी कहलाती है) की कार्यक्षमता १२० क्यूसेक्स तथा गोरखपुर जनपद में वखीरा पम्प नहर (द्वितीय) की क्षमता ५० क्यूसेक्स और बस्ती जनपद में वखीरा पम्प नहर (प्रथम) की क्षमता ३० क्यूसेक्स है। वर्ष १९७०–७१ में कुआनो पम्प नहर से १०३६० एकड़, वखीरा पम्प नहर (द्वितीय) से २७३५ एकड़ तथा बखीरा पम्प नहर (प्रथम) से ३०७६ एकड़ भूमि को सिंचन सुविधा उपलब्ध हुई।

उक्त नहरों द्वारा गत तीन वर्षों में हुई सिंचाई का विवरण संलग्न सूची में दी है।

वखीरा नहर प्रथम एवं द्वितीय की क्षमता बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। कुआनो पम्प नहर की क्षमता बढ़ाने हेतु एक योजना बनायी गयी थी जिसका पुनः मूल्यांकन किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी 'ङ' के पृष्ठ आगे. १२६ पर)

प्राइमरी पाठशालाओं (बाराबंकी) का भवन वा टाट-पट्टी का न होना

२८—श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी), श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर) तथा श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला गोरखपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत कुछ ऐसी प्रारम्भिक पाठशालायें हैं, जिनके पास न तो स्वयं का भवन है और न किराये का भवन है कुछ ऐसी प्रारंम्भिक पाठशालायें हैं जिनके भवन निर्माण के लिये धन प्राप्त किया गया और खर्च भी हो गया परतु इमारत अस्तित्व में नहीं आई तथा कुछ ऐसी प्रा० पाठशालायें हैं जिसमें न तो अध्यापकों के बैठने के लिये मेज कुर्सी है और न विद्यार्थियों के बैठने के लिये टाट-पट्टी है? यदि हां, तो उसकी अलग–अलग संख्या क्या है और सरकार भवन निर्माण कराने तथा मेज, कुर्सी व टाट-पट्टियों का प्रबन्ध करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री राम जी लाल सहायक—

ग्रामीण क्षेत्र में कुल ५७५ विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास न तो स्वयं का भवन है और न किराये का कुल १३१२ ऐसे विद्यालय हैं जहां अध्यापकों के बैठने के लिये पर्याप्त मात्रा में मेज कुर्सी नहीं है और ८५२ ऐसे विद्यालय हैं जहां विद्यार्थियों के बैठने के लिये पर्याप्त मात्रा में टाट पट्टियों का अभाव है। उन प्रारम्भिक पाठशालाओं के संबंध में जिनके लिये भवन अनुदान स्वीकृत किया गया, व्यय भी हो गया और भवन अस्तित्व में नहीं आये, की जांच की जा रही है। भवन निर्माण के लिये शासन द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान द्वारा लगभग ७२/७३ भवनों का निर्माण का प्रस्ताव है। साज-सज्जा के प्रबन्ध का उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों का था जिसका निकायों ने सम्यक रूप से निर्वहन नहीं किया है और यह प्रश्न भी विचाराणीय है।

नेता विरोधी दल, चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल से तथा कथित निष्कासन के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना तथा औचित्य के प्रश्नों की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब मैं विशेषाधिकार के सवाल पर आ गया हूं।

श्री शिव कुमार पान्डेय (जिला सुल्तानपुर)—

४२५ के अन्तर्गत हमको बोलने का समय दिया जाय. . . . ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको चेतावनी देता हूं कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। ४२५ को बोलने का समय नहीं दिया जा सकता है। अब विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया है। विशेषाधिकार की नोटिस भी नहीं देते हैं परन्तु खड़े हो जाते हैं। क्या व्यवस्था है और क्या अव्यवस्था है, माननीय श्री पांडेय जी इसको समझने की कोशिश करें। मैं आपसे कहूंगा कि नेता सदन और नेता विरोधी दल की गरिमा है। यह विधान, परम्परा और प्रथा से प्रतिष्ठित पद हैं। इसलिये मैं सभी से निवेदन करूंगा कि नेता विरोधी दल का पद है और अधिनियम के अन्तर्गत उसकी व्यवस्था है। इसलिये हल्के-हल्के कोई सवाल नहीं उठा सकते हैं।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, नेता विरोधी दल यदि सदन में हो ही नहीं, तो क्या सवाल हो।

श्री अध्यक्ष—

आपकी कल्पना की उर्वरता पर नेता विरोधी दल का अस्तित्व अवलम्बित नहीं है। आपकी कल्पना, दुष्कल्पना पर वह निर्भर नहीं करता है। वह अधिनियम के अन्तर्गत सृजित है। वह बहुमत और अल्पमत के आन्तरिक बल पर निर्भर करता है। आप लोग कृपा करके आसन ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

आप हमारी व्यवस्था जब तक नहीं सुन लेते तब तक कार्य नहीं चल सकता। नेता विरोधी दल नहीं रह गये तो यह कैसे चलेगा ?

श्री अध्यक्ष—

आप इस तरह से नहीं कह सकते हैं। आप जिम्मेदारी के साथ कहिए। यह दो माननीय सदस्यों ने दिया है। अखबार पर आधारित सूचना पर इस सदन में कुछ नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

श्री रुद्र प्रसाद और श्री काशीनाथ मिश्र ने चौधरी चरण सिंह के बारे में कि वह अब नेता विरोधी दल नहीं रहे यह विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है। इसमें विशेषाधिकार तो क्या औचित्य का प्रश्न भी नहीं उठता है और इसको मैं एक दम खारिज करता हूं।

श्री धर्मवीर—

अध्यक्ष महोदय, पहले मुझे सुन लीजिये, उसके बाद खारिज कीजिए।

श्री अध्यक्ष—

अखबार में कोई छापे कि श्री बहुगुणा नेता नहीं हैं या कोई विधायक कह दे तो मैं कुछ नहीं करूंगा। नेता, विरोधी दल और नेता, सदन के जो पद हैं वह अपनी ताकत पर हैं और किसी अखबार पर अवलंबित नहीं हैं, इसलिये मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री धर्मवीर— [* * *]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

किसी दल की क्या आन्तरिक स्थिति है, क्या इस पर यहां बहस होगी ? क्या आप कांग्रेस के आन्तरिक मामलों के बारे में बहस यहां मान लेंगे ? पार्टी के आन्तरिक मामले उठने का यह मंच नहीं है। मैं आप को इजाजत नहीं देता। आप जो कुछ कह रहे हैं वह कुछ नहीं लिखा जायगा।

श्री काशी नाथ मिश्र— [* * *]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप ऐसा अखबार पर आधारित कह रहे हैं।

श्री धर्मवीर— [* * *]

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं देता हूं। आप जो बोल रहे हैं उसको लिखा नहीं जावेगा। बिना इजाजत जो बोलेगा वह लिखा नहीं जावेगा।

(व्यवधान)

[* * *] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

प्रश्न यह है कि अगर आप शान्त नहीं रहेंगे तो मैं सदन को स्थगित कर दूंगा। अगर शासक दल इतना ऊहापोह करता है और नियम के विरुद्ध काम करना चाहता है तो माननीय नेता इसे देखें।

श्री धर्मवीर—

[* * *]

श्री अध्यक्ष—

यह कुछ नहीं लिखा जायगा। यह गंभीर विषय नहीं है। मैं आपको चेतावनी देता हूं। यह सवाल नहीं उठता। वह थे और हैं और जब तक कि उनका दल जो यहां बैठा है उसका बहुमत उनको रहेगा तब तक बावजूद आपके हल्ले गुल्ले के वह नेता रहेंगे।

एक सदस्य—

आप बलवान सिंह को बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं उनको इजाजत नहीं देता। क्या उनका बोलना जरूरी है? बोलने में कोई बलवान हो या निर्बल हो इसका ख्याल हम नहीं करते।

स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ की मांगों के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)—

शहरी क्षेत्र की स्थानीय निकायों के कर्मचारियों पर उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (१९७१–७३) की संस्तुतियां स्वायत्त शासन विभाग से जारी किये गये शासनादेश संख्या ७२०६-टी/९-१—११सा/७३, दिनांक २१–११–७३ द्वारा लागू की गई हैं और इन्हें राजकीय कर्मचारियों के समान समय समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता दिये जाने के आदेश भी प्रसारित किये गये हैं। इससे स्थानीय निकायों का कुल वेतन बिल रु० ११.९५ करोड़ से बढ़कर रु० २४.३४ करोड़ हो जाता है।

२—शासन ने यह आदेश भी जारी किये हैं कि स्थानीय निकायों को उनके कर्मचारियों की कुल परिलब्धियों पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से शासकीय सहायता दी जाय ताकि वे पुनरीक्षित वेतनमानों में अपने कर्मचारियों का वेतन आदि बहन कर सकें। यह शासकीय सहायता नगरमहापालिकाओं तथा श्रेणी १, २ व ३ की नगरपालिकाओं में २२ प्रतिशत, श्रेणी ४ की नगरपालिकाओं में २७ प्रतिशत तथा श्रेणी ५ व ६ की स्थानीय निकायों में ३१.५ प्रतिशत दी जाती है। इस शासकीय सहायता के लिये शासन पर वर्ष १९७४–७५ के बजट में रु० ६,९५,००,००० का व्यय भार पड़ेगा जिसके लिये प्राविधान कराया गया है।

३—जहां तक इन कर्मचारियों को नगर प्रतिकर भत्ता, आवास भत्ता तथा चिकित्सा भत्ता देने का प्रश्न है यह सब मामले त्रि-सदस्यीय समिति को विचारार्थ सौंपे गये हैं, जो स्थानीय निकाय कर्मचारियों की वेतन संबंधी विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिये गठित की गई है। उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जायगी। जहां तक पेंशन देने का प्रश्न है महापालिकाओं में पेंशन नियम लागू हैं और नगरपालिकाओं/

[* * *] अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

नोटीफाइड एरियाओं तथा टाउन एरियाओं के सम्बन्ध में, यदि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जायगी तो विचार किया जा सकता है ।

श्री अवधेश कुमार (जिला गोरखपुर)—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो त्रिसदस्यीय समिति गठित की गयी है इसके कौन कौन सदस्य हैं और इसकी रिपोर्ट कब तक आने की आशा है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

यह २५-१-७४ के आदेश द्वारा गठित की गयी है और इस समिति के अध्यक्ष स्वयं स्वायत्त शासन मंत्री हैं। इसके सदस्य श्री रामजी द्विवेदी, मेयर, नगर महापालिका, इलाहाबाद, और श्री हर कृष्ण मेहरोत्रा, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग हैं। इस समिति के सचिव निदेशक, स्थानीय निकाय रखे गये हैं।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वेतन आयोग की रिपोर्ट की परिधि में द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कर्मचारी नहीं आते और यदि ऐसा है तो क्या उनको भी उस परिधि में शामिल करने की कोशिश करेंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय—

यह जो उन्होंने दिया है उनके पूरे संघ की तरफ से है और जो टर्म आफ रेफरेन्स दिये हैं वे चार हैं :—

१—स्थानीय निकायों के कर्मचारियों पर नये वेतन लागू करने से उत्पन्न समस्यायें (असंगतियों के मामलों को छोड़कर ।)

२—स्थानीय निकाय कर्मचारियों को नगर प्रतिकर भत्ता, आवास भत्ता तथा चिकित्सा सुविधा देने का प्रश्न ।

३—विभिन्न नगर महापालिकाओं में १-४-७१ से ३१-७-७२ तक विभिन्न वेतन मानों में दिये गये मंहगाई भत्ते तथा अंतरिम सहायता की असमानता को दूर करने का प्रश्न ।

४—स्थानीय निकाय कर्मचारियों को नये वेतन मानों में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप हुई हानि को पूरा करने के लिये दिये गये वैयक्तिक वेतन को उनकी वेतन वृद्धियों में समायोजित न किये जाने का प्रश्न ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो त्रिसदस्यीय समिति बनायी गयी है जनवरी ७४ केआदेश से तो कोई सीमा उसकी बांधी गयी है कि इतने दिनों के अन्दर यह रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत कर देंगे ।

श्री राजमंगल पांडेय—

वैसे ३० सितम्बर, ७४ तक इसकी सीमा है। इसकी पहली मीटिंग १-८-७४ को होने वाली है ।

श्री कल्याण सिंह—

क्या यह सच है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य कर्मचारियों को जो मंहगाई भत्ता १-८-७२ को मिलता था वह उनके वेतन में सम्मिलित कर दिया गया जब कि

[श्री कल्याण सिंह]

स्थानीय निकायों में काम करने वाले कर्मचारियों को उसी तिथि यानी १–८–७२ को जो महंगाई भत्ता मिलता था वह उनके वेतन में सम्मिलित नहीं किया गया है ? यदि ऐसा है, तो क्यों और क्या सरकार इन असंगतियों को दूर करने का प्रयास करेगी ?

श्री राज मंगल पांडेय––

महंगाई भत्ते का जो उसूल है वह तो पहले से ही सब को मालूम है और शासन की तरफ से इस तरह का आदेश प्रसारित कर दिया गया है कि जो महंगाई भत्ता राज कर्मचारियों को देंगे वही स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को भी देंगे ।

श्री कल्याण सिंह––

राज्य कर्मचारियों को १–८–७२ को जो महंगाई भत्ता मिलता था वह उनके वेतन में सम्मिशित कर दिया गया और अलग से उनको महंगाई भत्ता मिलता है लेकिन स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता १–८–७२ को मिलता था वह उनके वेतन में सम्मिलित नहीं किया गया, तो इन असंगतियों को दूर करने का सरकार प्रयास करेगी ?

श्री राजमंगल पांडेय––

शब्द लोकल बाडीज है, वे स्वायत्त संस्थायें हैं, हम उनको महंगाई भत्ता दे देते हैं उसी दर से जो राज्य कर्मचारियों को देते हैं, लेकिन उसको वे उनके वेतन में मर्ज करें या न करें यह उनकी मर्जी पर निर्भर करता है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)––

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नगरों में रहने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिये ए, बी, सी श्रेणी के हिसाब से पहले से ही प्रतिकर भत्ता व महंगाई भत्ता के लिये नियम निर्धारित हैं तो फिर इस प्रश्न को इस त्रिसदस्यीय समिति के पास भेजने का मंतव्य क्या था ?

श्री राजमंगल पांडेय––

यह तो स्वतः उनकी मांग है कि उनको शहरों के हिसाब से महंगाई भत्ता व आवास भत्ता दिया जाय ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष––

नियम ५६ की ६ सूचनायें आयी हैं । उनमें किसी को मैंने नियम ५६ में स्वीकार नहीं किया है । लेकिन वक्तव्य के लिये श्री ओम प्रकाश सिंह का स्वीकार किया है ।

इसमें है––"उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी को केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटित धन तथा प्रशासनिक कार्य हेतु अधिकृत हिन्दी भाषा की तथाकथित उपेक्षा से जनता में असन्तोष ।"

इसी प्रकार से दूसरा माननीय रामसेवक यादव और श्री धीरेन्द्र सहाय का है । तो इन दोनों को मैंने केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, इसी सम्बन्ध में मैंने नियम ५१ में दिया है।

श्री अध्यक्ष—

आपका नाम भी उसमें जोड़ दिया जायेगा।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, बार बार नियम ५६ का प्रश्न उठता है क्योंकि इसका राज्य सरकार से सीधा सम्बन्ध है और वही इसके लिये जिम्मेदार है। उसकी उपेक्षा के कारण ही यह स्थिति पैदा हुई है।

श्री अध्यक्ष—

अविलम्बनीयता और महत्व दोनों की बातें होती हैं, तो इसलिये मैंने श्री ओम प्रकाश सिंह के प्रश्न को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है।

श्री काशी नाथ मिश्र—

(व्यवधान)

श्री राम सेवक यादव—

मान्यवर, मैं माननीय काशीनाथ जी से सहमत हूं कि इसको मान लिया जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, नियम ५१ में माना जाय। नियम ५६ का विषय नहीं।

श्री अध्यक्ष—

इसीलिये आपको बचाये रखना चाहता हूं कि कहीं लपेट में न आप आ जायें। यह हमने वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। दूसरा है श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री त्रिवेणी सहाय, माननीय बाबू लाल वर्मा, माननीय राजेन्द्र प्रसाद चौधरी और माननीय हरीश चन्द्र खंडेलवाल का गेहूं की वसूली के बारे में। इस पर सोमवार या मंगलवार को वक्तव्य हो जायेगा। माननीय खाद्य मंत्री जी ने कहलाया है कि वह सोमवार/मंगलवार को बयान देना चाहती हैं। तो इस पर माननीय मंत्री द्वारा वक्तव्य होगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

यह एक चीज पर तो बहस होगी। जो आपने कल कहा था, चर्चा के लिये अवसर मिलेगा, उससे यह चीज भिन्न है।

श्री अध्यक्ष—

यह जो भिन्न है, उसी भिन्नता को देखते हुए वक्तव्य होगा गेहूं और मैदा के बारे में। दो सवाल उद्वेलित कर रहे थे। तो अलग से हमने कर दिया कि सोमवार या मंगलवार को इस पर हो जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

लाइसेंस छीन लिये जा रहे हैं; लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, गरीबों से जबर्दस्ती वसूल किया जा रहा है; डी० आई० आर० में चालान किया जा रहा है, ये बातें भी बहस में शामिल होंगी या नहीं या केवल खाद्य स्थिति पर बयान देंगी।

श्री अध्यक्ष--

जो आपका है, वही जायेगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, इस वक्तव्य के दो भाग होंगे : एक भाग खाद्य-स्थिति के बारे में होगा और दूसरा भाग जो ज्यादती कर रहे हैं, लाइसेंस छीन रहे हैं, १०९ और डी० आई० आर० में चालान कर रहे हैं, उस पर होगा ।

श्री अध्यक्ष--

जबर्दस्ती जो गेहूं वसूलते हैं, जबरी जो मैदा के लिये कह रहे हैं, मैदे के अभाव के बारे में, दोनों बातों पर सोमवार या मंगलवार को हो जायेगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या उसमें यह भी शामिल होगा कि जो लाइसेंस रद्द कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो जायेगा ही । व्यापक हो जायेगा, कम नहीं होगा । कापी चली गयी है । नियम ५६ का दूसरा है श्री मलखान सिंह, श्री वीर सिंह, श्री भारत सिंह चौहान, श्री मुलायम सिंह यादव और श्री राम लखन का । यह स्वीकार नहीं किया गया । अल्प-सूचित प्रश्न कर लें । यह बहुत अनिश्चित है । पच्चासों गांवों के बारे में पूछ रहे हैं । कैसे बहस होगी ?

श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा) --

मान्यवर, बहुत से लोग मांग कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

इस पर प्रश्न कर लें । एक है, श्री सत्य प्रकाश मालवीय का, मुहल्ला अशरफ संडीला में कत्ल एवं डकैती के बारे में । इसको स्वीकार नहीं किया ।

डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)--

मान्यवर, वहां पर अन्न संकट है । सरकार की तरफ से उपेक्षा है ।

अध्यक्ष--

यह उपेक्षा का विषय नहीं है । यह हो सकता है कि कहीं किसी क्षेत्र में .... प्रश्न करें ।

डाक्टर मलखान सिंह--

वहां पर गम्भीर अन्न संकट है ।

श्री अध्यक्ष--

उसको बिलकुल अस्वीकार कर दिया है । वह स्वीकार करने लायक नहीं है । अल्प सूचित तारांकित प्रश्न आप कर सकते हैं ।

डाक्टर मलखान सिंह--

अल्पसूचित पर मेरा विश्वास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

वह इतना अनिश्चित है कि उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। आप उसे पढ़ लें। ५६ अथवा ५१ में मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता।

डाक्टर मलखान सिंह—

वहां पर जनता भूखों मर रही है। अन्न संकट है और कोई विकास की योजना लागू नहीं है। कोई पुल नहीं है और न कोई सड़क है।

श्री अध्यक्ष—

बिना इजाजत आप बोल रहे हैं

नेता विरोधी दल, चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल से तथा कथित निष्कासन के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना तथा औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

हम लोग सत्तारूढ़ दल में हैं और इसीलिये नियमों का पालन करते हैं। ज्यादा अनुशासित होने के नाते क्या हमको हक नहीं है, आप हमारी बात सुनें और व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

आपका दावा जो है कि आप बहुत अनुशासित हैं संदिग्ध है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैंने जो लिख कर दिया था उस पर आपने कह दिया कि अन्दरूनी पार्टी का मामला है। आपकी व्यवस्था मान लूंगा लेकिन जो तर्कसंगत बात हो उसे तो आप मानें।

श्री अध्यक्ष—

आप अनुशासित होने का दावा करते हैं। तो आप बैठें (बैठ गए)।

(व्यवधान)

काशीनाथ जी ने जो प्रश्न उठाया है विशेषाधिकार का वह उसकी परिधि में आता ही नहीं। जो हलके प्रस्ताव होते हैं उनको मैं सुनाता भी नहीं। विशेषाधिकार की अवहेलना का उपयुक्त विषय इस तरह से तो बन सकता है अगर मान लीजिये नेता सदन के खिलाफ पूरा बहुमत वोट कर दे और दूसरे को चुन ले और फिर दोनों बैठे हों और कहें कि हम नेता सदन हैं तो वह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न शायद हो सकता हो।

श्री काशीनाथ मिश्र—

औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

औचित्य पर भी आता हूं? अब कोई दूसरा विरोधी दल का नेता तो चुना नहीं गया है। औचित्य है या नहीं? मैं तो इसे परम अनौचित्य का विषय मानता हूं। इधर के सदस्य कहें कि मुख्य मंत्री नेता सदन नहीं हैं और आप कहें कि वह नेता विरोधी दल नहीं हैं यह किसी तरह से औचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

आप काशीनाथ मिश्र को सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने उसको खारिज कर दिया। औचित्य का सवाल बनता नहीं। औचित्य का सवाल हो नहीं सकता (व्यवधान) यह फिवोलस है।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

आपने निर्णय दे दिया. . . . .

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन के अन्दर उसी दल को मान्यता रहेगी जो दल बाहर इग्जिस्ट करते हैं और जो दल बाहर नहीं है उनका कोई अस्तित्व इस सदन में भी नहीं है। मेरा कहना यह है कि बी० के० डी० के नेता की हैसियत से यहां उन्हें नेता विरोधी दल की मान्यता थी. . . . .

श्री अध्यक्ष--

अब प्रश्न यह है कि मेरा निर्णय हो जाने के बाद भी यह मैं आपके सामने रखता हूं कि क्या यह अवमान का प्रश्न बनता है? निर्णय के बाद किसी बात को अनुचित ढंग से उठाने के बारे में अब बहस होगी। यह मैंने निर्णय दे दिया। अब बहस यह होगी कि माननीय काशीनाथ जी मिश्र और कोई भी माननीय सदस्य जो सवाल उठाना चाहता है, उठा सकता है या नहीं उठा सकता है. . . . . (व्यवधान)। इधर से भी कोई माननीय सदस्य खड़ा होकर यह भी कह सकता है कि माननीय बहुगुणा को कांग्रेस पार्टी का बहुमत प्राप्त नहीं है . . . . . (सदन में घोर व्यवधान हो गया)।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मेरा एतराज यह था कि वह हैं या नहीं। आप तो रूलिंग देने लगते हैं। आई एम रेजिंग ए प्वाइन्ट आफ आर्डर एन्ड आई कैन रेज प्वाइन्ट आफ आर्डर। योर डिसीजन शैल बि फाइनल. . . . . .

एक सदस्य--

आप अग्रेजी में धमकी दे रहे हैं?

श्री काशीनाथ मिश्र--

आई एम कोटिंग दि प्रीसीज्योर इन दि हाउस आफ कामन्स।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इस देश के अखबारों में बहुत सी चीजें छपती हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अखबारों की सूचना पर न जायं . . . . .

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, यह मेरी निजी जानकारी है और माननीय बलवानसिंह जी ने कहा है . . . . . .

श्री अध्यक्ष--

मैं खड़ा हूं और आप बोल रहे हैं क्या यह औचित्य की बात है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरह से एक दिन भी सदन नहीं चल सकता है। आप नासमझी के कारण

व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं। मैं कोई पक्ष नहीं कर रहा हूं। अखबार में २ आदमी राष्ट्रीय समिति के, उनको नेता न मानें, तो इस तरह से रोज आपकी सरकारें भी बदल सकती हैं और राष्ट्रीय नीति का सवाल यहां पर आयेगा .....

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं आपसे सहमत हूं लेकिन मैं अन्दरूनी बात बता रहा हूं ....

श्री अध्यक्ष—

इसलिये मैं आपको, दल को, आपके दल के नेता को कहूंगा .....

(श्री बलवान सिंह के खड़े होने पर)

मैं आपको, इजाजत नहीं देता हूं। आप कृपया बैठें। मैं निर्णय दे चुका हूं। नेता सदन का चुनाव कांग्रेस पार्टी करती है। नेता विरोधी दल जो होता है वह दूसरी बहु-संख्यक पार्टी का होता है ..... (व्यवधान)

श्री राम सेवक यादव—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब आपने निर्णय दे दिया तो वह सभी को मान्य होना चाहिये लेकिन जो लोग बार-बार उसी सवाल को उठाना चाहते हैं तो उससे मैं समझता हूं कि जो अनुदान आज पेश होने वाला है उस पर ये अड़ंगा लगाना चाहते हैं और उस पर ठीक तरह से बहस नहीं होने देना चाहते हैं। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उसकी बहस चलने दें। माननीय मन्त्री जी खामोश बैठे हुए हैं, ऐसे महत्वपूर्ण सवाल पर। तो इनकी मंशा साफ है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सामुदायिक विकास मंत्री।

श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, मुझे कुछ कहना है। मैं जरा दो मिनट चाहता हूं, मेरी बात आप सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष—

आपको इजाजत नहीं है, क्योंकि कोई सवाल नहीं है।

श्री राम सेवक यादव—

आपने मन्त्री जी को पुकारा, किन्तु उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और मन्त्री जी जानबूझ कर बहस नहीं चलवाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने पुकारा। किसी ने सुना नहीं। इसलिये मैं १५ मिनट के लिए सदन को स्थगित करता हूं।

(इस समय १२ बजकर ३५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और १२ बजकर ५० मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सामुदायिक विकास मन्त्री।

श्री बलवान सिंह—

श्रीमन्, आपने जो यह व्यवस्था दी है .....

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

बैठिए ।

श्री बलवान सिंह—

मैं दो मिनट का टाइम आप से चाहता हूं ।

एक सदस्य—

यह इधर से नहीं बोल सकते ।

एक सदस्य—

बोलने का मौका दिया जाय, अध्यक्ष महोदय ।

श्री बलवानसिंह—

श्रीमन् मैं आपसे दो मिनट चाहता हूं ।

एक सदस्य—

मान्यवर, कार्यवाही आगे चलाएं ।

श्री शफ़ीकुर्रहमान वर्क (जिला मुरादाबाद)—

आप रूलिंग दे चुके हैं । इसको रिओपेन करेंगे ?

१९७४–७५ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या ४५—सामुदायिक विकास, अनुदान संख्या ७८—सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ९४—ऋण और अग्रिम सामुदायिक विकास

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

(शोर के बीच) मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४५–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १५,३५,३६,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७८–सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को अतिक्रमित करते हुए २६,५०,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—

दो मिनट का टाइम आप देंगे या नहीं देंगे ।

श्री अध्यक्ष—

लिख कर देंगे तब देखा जायगा ।

श्री बलवानसिंह—

मैंने आपसे दो मिनट का टाइम मांगा ।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह कह रहा हूं कि जो प्रश्न सबेरे उठा था उसके अलावा, जिस पर मैं निर्णय ले चुका हूं और निर्णय लेने का कारण है, विशेषाधिकार की सूचना दो प्रतिक लेने होगी और अध्यक्ष को सम्बोधित नहीं होगी सचिव को सम्बोधित होगी ।

मैंने एक दिन कहा था—एक ने कहा कि दादा फफीम खाब । उसने कहा–बेटा पहले नाम सीख लो । पहले कोई आर्डर में आये । विशेषाधिकार के सवाल को हमने रूल आउट कर दिया । वह आर्डर में है ही नहीं । अगर आप इस तरह आग्रह करेंगे तो काम कभी नहीं चल सकता ।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

व्यवस्था का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था का सवाल नहीं है । क्या व्यवस्था का सवाल है जब मैं खारिज कर चुका हूं । इस तरह से नहीं । विशेषाधिकार के सवाल को, इतने दिन के सदस्य हैं, उसकी प्रक्रिया को समझें ।

श्री धर्मवीर—

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं । विशेषाधिकार पर नहीं बोलना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

क्या आप यह कह रहे हैं कि सामुदायिक विकास मन्त्री न मूव करें ? मूव करने के बाद शासक दल क्या कहेगा ? क्या समझे सामुदायिक विकास मंत्री के रास्ते में, इस बजट में रुकावट डालना चाहते हैं ?

श्री श्याम मिश्रा (जिला कानपुर)—

आपका ख्याल गलत है । इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री श्याम मिश्रा सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष—

यह खयाल सही है । हमेशा के लिये आप जाये मुझे आपत्ति नहीं होगी । प्रश्न यह है कि हमारे पास जो लिखित आयेगा उसी पर मैं निर्णय दूंगा । यह आप जानते हैं कि अधिनियम बना है । अधिनियम में नेता विरोधी दल का पद सृजित है और अध्यक्ष जिसको किन्हीं आधारों पर समझता है वह नेता विरोधी दल रहता है । इस लिये मैं यह कहूंगा कि किसी को किसी दल की बाहर की नीतियों और निर्णय को यहां. . . .

(व्यवधान तथा शोर)

(व्यवधान)

श्री बलवान सिंह—

मैं भी सदन का त्याग कर रहा हू ।

(श्री बलवान सिंह सदन त्याग करके चले गये ।)

(व्यवधान तथा शोर ।)

श्री अध्यक्ष—

आप हल्ला क्यों कर रहे हैं। एक सदस्य जाता है तो अरुचिकर क्या चीज है।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

उधर से भी एक सदस्य चले गये हैं, इसका पता नहीं चला।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ९४ ऋण और अग्रिम सामुदायिक विकास के अन्तर्गत होनें वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५,००,००० रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैंने यह तीन अनुदान प्रस्तुत किये हैं। मैं थोड़ा सा विवरण दे देना चाहता हूं। अनुदान संख्या ४५ में लघु सिंचाई कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, नेत्र चिकित्सा सेवा है, सूखाग्रस्त कार्यक्रम है, प्रायोगिक गहन योजना, पेय जल योजना, पौष्टिक आहार योजना और पुष्टाहार कार्यक्रम है। अनुदान संख्या ७८ में लघु सिंचाई मशीनों तथा उपकरण का क्रय व कृषि विभाग के अन्तर्गत भूमि विकास निगम को अंशदान व बोरिंग गोदाम व सामुदायिक विकास भवन निर्माण (मैदानी क्षेत्रों में) के लिये व्यवस्था है। तीसरे अनुदान संख्या ९४ में ऋण और अग्रिम हेतु ५ लाख रूपये की (योजनागत) व्यवस्था है। यह ऋण मैदानी क्षेत्रों के कृषकों को लघु सिंचाई कार्यों के लिये दिये जायेंगें।

सामुदायिक विकास विभाग समुदाय और जनता के विकास के कार्य करता जनहित में जितने भी देहात में कार्य होते हैं वह सब इसी के अन्तर्गत आते हैं। उन्नतिशील बीजों का वितरण, रासायनिक खाद का वितरण, लघु सिंचाई योजना और सम्पर्क मार्ग इस प्रकार के अनेक विकास कार्य देहात में होते हैं, ये सब कार्य इसी के अन्तर्गत आते हैं।

इसी बीच प्रदेश में १९७२ से एक नयी योजना सामुदायिक विकास विभाग के अन्तर्गत आई है। एक योजना के अन्तर्गत सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम ६ जिलों में चला है। ७०–७१ मिर्जापुर जिले में यह प्रारम्भ किया गया था । १९७१–७२ में प्रदेश के जिलों में वाराणसी, मिर्जापुर, इलाहाबाद, बांदा, जालौन और हमीरपुर में चला है १२ करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार से इन जिलों में सिंचाई के साधन तथा यातायात के साधनों के लिये आया है। इन रुपयों से ९८ हजार २१३ हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की व्यवस्था की गई है तथा ४४९ किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है । १ करोड़ १ लाख ७९७८६ मान दिवस जो मजदूरी करने वाले थे उनके लिये है। यह योजना पंच वर्षीय योजना में भी चलेगी। इसके लिये १४ करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया है और १४ कपोड़ रुपया आयोजनागत से प्रदशीय सरकार को खर्च करना पड़ेगा। इस तरह से इन ६ जिलों में जो सूखा की स्थिति है, कठिनाई है वह कठिनाई कुछ हद तक दूर हो जायगी । ऐसा मेरा विश्वास है ।

इसके अतिरिक्त एक दूसरी योजना बलिया जिले में चल रही है और वह है प्रायोगिक गहन ग्रामीण रोजगार योजना। १९७२ में यह प्रारम्भ की गयी थी और यह सिर्फ ३ वर्ष के लिये है। पहले वर्ष में १९७२ से ७३ तक १० लाख रुपये व्यय हुए हैं और ३ हजार ५ सौ आठ व्यक्तियों को रोजगार मिला है तथा ३७.३ किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है। अप्रैल १९७४ तक २ लाख ५० हजार व्यक्तियों को काम मिला है। अक्तूबर १९७५ को यह योजना समाप्त हो जायेगी। इस तरह से ये दो विशेष योजनायें हैं। इनके अतिरिक्त लघु कृषक विकास योजना, मार्जिनल कृषक योजनाये हैं। इस तरह से कुछ योजनायें हमारे प्रदेश के बलिया, मथुरा और बदायूं जिलों में हैं।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ पंचायत राज विभाग के भी कुछ कार्यों को संक्षेप में बता देना चाहता हूं। मान्यवर ७२, ८४९ के लगभग हमारे प्रदेश में ग्राम पंचायत हैं उनका चुनाव १९७२ में समाप्त हो गया था उसके बाद न्याय पंचायतों का संगठन प्रारम्भ कर दिया गया है और लगभग ७५७२ न्याय पंचायतों का संगठन हो गया है। क्षेत्र समिति के चुनाव हुए और अब जिलापरिषदों के चुनाव सितम्बर, २२ तक समाप्त करने का विचार है। ग्राम पंचायतों ने अपने-अपने क्षेत्र में विकास के कार्य किए हैं उन कामों से गांव वालों को बहुत बड़ा लाभ हुआ है। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां ५२ से पहले किसान रूढ़िवादी था, पुराने ख्याल का था, जो आधुनिक ढंग से कृषि बीज तथा रसायनिक खाद पर विश्वास नहीं करता था। वह रूढ़िवादिता ग्रसित था। सामुदायिक विकास विभाग ने बहुत बड़ा काम किया है और स्थिति यह है कि गांव का किसान आज उर्वरक के लिये लालायित है। अगर उसे सीधे-सीधे उर्वरक नहीं मिलती है तो दूसरे तरीके से भी हासिल करता है क्योंकि उसकी उपयोगिता सबको अच्छी तरह से मालूम हो गयी है या यों कहिए कि किसानों में जाग्रति आ गयी है। मैं समझता हूं कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए यह विभाग बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर सकेगा। हो सकता है कि कमियां हों। मैं नहीं कहता हूं कि कमियां नहीं हैं। जो कार्य हमारे इस विभाग द्वारा ग्रामों का विकास हो रहा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, उससे जनता को बहुत बड़ा लाभ पहुंचा है।

मान्यवर, प्रादेशिक विकास दल इस प्रदेश में १९४८ में बना था। प्रारम्भ में यह पी० आर० डी० के नाम से जाना जाता था और यह सुरक्षा का काम करता था और पुलिस की मदद भी करता था। आज उनको भी ग्रामों के विकास में लगा दिया है। हमारे प्रदेश में युवक मंगल दल भी स्थापित हैं वह युवक मंगल दल विकास के कामों में सहयोग प्रदान कर रहा है। इतना ही नहीं हमारी ४० व्यायामशालायें काम करती हैं। उन व्यायामशालाओं के द्वारा स्वास्थ्य की शिक्षा देते हैं वह अपने स्वास्थ्यवर्धन के लिये व्यायाम की शिक्षा लेते हैं। इस तरह से तैराकी प्रशिक्षण है। एक लखनऊ में है और ४ अन्यत्र हैं। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण काय है और यह विभाग इस प्रदेश के विकास में ग्रामीण विकास में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है।

एक प्रश्न हमारे सामने है कि देहात के युवकों के संगठन को कैसे बनाया जाय, क्योंकि ग्रामीण युवक बराबर अपनी खेती में काम करते हैं। ग्रामीण युवकों का एक संगठन

[श्री बलदेव सिंह आर्य]

हमारे प्रदेश में बन जाय जैसा कि कालेजों में, युनिवर्सिटियों में है। इसी प्रकार से ग्रामीण युवकों के बारे में सोचने की आवश्यकता है ताकि हम ग्रामीण विकास की ओर युवकों को आकर्षित कर सकें। १९७२ में हमने गांवों में जो निर्माण के काम हैं उन निर्माण के कामों को कराने के लिये एक ग्रामीण अभियंत्रण सेवा का श्रृजन किया था। उस सेवा के द्वारा विकास खंडों में भवन निर्माण किये जाते हैं और जो चिकित्सालय हैं, सम्पर्क मार्ग हैं, उनका यह काम हमारा अभियंत्रण विभाग करते हैं। ऐसी कुछ चीज हैं जिनको मैं इस आदरणीय सदन के समक्ष रखता हूं। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वह अपने विचार व्यक्त करें। मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। यदि आज्ञा होगी तो अन्त में कुछ कहने की स्थिति में होऊंगा।

*श्री शारदा भक्त सिंह (जिला हरदोई)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४५ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७८ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९४ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीतियों की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

अध्यक्ष महोदय, मैं जिन अनुदानों के संबंध में कटौती का प्रस्ताव रखने को खड़ा हुआ हूं कि वह अनुदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसका संबंध में प्रदेश के उन ८० प्रतिशत ग्रामवासियों से है जिनका जीवन आज अत्यन्त दयनीय दशा में चल रहा है, उनका मुख्य व्यवसाय खेती है और ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान उस खेती से जुड़ा हुआ है। मैं जानता हूं इस सामुदायिक विभाग द्वारा इस ग्रामीण क्षेत्र में २५ वर्ष से जो कार्य हुए हैं उसका फल बड़ा संतोषजनक निकल सके, गांव की स्थिति अब भी अत्यन्त दयनीय है। लोगों का जीवन अब भी जिस स्तर का होना चाहिये नहीं है। महात्मा गांधी प्रत्येक गांव को एक गणराज्य के रूप में कार्य करने की बात कहते थे। उनका तात्पर्य यह था कि प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर हो, अपनी आवश्यकताओं को अपने आप पूरा कर सकें और जो स्थानीय समस्याएं हैं उनको अपने आप पूरा करें।

(इस समय १ बजकर १० मिनट पर अधिष्ठाता, कुंवर श्री पाल सिंह पीठासीन हुए।)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज अगर ग्रामीण क्षेत्र की दशा देखी जाय तो हमें पता चलता है कि वहां पर हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे हम कह सकें कि गांव की स्थिति संतोषजनक है। प्रत्येक गांव में हमने कई बार घोषणा तो की लेकिन आज तक जो हमारी सबसे प्राथमिक आवश्यकता है पानी के पीने की उसका भी प्रबन्ध नहीं कर सके।

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खाद्य के सम्बन्ध में भी कई बार कहा गया कि इसके सम्बन्ध में जो हमारी नीति है, वह अत्यन्त चिन्ताजनक है। खेती के सम्बन्ध में भी न तो हम पानी दे पा रहे हैं, न बिजली दे पा रहे हैं और उन्नत बीज भी हम देने में असमर्थ हैं। खाद्य की अनुदानों के सम्बन्ध में जब सदन में चर्चा हो रही थी तो यह बात कही गयी थी कि लगभग २ करोड़ रुपये का जो बीज दिया गया वह अच्छी नस्ल का बीज नहीं था और उसके कारण उत्पादन पर बड़ा आघात पहुंचा। जहां तक अन्य साधनों का सवाल है, ये साधन हमारे गांवों में बहुत कम हैं और गांव में रहने वाले लोग सरकारी लोगों के मुंह की ओर निहारते रहते हैं क्योंकि वे प्रत्येक काम में आत्म निर्भर नहीं हैं। इसलिये ऐसे अनुदान के सम्बन्ध में, मैं समझता हूं कि विभाग को अत्यन्त सतर्कता के साथ कार्य करना होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश गांवों में ही बसा हुआ है और यहां तक कि इन गांवों पर ही निर्भर करता है। जहां तक सामुदायिक विभाग है, जिस प्रकार से पानी बहता है, हवा चलती है, उसी प्रकार से अपने आप चल रहा है। उसमें किसी प्रकार का निर्देश नहीं चल रहा है। मैं इस बात को कहने में तनिक भी संकोच नहीं करता कि इस विभाग का जिन उद्देश्यों और लक्ष्यों के लिये निर्माण किया गया था, उनकी पूर्ति संभव नहीं हुई है। इस बात को देखते हुए कि इस विभाग को किन लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिये गठित किया गया था, हमें इस विभाग के गठन के इतिहास पर जाना पड़ेगा। १९४८ में एक पाइलेट प्रोजेक्ट इटावा जिले में मेयर एल्वर्ट की सलाह से स्थापित किया गया था। उसमें जो कार्य हुआ, उसके अनुभव का फायदा उठाकर आगे की योजना बनायी गयी।

१९५० में भारत सरकार ने प्लानिंग कमीशन की स्थापना की और १९५२ में सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा १९५३ में एक राष्ट्रीय प्रसार सेवा का संगठन किया गया। पहली पंच वर्षीय योजना में यह प्रयत्न किया गया कि सामुदायिक विकास के कार्यक्रम बनाये जायं और सरकार द्वारा जो कार्यक्रम बनाये गये उसमें जनता का उत्साहपूर्वक योगदान लिया जाय और इस प्रकार का प्रयत्न होने पर भी यह मालूम पड़ा कि जनता में इसके प्रति कोई उत्साह नहीं आया। ये सरकारी योजनायें सरकार द्वारा ही सम्पादित हुयीं और गांवों के गांववासी इनमें अधिक भाग न ले सके। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में भी इस बात को सोचा गया कि यदि सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों में जनता का सहयोग प्राप्त नहीं होता, उत्साहपूर्वक वे इसमें भाग नहीं लेते और प्रेरणा प्राप्त नहीं करते तो जो उद्देश्य है इसके पीछे वह ही समाप्त हो जायगा। इसलिये प्रयत्न किया गया कि ग्रामीण स्तर से जो योजनाओं की रचना है जनता द्वारा जितना सम्भव हो, उन कार्यों को सम्पादित किया जाय परन्तु जो आशा थी, वह उस समय भी पूरी नहीं हुई। सरकारी योजना ही रही और सरकार द्वारा ही सम्पादित हुई। प्रथम पंच वर्षीय योजना में इसके लिये अंग्रेजी में कहा गया"—It was a Government plan with Govt's participation" दूसरी योजना में भी कहा गया कि—It was a Government plan with little public participation"

लेकिन जब इस प्रकार की स्थिति रही तो भारत सरकार ने एक समिति बैठाई जो कमेटी आन प्लान प्रोजेक्ट्स थी और उसके सामने यह प्रश्न रखा गया कि एक ऐसी रूप-रेखा तैयार की जाय, ऐसा ढांचा निकाला जाय जिससे सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों

[श्री शारदा भक्त सिंह]

में आज जनता की रुचि हो, वह अपनत्व के भाव से काम करें और ऐसा वातावरण बने कि गांव के लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इस समिति ने विचार करने के बाद पंचायत राज के रूप में तीन संस्थाओं का गठन करने की सिफारिश की और उसके फलवरूप एक श्री टायर स्ट्रक्चर, गांव में गांव पंचायत के स्तर पर विकास खंड के स्तर पर क्षेत्र समिति और जिला स्तर पर जिला परिषदों के गठन की सिफारिश की गयी और इन तीनों के गठन के बाद सामुदायिक विकास का कार्य तीन जन प्रतिनिधि संस्थाओं के द्वारा करने का प्रयत्न किया गया। इन संस्थाओं की रूपरेखा और ढांचा शास्त्रीय दृष्टि से तो ठीक बन गया, लेकिन व्यावहारिक जगत में कोई विशेष अन्तर नहीं आया, इसलिये आज भी हम इस सामुदायिक विकास के कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति हुई या नहीं, इस दृष्टि से विचार करें।

पहली बात जो हमें देखनी है वह यह कि सरकार चाहती थी कि इन जन-प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा जनता स्वयं इन कार्यक्रमों में उत्साह के साथ भाग ले सहभागी बने, और अपने योगदान और सहयोग से सब कार्य संपादित करे। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह पहलू आज भी पूरा नहीं हुआ। आज भी यह देखा गया है कि सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों को सरकारी अधिकारी संपादित करते हैं, रचना करते हैं और उसके जो लक्ष्य हैं उन्हें पूरा करके संतुष्ट हो जाते हैं। आज भी जनता का पार्टिसिपेशन जिस रूप में होना चाहिए इन कार्यक्रमों में वह नहीं है और उसका विशेष कारण यह है कि किसान के विकास कार्यों के लिये जो सुविधा सामुदायिक विकास के अधिकारी कर सकते थे वह उनके अधिकार में नहीं है। उन्हें समय से पानी विकास खंड अधिकारी नहीं दे सकते, बिजली का प्रबन्ध नहीं कर सकते, बीज अच्छे और जिस प्रकार के चाहिये वह विकास अधिकारी नहीं दे सकते और ऋण देना भी उनके हाथ में नहीं है। इसलिये जो गांव-गांव में बहुंधंधी ग्राम सेवक काम करते हैं और ब्लाक स्तर पर विकास अधिकारी रहता है उसकी ओर ही गांव के लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिये निहारते हैं, लेकिन आज स्थिति यह है कि इनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है कार्य करने केलिये, कोई क्षमता और अधिकार नहीं है कि सीधे जनता की सहायता कर सकें और इसलिये आज विकास अधिकारियों और जनता में अन्तर बढ़ रहा है, खांई बढ़ रही है। नतीजा यह हो रहा है कि आज ७० फीसदी विकास बजट सरकारी कर्मचारियों की नौकरी में समाप्त हो जाता है और १० परसेंट इनके भ्रष्टाचार में समाप्त होता है। १५–२० परसेंट केवल उनके हाथ में रह जाता है जिससे वह जनता को संतुष्ट नहीं कर सकते।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां हमने यह सोचा था सामुदायिक कार्यक्रम के लिये प्रेरणा जनता को मिलेगी वहां साथ ही अपनी शिक्षा का भी अनुभव मिलेगा, यानी एजूकेशन साइड भी हमारे सामने थी। इस तरह अगर ध्यान दिया जाता, ग्रामीण जनता को प्रशिक्षित किया जाता तो उससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होता, लेकिन शिक्षण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। विकास स्तर पर पहले एक ए० डी० ओ० की नियुक्ति की जाती थी जो शिक्षण के कार्य को करता था, उससे ग्रामीण जनता का मार्ग दर्शन होता था, उनको अपने को सुधारने का एक अवसर मिलता था, लेकिन अब उस ए० डी० ओ० की पोस्ट को समाप्त कर दिया गया है। इसके कारण जिस मुख्य लक्ष्य को सामने रख कर इस कार्य–क्रम को चलाया गया था वह लक्ष्य ही अधूरा रह गया उनको शिक्षा न मिलने के कारण वे आज अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। आगे इन कार्यक्रमों में भी जो इस विभाग द्वारा चलाये जाते हैं वे

भाग नहीं ले पाते क्योंकि उनको वह जानकारी होती नहीं जो होनी चाहिये। सरकार जो वातावरण अपने प्रदेश में इन कार्यक्रमों के द्वारा बनाना चाहती थी वह बन नहीं सका। जिस उद्देश्य से हमने इस कार्यक्रम को चलाया था और जो लक्ष्य अपने सामने रखा था उसकी पूर्ति आज तक नहीं हो पायी है। आज न तो जनता का सहयोग ही हमें मिल रहा है और न जनता का दृष्टिकोण जानने का ही सरकार द्वारा प्रयास किया जाता है।

सबसे खेद जनक बात इस कार्य-क्रम के संबंध में यह है कि इसका लाभ बेचारे निर्धन किसानों को नहीं पहुंच पाता, जो कुछ साधन सम्पन्न लोग होते हैं वे ही सामुदायिक विकास कार्य-क्रमों का लाभ उठा पाते हैं। जो साधन सम्पन्न लोग होते हैं वे ही ग्राम सेवकों आदि से मिल कर लाभ उठा लेते हैं, निर्धन लोगों को कोई लाभ नहीं हो पाता। आपके यह ग्राम सेवक उन निर्धन किसानों तक पहुंच ही नहीं पाते। उन गरीब लोगों को आपके कार्य-क्रमों की कोई जानकारी ही नहीं हो पाती।

एक बात मैं और मंत्री जी से आपके द्वारा, अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं। इस योजना के अन्तर्गत जो आपके ब्लाक के अधिकारी व ग्राम सेवक आदि होते हैं वे जिलाधिकारी द्वारा ही निर्धारित कामों को सदा करते हैं, उनके पास अपनी कोई कार्य-सूची नहीं रहती। परिवार नियोजन, अल्प बचत योजना तथा गेहूं वसूली आदि के जो भी कार्य-क्रम समय-समय पर होते हैं उन्हीं कामों के लिये रात-दिन इनको दौड़ाया जाता है, उनको अपने काम करने की फुरसत ही नहीं रहती। जिन कामों को उन्हें कराना होता है वे इसके द्वारा ही करा लिये जाते हैं. . . . . , और सबसे बड़ी खराबी है, वह यह है कि चाहे अल्प बचत योजना हो, चाहे गेहूं की वसूली हो, चाहे परिवार नियोजन हो। इन कामों की रात-दिन करने के बावजूद भी कोई श्रेय इन कर्मचारियों को प्राप्त नहीं होता है। जो उनके विभागाध्यक्ष हैं, जो उनके विभागीय अधिकारी हैं, यह श्रेय उन्हीं को मिलता है। और इसलिये रात दिन काम करने के बाद भी जब इन कर्मचारियों को कोई श्रेय प्राप्त नहीं होता है तो उनमें हीन भावना पैदा हो जाती है। उनमें निराशा पैदा हो जाती है।

आज मैं समझता हूं कि ब्लाक स्तर के अधिकारी और ग्राम सेवकों में अपने भविष्य के बारे में बड़ी चिन्ता है। उनको कोई केडर नहीं है। जो ग्राम सेवक इतने दिनों से कार्य कर रहे हैं उनके कोई सेवा लक्ष्य नहीं हैं। इसलिये केडर न होने के कारण उनको अपने आगे के भविष्य की कोई आशा नहीं है। कई बार सदन मांग कर चुका है, पिछली बार बजट पर बोलते हुये माननीय ओमप्रकाश जी ने कहा था कि इस सामुदायिक विभाग का निदेशालय भी अलग होना चाहिये, और यह कहा गया था कि यह सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र ही इस पर निर्णय हो जायगा। लेकिन आज तक निर्णय लिया जा रहा है। कोई भी सामुदायिक विकास विभाग को निकट से, सीधे से, देखने का उत्तरदायी नहीं है।

इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हम अगर निदेशालय बनायें तो इसमें वही अधिकार रखें जो अपने को इस विभाग से संबद्ध कर सकें, इस विभाग की उन्नति कर सकें।

[श्री शारदा भक्त सिंह]
इसकी उन्नति में और अवनति में अपनी ऊंचाई और निचाई देख सकें। तो अगर जिम्मेदारी उन पर होगी तो इस दिशा में सुधार होगा।

आज डी० पी० ओ० की जगह पर बैठे हैं पी० सी० एस० और आई० ए० एस० रैंक के आदमी। इनको रखा जाता है और थोड़े समय के बाद इनकी पदोन्नति कर दी जाती है और ये दूसरी जगहों पर चले जाते हैं, दूसरे विभाग में चले जाते हैं और इस तरह से इस विभाग की श्रंखला टूटती जाती है। जो एक सामंजस्य होना चाहिये वह इस तरह से नहीं होने पा रहा है।

श्री अधिष्ठाता--

आप दो मिनट के लिये स्थान ग्रहण करें।

सदस्य गण यहां अपने बोलने के लिये जो बराबर कागज दे रहे हैं, वह उचित नहीं है। जो सदस्य बोलना चाहते हों वह अपने दल के सचेतक के द्वारा यहां अपना नाम भेंजे। बार बार यहां आना, मंज के ऊपर, अच्छा नहीं लगता है।

(श्री शारदा भक्त सिंह से)

आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री शारदा भक्त सिंह--

तो मैं कह रहा था कि इस विभाग में साभंजस्य नहीं है। इसलिये जो विभाग का उद्देश्य है वह नष्ट हो गया है, समाप्त हो गया है।

आज ब्लाक में खंड विकास अधिकारी होते हैं। उनसे नीचे ए० डी० ओ० और अन्य लोग होते हैं। ये लोग एक ही स्थान पर रहते हैं और कार्य करते हैं। पर इनमें समन्वय नहीं होता है, इनके कार्यों में कोई ताल मेल नहीं होता है।

आज जो कार्य विभागाध्यक्षों द्वारा हो रहे हैं, उनसे ऐसा लगता है कि इनमें आपस में कटुता है। इनमें डिपार्टमेंटलिज्म राज्य स्तर से लेकर गांव स्तर तक मौजूद है। और इनमें आपस में कोई समन्वय नहीं है। ब्लाक स्तर पर तथा जिला स्तर पर जो अधिकारी हैं उनको कार्य करने का अवसर नहीं दिया जाता है। इसलिये अगर आप देखें कि जितने विभाग हैं उनके कार्य अलग-अलग होते हैं और जो विभागाध्यक्ष या जो सेक्शन आफिसर हैं उन्हीं के अन्तर्गत ए० डी० ओ० काम करते हैं। उनके बारे में, उनके भविष्य के बारे में विभागाध्यक्ष या सेक्शन आफिसर को अधिकार है, बी० डी० ओ० को ए० डी० ओ० से कार्य कराने की क्षमता नहीं है। इसलिये बी० डी० ओ० की शक्ति धीरे-धीरे समाप्त हो रही है।

अतः मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि चार-पांच लक्ष्य जो निर्धारित किये गये थे उनको पूरा करने हेतु आज सारे विभागों के विकास के कार्यों को हम समन्वित करके एक दिशा दें, जनता को उन कार्यों में सक्रिय भाग देकर उनमें आत्मविश्वास का एक भाव पैदा करें। इसके साथ ही साथ उन कार्यों को कराकर एक शिक्षण पद्धति से सुधार लाया जाय, उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन लायें। चौथे जो गरीब और निर्धन लोग हैं उनको सामुदायिक विकास कार्यों से सहारा देकर फिर से उनको उत्थान करने का अवसर दें। ये चारों लक्ष्य

आज पूरे नहीं हुये हैं। आज इन लक्ष्यों को हम पूरा किये हैं, ब्लाक स्तर तथा गांव स्तर पर परन्तु वे जो कार्य हो रहे हैं वह सरकारीकरण का काम होता है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सामुदायिक विकास कार्यों की रूपरेखा तथा उनके कार्यान्वयन के संबंध में कह चुका हूं लेकिन सामुदायिक विकास विभाग ने जो लक्ष्य निश्चित किये हैं उनका आधार पंचवर्षीय योजना है। यदि ये योजनायें दोषपूर्ण हुईं तो उनके द्वारा लोगों का उत्थान सम्भव नही है। इनके द्वारा बहुत परिवर्तन नहीं लाये जा सकते हैं। जो हमारी पंचवर्षीय योजनायें हैं, उनके २५ वर्ष के नियोजन के बाद भी आज देश एक आर्थिक संकट के कगार पर खड़ा है। सभी दल यह मानते हैं कि आज देश के सामने भीषण आर्थिक संकट आ गया है। सरकार पुरानी योजनाओं और नियोजन की गल्तियों को स्वीकार करने के स्थान पर कांग्रेस सरकार की ओर से तरह-तरह की बातें की जा रही हैं। विरोधी दलों के ऊपर सारा उत्तरदायित्व डाला जा रहा है।

आज मान्यवर दूसरे देशों से या जहां कहीं से सम्भव हों वहीं से भीख मांग करके या सहायता प्राप्त करके देश को अपमानित किया जा रहा है। तरह-तरह की नोटें छापी जा रही हैं तथा बड़े–बड़े उद्योगपतियों को फलने-फूलने का पूरा अवसर दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में देश में मुद्रास्फीति होना तथा आर्थिक संकट बढ़ना अनिवार्य हो गया था। इसके लिये आज सरकार को अपने को जिम्मेदार मानना चाहिये था।

मान्यवर, यदि हम पिछली योजनाओं की गल्तियों को भूल भी जायं तो देखना यह है कि भविष्य में हम क्या करने जा रहे हैं। पंचवर्षीय योजना में हमने ५.५ प्रतिशत बढ़ोत्तरी की कामना की है। यह किसी से छिपा नहीं है कि आज आबादी की बढ़ोत्तोरी २.५ प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ रही है। इसलिये अगली पंच वर्षीय योजना में हमारी आय में बढ़ोत्तरी ३ प्रतिशत होना सम्भव है। परन्तु यह योजनाओं के पूरी तरह से सफल होने पर निर्भर है।

इसका अर्थ यह हुआ कि अगर वित्तीय चमत्कार जो हमारी कांग्रेस के लोग निकाला करते हैं और जिनके द्वारा देश को आर्थिक संकट से उठाना चाहते हैं, वह संभव भी हुआ तो शताब्दी के अंत तक ३ प्रतिशत की आय की बढ़ोत्तरी के हिसाब से बहुत कम आय बढ़ेगी। क्या हम इसी तरह से देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं? अगर विकसित देशों को छोड़ दें तो विकासशील देश जैसे घना, मलेशिया उनकी जो प्रति व्यक्ति आमदनी है वह २००० होगी। इस तरह से जहां सारे देश आगे बढ़ रहे हैं, हम रेंग कर चलने की रफ्तार पकड़ रहे हैं। इससे देश का उत्थान नहीं हो सकता। इस तरह से हम संसार में गौरव के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। क्या इस पीढ़ी के भाग्य में रेंग कर चलना और संसार के सामने अपमानित जीवन व्यतीत करना ही बदा है। हमारी आकांक्षायें ऊंची होनी चाहिये। अर्थशास्त्रियों का मत है कि हमारे यहां प्राकृतिक साधन और उर्वरा भूमि बहुत अधिक है। खनिज पदार्थ भी बहुत अधिक हैं। जिस भूमि पर खेती हो भी रही है उससे हम १/३ ही उत्पादन कर पा रहे हैं। हमारे पास मिनरल्स काफी हैं इसलिये इन सारे साधनों

[श्री शारदा भक्त सिंह]

को देखते हुये अगर हम साहस के साथ लक्ष्य ऊंचे रक्खें तो आगे बढ़ा जा सकता है। अर्थ-शास्त्रियों का तो कहना है कि कम से कम १० प्रतिशत आय में बढ़ोत्तरी देश में होना संभव है। इस सम्बन्ध में कई योजनायें स्वावलम्बन के आधार पर बनाई गईं और एक योजना सुब्रामैनिअम साहब ने स्वदेशी के हिसाब से सामने रक्खी जिसके अनुसार बिना बाहरी सहायता के १० प्रति-शत आय में बढ़ोत्तरी की जा सकती है। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और उस पर कोई चिन्तन नहीं किया गया।

आज जो कांग्रेस वाले आयोजनायें बना रहे हैं उनमें परिवर्तन करने को तैयार नहीं हैं। कई बार कहा गया कि हमारे यहां श्रम बाहुल्य है और पूंजी की कमी है। इसलिये सारी योजनायें श्रम प्रधान होना चाहिये जिससे श्रम का उपयोग हो सके और बेकारों को काम मिल सके, लेकिन इस सम्बन्ध में भी कोई विशेष कदम विभाग की ओर से नहीं उठाये जा रहे हैं। जहां तक श्रम प्रधान योजनाओं का सम्बन्ध है, हम कई देशों से उदाहरण ले सकते हैं। जापान के वस्त्र उद्योगपतियों ने पश्चिम से मशीनें अपनाई हैं और उसका विस्तार किया लेकिन मशीनों पर तीन गुना लोगों को लगाया है। रबर के कार्य में कोरिया ने भी ऐसा ही किया है। उसने पूंजी के मुकाबले श्रम अधिक लगाया है और इस तरह से रबर पर आधिपत्य कर लिया है। इसी तरह से दूसरी योजनायें भी चलाई जा सकती हैं। लेकिन जबतक योजनाओं में हम मूलभूत परिवर्तन नहीं करेंगे तबतक यह सफल नहीं हो सकती हैं। और इसलिये आज आवश्यकता इस बात की है कि हम पुनर्विचार करें और नियोजन को दलगत बातों में न डालकर एक राष्ट्रीय स्तर पर चलायें।

मैं एक प्रश्न और आपके सामने रखना चाहता हूं। जहां तक सामुदायिक विकास कार्य का सम्बन्ध है ऐसा सुनने मे आया कि महाराष्ट्र पैटर्न लागू करके इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं और उसके अनुसार यह सुझाव दिया कि जिला विकास अधिकारी हर जिले में रखा जाय और उसके अन्तर्गत सारे विकास के कार्य चलाये जायं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो मुझे शंका है वह यही है कि जिला विकास अधिकारी भी वही पी० सी० एस० और आई० ए० एस० आफिसर्स रखे जायेंगे जो आज जिले के विकास कार्यों में हाबी होकर बैठना चाहते हैं। आज कृषि आयुक्त सारे कार्यों की देख-रेख करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर उनका पिछला सारा विवरण देखा जाय तो मालूम होगा कि उन्हें कितनी बार गांवों में जाने का मौका मिला। उन्होंने गांव की समस्याओं का मूल्यांकन करने के लिये गांवों की कितनी बार यात्रा की। दफ्तर में बैठकर समस्याओं का मूल्यांकन नहीं हो सकता केवल कागज़ पर सुझाव दिये जा सकते हैं। पिछले दिनों के मुकाबले में ग्राम सेवक गांवों में कम जाता है। ए० डी० ओ० और बी० डी० ओ० गांव में कम जाते हैं। नौकरशाही के लोग डी० पी० ओ०, डिप्टी डेवलेपमेन्ट कमिश्नर, एग्रीकल्चर कमिश्नर के स्थान पर बैठे हैं इनको गांव में जाने का मौका नहीं होता और इसलिये जब सुपरवाइजरी आफिसर इस काम को नहीं करता तो नीचे के अफसर भी ढिलाई करते हैं और वह समझते हैं कि जिस तरह से भी काम करना है हमको करना है, उसको देखने सुधारने वाला कोई नहीं है। मैं जिला स्तर पर डी० पी० ओ० के रखने के विरोध में हूं। डिप्टी कलेक्टर से दो तीन साल डी० पी० ओ० बनकर एक आदमी रहता है और फिर कलेक्टर बन कर चला जाता है। दूसरे समकक्ष अफसर डी० पी० ओ० बन कर आते हैं। विकास

का ऐसा कार्य है जिसमें एक रूपता होनी चाहिये और पिछले अनुभवों का लाभ उठाना चाहिये लेकिन जो मौजूदा तरीका है उसमें इस विकास कार्य को बड़ा भारी धक्का लगता है। इस प्रकार आप मुझे यह कहने के लिये माफ करें कि आपका विभाग जिला स्तर से लेकर गांव तक बिल्कुल मजाक बना हुआ है।

मुझे मौका मिला उन लोगों से बात करने का। वह कहते हैं कि हम खाली बैठे हैं। जिलाधीश हमें काम देते हैं और वह भी ऐसा काम जिससे हमारा सम्बन्ध नहीं। ब्लाक अधिकारियों द्वारा सीमेंट, घी और शकर के परमिट बांटे जा रहे हैं। जहां इन लोगों को गांव के लोगों का विश्वास प्राप्त करके उनका सहयोगी बन कर काम करना चाहिये था वहां इनको ऐसे काम दिये गये हैं कि शकर डालडा, सीमेन्ट के परमिट बांटो। इन चीजों की कमी है और जब गांव का आदमी उनके पास जाता है तो फर्जी पर्ची बनती है और इस तरह से इस भ्रष्टाचार का समावेश इस विभाग में भी हो रहा है। क्यों उनसे कहा जाता है कि शकर बांटों, सीमेंट बांटों, गेहूं की वसूली करो, परिवार नियोजन का काम करो। मैं कहना चाहता हूं कि जिनको ग्रामीणों के साथ सहयोगी बनकर उनके उत्थान के लिये कार्य करना चाहिए था उनसे ही आप किसानों के घर में घुस कर गेहूं वसूली करवाना चाहते हैं। और आप यह समझते हैं कि यह कार्यक्रम जनता का कार्यक्रम होगा? नहीं हो सकता। इनके ऊपर जिला अधिकारी हावी हो चुके हैं। उसका जो भी परिणाम होगा, आप आगे देखेंगे। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सामुदायिक विकास का कार्य करने वाले और इनसे सम्बद्ध जो अधिकारी हैं उनका एक कैडर बनाइये, नीचे से ऊपर तक और जो विभागाध्यक्ष हों उनके द्वारा वे काम करें। अगर वे ईमानदारी से, प्रेरणा से और उत्साह से काम करेंगे तो गांव का उत्थान अवश्य करेंगे। लेकिन इसके लिये उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिये।

ग्राम सेवकों की पदोन्नति के लिये १० परसेंट का टार्गेट निश्चित किया गया है। उनकी मांग है कि २० या ३० प्रतिशत कर दिया जाय लेकिन आप नहीं करते। इसमें आपको बड़ी परेशानी पैदा हो रही है। वह बहुंधंधी कार्यकर्ता जो सुबह से शाम तक गांव गांव में घूम कर हर एक से सम्बन्ध स्थापित करता है, हर एक के दुख दर्द में भाग लेता है, गांव को ऊपर उठाने में पूरा योगदान देता है, उसको उन्नति देने के लिये आप तैयार नहीं हैं। अभी २९ तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि उन्होंने केन्द्र से सिफारिश की है कि पी० सी० एस० वालों को २५ से ४० प्रतिशत पदोन्नति दी जाय, सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय। क्या मतलब है? जो बड़े आफिसर हैं और पहले से ही एक अच्छे स्थान पर हैं उनको २५ से ४० परसेंट तक का अवसर देना चाहते हैं लेकिन ग्राम सेवक जो प्रारम्भ से आज तक, बीसों वर्ष से कार्य कर रहे हैं उनके लिये पदोन्नति का अवसर नहीं देना चाहते हैं, बी० डी० ओ० को अवसर नहीं देना चाहते हैं। इससे यह मतलब निकलता है कि यह डिपार्टमेन्ट उस अनाथ लड़के की तरह है जिसका कि मां बाप नहीं है, जिसका कोई कहने वाला नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि अगर आप उनको काम करने के लिये प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो आगे चल कर आपको बड़ी निराशा होगी और आप देखेंगे कि एक दिन यह डिपार्टमेंट ही समाप्त हो जायगा। पहले बजट बनता है और बजट के आधार पर रुपया

[श्री शारदा भक्त सिंह]

ब्लाक स्तर पर आया और ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ० के मातहत काम नहीं करता तो काम कैसे चल पायेगा अगर वह काम कराने की कोशिश करता है तो ऊपर डी० पी० ओ० से जाकर कहेंगे कि हमें परेशान किया जा रहा है। इसलिये मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो विभाग की कमियों व कठिनाईयों को देखना पड़ेगा। केवल यह गिनाने से काम नहीं चलेगा कि हम बड़ी अच्छी योजना कर रहे हैं या सिंचाई योजना का काम कर रहे हैं या सूखा योजना के लिये काम कर रहे हैं, यह तो पेंदा लगाने जैसी बात हुई। अगर आप ग्रामीण अंचलों का उत्थान करना चाहते हैं तो उसके लिये सतत प्रयत्न करना होगा। क्या आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि पिछले २५ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान के लिये कोई काम किया है। हां एकाध सड़क बना दी हो तो बात दूसरी है। भले ही वह सड़क आधी बनी हो और आधी रह गयी हो। इससे गांवों का उत्थान नहीं हो सकता। उसके लिये एक नियोजित पूरा कार्य-क्रम तैयार करना होगा, एक संकल्प करना होगा कि भारत के गांवों का उत्थान हमें करना है। इस संकल्प के साथ उसके लिये आपको साधन जुटाना होगा और इसके लिये कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहन देना होगा ताकि आम जनता जो अपने भाग्य को बनाना चाहती है कि वह भी अपना योगदान उसमें देने के लिये उस कार्य से सम्बद्ध हो सके। आज हमारा प्रदेश जो भारत में सब से पिछड़ा हुआ है और जिसके कहने में भी बड़ी लज्जा आती है, उस कलंक को हम तभी मिटा सकेंगे।

मैं माननीय मंत्री जी से, अधिष्ठाता महोदय आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि क्या आप इस उत्तरदायित्व को सम्भाल सकेंगे? क्या गांव वाले आप का विश्वास कर सकेंगे कि जो आपने उत्तरदायित्व लिया है, उसको पूरा कर सकेंगे? यदि आपने पूरा किया तो यह प्रदेश आपका आभारी होगा। लेकिन यदि ढिलाई की गयी तो (जैसा कि पिछले दिनों की गयी है) गांव की हालत में परिवर्तन नहीं आ सकेगा और इसके लिये आगे आने वाली सन्तति शासक दल को माफ नहीं करेंगी। शहनशीलता की भी एक सीमा होती है। गांव का जो जीवन है, उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसको अगर ठीक न किया गया तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वह समय दूर नहीं है कि वे बहुत दिन शांति से अब नहीं बैठ सकते खेती हमारा मुख्य साधन है, जीवन है, उसी के आधार पर जीवन चलता है। मैं पूछता हूं कि किसान आज खाद चाहता है लेकिन सरकार रोड़ा बनकर खड़ी है। खाद देने की असमर्थता है। प्रदेश की चार पंच वर्षीय योजनायें पूरी हो चुकी है, लेकिन खाद दे नहीं सकते, बिजली की कमी है, पानी पहुंच नहीं सकता, बीज अच्छे हैं नहीं। मैं कहता हूं कि और कोई स्वतन्त्र देश होता तो इसी बात पर सारे मंत्रियों इस्तीफा दे दिया होता।

पंच वर्षीय योजनाओं और नियोजन का मतलब है कि भविष्य को देखे लेकिन अगर भविष्य में जिस चीज की मांग हुई तो आप यह कहकर खड़े हो गये कि इस काम को नहीं कर सकते, तो उसके लिये क्षमा की कोई गुन्जाइश नहीं। इसलिये आपसे कहना चाहता हूं कि इस ग्राम्य उत्थान के कार्य को आप छोटा कार्य न मानें। यह, जितनी भी लड़ाइयों के कार्य हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और आज इस कार्य को और अधिक वेग से करना है गांव वाले ऐसा अनुभव करने लगे हैं कि उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। कल मुख्य मंत्री जी ने एलान किया कि किसानों को रात में नहीं, दिन में बिजली दी जाय। क्या

खिलावाड़ है। कभी दिन में, कभी रात में और कभी बिल्कुल नहीं। जिनके आधार पर कुर्सी पर बैठे हों, उनको पहाड़ा पढ़ा रहे हो कि कल रात में बिजली दे रहे थे और आज दिन में देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों पहले फैसला गलत किया था कि किसानों को रात में बिजली देंगे। यदि शासन को अनुभव नहीं था, और पहले दिन में नहीं देते थे और अब दिन में देंगे, तो सरकार इस बात को स्वीकार करती कि पिछले दिनों गलती की ग्रामवासियों के साथ खिलावाड़ हुआ, खेती में नुकसान हुआ, उत्पादन पूरा नहीं कर पाये। आखिर इसका उत्तरदायित्व किसके ऊपर होगा।

बीज के बारे में कहा गया कि पिछले दिनों खराब बीज दिये गये हैं और आगे से अच्छे देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यही प्रजातान्त्रिक तरीका है। दूसरे देशों में ऐसा होता तो. . . . .माननीय लाल बहादुर शास्त्री ने एक एक्सीडेंट रेल का हो गया था तो इस्तीफा दे दिया था। आज कोई मंत्रीजी यह नहीं कहते कि गलत बीज दिये गये तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सभी मंत्रीगण यह सोचते हैं कि जब बहस होगी तो जवाब दे देंगे और काम चलता रहेगा। इसलिये माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आज लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बीज और बिजली को बता दिया। पानी अधिक नहीं दे सकते, क्योंकि स्टेट टूयूब वेल्स को बिजली दे नहीं पाते। कल मैंने सुना कि खाद कैसे बांटी जाय, इसके बारे में बैठक हो रही है। विरोधी दल के नेताओं से बात हो रही है कि खाद कैसे बांटें। मान्यवर, क्या इस प्रदेश का होगा? सारा मन्त्रि मण्डल, सारे सरकारी मशीनरी, आई० ए० एस० और पी०सी० एस० आफिसर्स बैठे हैं और आज इस बात की सलाह हो रही है कि आज विरोधी दल को इस बात को सिखाना होगा कि खाद कैसे बांटी जाय। अपनी गलती को छिपाने के लिये, जब ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं कि न आगे जा सकते हैं और न पीछे, तो विरोधी दलों से कहते हैं कि हमसे सलाह करलो। क्यों नहीं प्रारम्भ में ही सलाह की? अगर सलाह नहीं कर सकते थे तो सारे उत्तरदायित्व को सरकार ले। इस महान ग्रामीण अंचल में जो निराशा है, जो घुटन है, जो लोग यह अनुभव कर रहे हैं कि बगैर शक्ति का प्रदर्शन किये हुए कोई सहारा देने को तैयार नहीं है, कार्य करने को तैयार नहीं है तो उसका दोष विरोधियों पर नहीं मढ़ा जा सकता, वह दोष सरकार पर होगा जिसने आज उन ग्रामवासियों को अपने भाग्य पर छोड़ दिया है। अब अगर वह कोई ऐसा कदम उठायें जो सरकार के लिये अच्छा न हो तो इसका उत्तरदायित्व सरकार पर होगा। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव को रखता हूं और आशा करता कि माननीय सदन इसका समर्थन करेगा।

श्री अधिष्ठाता--

बहुत से माननीय सदस्य बोलना चहते हैं इसलिये प्रत्येक सदस्य को ८ मिनट का समय मिलेगा।

श्री काजी जलील अब्बासी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, सबसे पहले मैं परम्परा को तोड़ कर अपने भाई शारदा भक्त सिंह को बधाई देता हूं कि उन्होंने कायदे से इस मसले को सदन के सामने रखा। सबसे बड़ी बात

[श्री काजी जलील अब्बासी]

यह है कि उन्होंने उस छोटे कर्मचारी की जो इस विभाग की रीढ़ की हड्डी है उसकी प्रशंसा की। मैं भी यह समझता हूं कि ग्राम सेवक इतनी अहम कड़ी इस विभाग की है बगैर उसके गाड़ी चल नहीं सकती और उसकी प्रशंसा सरकार की प्रशंसा है। इस छोटे कर्मचारी ने ऐसी प्रतिष्ठा बनाई है कि विरोधी भी उसे अच्छा व ईमानदार मानते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उसके साथ अभी तक वह नहीं हो पाया जो कि सरकार करना चाहती है। पैसे के अभाव में उसकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हो सकीं। जो ग्राम सेवक संघ बना हुआ है उसने बार-बार अपनी मांगें सरकार के सामने रखीं और मैं समझता हूं कि अधिकतर उनकी मांगें उचित हैं। साइकिल भत्ते की एक छोटी सी मांग है। पहले ५ रुपया भत्ता मिलता था लेकिन दूसरों को १५ रुपया बढ़ा है। मुझे स्थिति ठीक नहीं मालूम लेकिन मैं समझता हूं कि उनका भी १५ रुपया हो गया होगा।

उनकी एक मांग थी कि डायरेक्टोरेट अलग बनाया जाय क्योंकि उनकी तरक्की का रास्ता बन्द है। एक अरसे से इस पर विचार हो रहा है। मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि पंचायत डायरेक्टोरेट है उसके साथ इन दोनों का सामंजस्य करके एक बड़ा डायरेक्टोरेट बनाया जाय तो उनके लिये तरक्की के रास्ते खुल सकेंगे, वर्ना कोई तरक्की का रास्ता फिलहाल नहीं है।

जहां तक शारदा भक्त सिंह जी ने यह कहा कि देहात में कोई तरक्की उनको दिखाई नहीं देती तो यह सुन कर मुझे हंसी आई। विरोधी दल के नाते उनको ऐसा बोलना ही चाहिये। जब यहां बैठेंगे तो दूसरी बात बोलेंगे। सन् १९५२ से पहले सबको मालूम है खेती का क्या हाल था इस जगह एक छोटी सी बात मैं सदन के माननीय सदस्यों को सुनाऊंगा। १९५२ के पहले मेरे पास एक काश्तकार आया और उसने कहा कि देखो बाबा डब्लू० साहब कहते हैं कि कुर बोवे। उनसे कह दो कि हमसे बाझेंना। कुर एक तरह की बीज बोने की पद्धति है। तीन साल के बाद वही आदमी फिर हमारे सामने खड़ा था और कह रहा था कि डब्लू० साहब हमको डबलर नहीं देते। तब तक दूसरी डेबलर की पद्धति शुरू हो गई थी। इसके अनुसार कम बीज लगता है और अच्छी उपज होती है। तीन साल के बाद वह डेबलर की मांग करने लगा क्यों कि उससे ज्यादा पैदा होने लगा था। (लाल बत्ती होने पर)। मुझे कितना टाइम दिया है मान्यवर।

श्री अधिष्ठाता—

अभी आप दो मिनट और बोल सकते हैं। प्रत्येक माननीय सदस्य को ८ मिनट का समय दिया जा रहा है।

श्री काजी जलील अब्बासी—

श्रीमन्, जहां तक क्रैश प्रोग्राम का सवाल है मैं अपने विरोधी दल के माननीय सदस्य को यकीन दिलाना चाहता हूं कि वह गोंडा चलें और देखें कि कैसा काम हुआ है। रहने वाला तो मैं बस्ती का हूं लेकिन जब मैं मंत्री था गोंडा जिला मेरे पास था आप मेरे साथ चलें और देखें कि कितना अच्छा काम वहां पर हुआ है। वहां पर अनट्रेन्ड नानटेकनिकल लोगों द्वारा सारा काम किया गया। ऐसा ही काम मुझे आशा है और जगह पर भी हुआ होगा।

चूंकि समय कम है इसलिये मैं केवल यही कहूंगा कि जो न्याय पंचायतें हैं उनके बारे में मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो न्याय पंचायतें बना दी गई हैं उनके लिये कोई स्टेशनरी और चपरासी आदि की कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई हैं। जब आपने वहां पर पंच और सरपंच बना दिये हैं तो कुछ सुविधा भी आपको वहां के लिये करनी चाहिये। अन्त में मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सीमेन्ट और शकर को तकसीम करने का जो हक ब्लौक्स को दिया गया है वह वहां से हटा लें। क्योंकि इससे विभाग की बदनामी होती है। मैं अधिक न कहकर इन चन्द शब्दों के साथ मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान की तायीद करता हूं।

श्री राम सेवक यादव---

अधिष्ठाता महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय शारदा भक्त सिंह जी ने पेश किया है मैं उसका अनुमोदन करता हूं। उसके सम्बन्ध में मैं केवल एक ही विषय सदन के सामने रखना चाहता हूं। मान्यवर, मैं संविधान के अनुच्छेद ४० की ओर अपाका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें यह दिया है कि पंचायतों को ऐसे अधिकार दिये जायेंगे जिससे वे स्वतंत्र रूप से एक शासन की इकाई के आधार पर काम कर सके। यह अनुच्छेद ४० का उद्देश्य है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या ये ग्राम पंचायतें शासन की इकाई बन सके हैं या सचमुच इनके कोई अधिकार हैं? मंत्री महोदय ने बोलते हुए कहा था कि इधर अभी ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि चुनाव कितने दिनों बाद हुए हैं? तो यह है पंचायतों की हालत और काफी अर्से बाद उनके चुनाव हुए हैं। गांव पंचायतों की हालत यह है कि उनको अपने यहां के स्कूल तक पर भी कोई नियंन्त्रण नहीं है, उनको शासन में कोई अधिकार नहीं है। अपने गांव के मामूली से मामूली कर्मचारी पर उसका कोई नियन्त्रण नहीं है--अधिकार नहीं है। चौकीदार, जो गांव का सबसे छोटा कर्मचारी होता है, उसके बारे में भी गांव पंचायत या उसका जो मुखिया होता है, उसका कोई नियन्त्रण नहीं है। लेखपाल गांव का एक कर्मचारी है, वी० एल० डब्लू० एक कर्मचारी है--इन सारे कर्मचारियों पर ग्राम पंचायतों का किसी किस्म का कोई नियन्त्रण नहीं है। इसलिये किस प्रकार से वे शासन की एक इकाई बन सकेंगी, यह मेरे समझ से बाहर की बात है। उनका उन पर रंचमात्र भी नियन्त्रण नहीं है। गांव पंचायत इनके खिलाफ कोई प्रस्ताव पास कर दें, तो भी वी० एल० डब्लू०, चौकीदार या लेखपाल के खिलाफ कोई अनुशासन की कार्यवाई या अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही हो नहीं सकती है। मैं जहां तक जानता हूं, गांव सभापति जहां-जहां पुराने प्रभावशाली जमींदार हैं, उनको छोड़कर बाकी जितने सभापति हो गये हैं, उनको इनके द्वारा नौकरमात्र ही समझा जाता है व्यवहार में, उनकी कोई संचालक की, मुखिया की हैसियत नहीं समझी जाती है। कोई बड़ा अफसर आ जाए तो बगल में बस्ता दबाए घूमते हैं सुबह से शाम तक। यह है गांव पंचायतों के मुखिया या प्रधान की शिकायत।

अधिष्ठाता महोदय, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं कि एक ग्राम पंचायत के प्रधान को एक-एक छोटे पुलिस अधिकारी ने जाड़े की रात में जबरदस्ती नहर में ढकेलवा दिया, केवल

[श्री राम सेवक यादव]

उसको दबाने और परेशान करने के लिये। वह पुलिस अफसर ऐसे ही लोगों को परेशान किया करता था। यह है हमारे जिला बाराबंकी का किस्सा जो लखनऊ के बहुत नजदीक है। हम लखनऊ के नजदीक हैं, इसलिये वहां—चिराग तले अंधेरा है। यह है ग्राम प्रधानों की स्थिति। तो ग्राम—प्रधान या गांव पचायतों की कोई हैसियत नहीं है जहां तक उनको शासन की इकाई बनाने का प्रश्न है। अधिकारियों के यहां कोई इज्जत या सम्मान का प्रश्न ही नहीं है उसका इस पर कभी सोचना ही नहीं चाहिये। इसका नतीजा यह है कि ग्राम पंचायतों के हाथ में ग्राम समाज की सम्पत्ति की सुरक्षा की थोड़ी—बहुत जिम्मेदारी जो है उसको वह पूरा नहीं कर पाते हैं। ग्राम समाज की भूमि जिसको और जिस कार्य के लिये यह देना चाहते हैं, उसे भी नहीं कर पाते हैं। जिन लोगों के नाम इन्होंने गांव समाज के पट्टे कर दिये हैं, उनको वे जमीनें नहीं मिली हैं, क्यों कि तहसीलदार और हाकिम परगना आदि उनकी कोई नोटिस नहीं लेते हैं, कोई केन्द्र नहीं करते हैं।

वे सारी की सारी जमीनें दूसरों के कब्जे में चली गई हैं। यदि आप वाकई में चाहते हैं कि वे सक्षम हों, शासन की इकाई बन सकें तो आप उनको आवश्यक अधिकार देने की कोशिश करें। हम लोग तो चौखम्भा राज्य चाहते हैं। संविधान के द्वारा केन्द्र और राज्य को अधिकार मिला हुआ है। इसी तरह से इस संविधान में हिन्दुस्तान में सचमुच प्रजातन्त्र जो चाहते थे, आर्थिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण जो चाहते थे। तो जिस तरह से केन्द्र और प्रान्त हैं उसी तरह से जिले और गांव पंचायतें हैं। लेकिन कम से कम राज्य को चाहिये कि ऐसा अधिनियम बनाये जिससे गांव पंचायतों का कर्मचारियों पर नियन्त्रण हो, कर्मचारियों पर अंकुश लगाने की कुछ सुबिधा हो, उसके आदेश भी चलें। आप देखते हैं इस देश में पंचवर्षीय योजनाएं चलीं।

सारा देश गांवों में रहता है। ८० प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। देश को उठाने के लिये गांवों का उठाना आवश्यक है। आप की चार-चार पंचवर्षीय योजनाएं चल चुकी हैं। लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। आंकड़े खुद आपके पास हैं। केवल भाषण करके कहना चाहते हैं कि यह करेंगे वह करेंगे। नतीजा उसका क्या है यह आप खुद स्वीकार करते हैं कि हमारी यह असफलता रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पांच मिनट और दे दें। कोई तरक्की नहीं हुई है। अगर आप तरक्की देखना चाहते हैं कि शारदा बख्श सिंह के साथ मैं सहमत हूं, आप और आपके मुख्य मंत्री को चुनौती देता हूं, एक दिन समय निकाल कर कहीं चलें, जलील अब्बासी साहब को भी देता हूं, बस्ती को ले लिया जाय, गोंडा को ले लिया जांय, चल कर देख लिया जाय, कहां पर आप की ग्राम सभाएं हैं, कौन सी तरक्की हुई है, क्या किया है आपने ? कुछ दिन पहले बीमारी चली थी नमूने की ग्राम सभाओं के कायम करने की। नमूने की ग्राम सभाओं में स्कूल खुल जायं, अस्पताल बन जायं, खडंजे लग जायं, लेकिन नमूने की ग्राम सभाओं से देश की तरक्की नहीं होगी, देश की तरक्की तब होगी। जब पूरा देश उठेगा, जब खजाने का चौथाई हिस्सा गांवों को देंगे और उसमें हर गांव को हिस्सा देंगे, गांव को शासन की इकाई बनाएंगे, योजना स्थान की इकाई बनाएंगे, सचमुच पंचवर्षीय योजना को चलाने के लिये ग्राम को इकाई बनाएंगें तब कुछ अभीष्ट नतीजा निकलेगा। लेकिन इस रास्ते से जिस रास्ते से आप चल रहे हैं हरगिज तरक्की होने वाली नहीं। यह शासन आदि की, उनको देने की बात है।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, आपने बीच में त्रिशंकू की तरह विकास खंड को खड़ा कर दिया है। जिला परिषद्, और जिला परिषद् के बाद विकास खंड और ग्राम पंचायतें। ग्राम पंचायत के सारे अधिकार विकास खंड हड़प कर जाता है। जो देश में भ्रष्टाचार की गंगोतरी है और लखनऊ में गोमती है विकासखंड उसी में डूब रहा है। मेरा अनुरोध है कि शासन की चार इकाइयां हैं, उनके बीच में विकास खंड लटक गया है, विकासखंड को समाप्त किया जाय। सारा धन सुपरस्ट्रक्चर पर चल जाता है। और जहां इसको खर्च होना चाहिये तरक्की पर वहां न खर्च हो कर मनमाने ढंग से खर्च किया जाता है। जब धन सब के ऊपर समान रूप से खर्च होगा, कहां स्कूल बनना चाहिये, कहां सफाई की जरूरत है, इसको देख कर खर्च होगा और सब अपनी-अपनी योजनाओं को चलाएंगे तब देश की तरक्की होगी। फिर, जनता का पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है। अफसरों के जरिये से काम करा कर सफलता नहीं होगी। आप के पास आई० ए० एस०, आई० पी० एस० और पी० सी० एस० अफसर, सब कुछ अफसर हैं, जैसे अपने देश में आलू है चाहे जिस तरह खाओं। ठीक उसी तरह से आपने आलू बना दिया है अफसरों को। गेहूं वसूल करना है तब उन्हीं के जरिये, पंचायतों की तरक्की हो तो उनके जरिए, खाद का वितरण हो तो उनके जरिये, चीनी का वितरण हो तो उनके जरिये। वह बिलकुल आलू बन गये हैं आपके लिए। लेकिन देश के लिये बहुत दुर्भाग्य की बात है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)––

मान्यवर, यह ब्लाक को खत्म करने का सुझाव दे रहे हैं तो इनकी फौज किस के घर जायेगी।

श्री राम सेवक यादव––

इसीलिये मैं कह रहा हूं कि जो इनकी ब्लाक की फौज है सरकारी ताम झाम में कलम घिस्सू ही ज्यादा और देश का काम करनेवाले बहुत कम हैं। उनको वहां से हटा कर देश के निर्माण कार्य में लगाना चाहिये। जब वे वहां से हट जायेंगे तो उनको दूसरे काम में लगाया जा सकता है। जो बीच में सुपर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है उसको खत्म करके आगे ले जाया जा सकता है। सामुदायिक विकास विभाग का जो स्ट्रक्चर है पंचायत सेक्रेटरी से लेकर बड़े अधिकारियों तक उनका कोई काडर नहीं है। इनकी शिकायत को दूर किया जाय और इनके काडर को समानता की दृष्टि में रख कर, बनाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मुन्नूलाल द्विवेदी (जिला रायबरेली)––

अधिष्ठाता महोदय, आपने हमें अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया इसके लिये हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो आज बजट प्रस्तुत किया गया है वह बहुत अच्छा है और क्रान्तिकारी बजट है। मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। इस विभाग के द्वारा हमारे देश की बड़ी उन्नति हो रही है। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। गेहूं की वसूली में आपने देखा कि जितना गल्ला रेवेन्यू विभाग के लोगों ने वसूल किया उससे कम गल्ला इन्होंने वसूल नहीं किया। उनके

[श्री मुन्नू लाल द्विवेदी]

हाथ में तो शासन है, अधिकार है, इसलिये दबाकर काम ले सकते हैं लेकिन ये लोग प्रेम और स्वच्छ वातावरण में काम कर सकते हैं। इस तरह से किसी योजना को ले लीजिये। चाहे अल्प बचत योजना ले लीजिये, लघु सिंचाई योजना ले लीजिये साथ ही परिवार नियोजन का काम भी ये करते हैं। यह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपने प्रभाव के द्वारा यह काम करते हैं। यह विभाग ग्रामीण लोगों की सेवा कर रहा है।

जहां यह सब बातें हैं वहां मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। हमारे ग्राम सेवक को केवल कृषि कार्य करने का ही आदेश है। उसको सहकारिता तथा पशु पालन आदि के काम में लगा दिया जाय तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे वह पहले कार्य करता था उसी तरह से कार्य करने दिया जाय तो वह गांव के लोगों के और नजदीक आ जायेगा। ग्राम प्रधान सामुदायिक विकास की रीढ़ की हड्डी है। इसके द्वारा ही इस विभाग के सारे कार्य होते हैं। परन्तु जो प्रधान को सम्मान मिलने चाहिये नहीं मिलता है। पुलिस तथा रेवेन्यू अधिकारी इनको परेशान करते हैं। लेखपाल गल्ती करता और सजा ग्राम प्रधान को दी जाती है और वह अपने पद से हटा दिया जाता है इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रधान क्षेत्र समिति का सदस्य होता है उसको हटाने का अधिकार एस० डी० एम० को न देकर पहले जिस तरह से संचालक पंचायत राज को हुआ करता था उसी तरह से डाइरेक्टर, पंचायत राज को रहे। आपके प्रधानों के अधिकार क्षेत्र में लेखपाल, पतरौल और पंचायत सेवक आते हैं, लेकिन वास्तव में जो प्रधान कम पढ़े लिखे होते हैं उनको बड़ी परेशानी होती है। ये लोग उन पर शासन करते हैं। मेरा निवेदन है कि जब ग्राम पंचायत प्रस्ताव पास करे तो उनको हटा दिया जाना चाहिये और उनकी चरित्र पंजिका में प्रधानों को उल्लेख करने का अधिकार दिया जाना चाहिये। इसकी बड़ी आवश्यकता है। क्षेत्र समितियों में उपस्थिति बहुत कम होती है। अगर उसको प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो क्षेत्र समिति के सदस्यों को कुछ थोड़ा बहुत भत्ता—ढाई रुपये या तीन रुपये दिया जाये तो उपस्थिति बढ़ सकेगी और ज्यादा प्रभावकारी कार्य हो सकेगा। पौष्टिक आहार योजना चल रही है। मैं चाहता हूं कि इसे हर ब्लाक पर लागू किया जाये। प्राइमरी शिक्षा पर पहले ब्लाक के लोगों का नियंत्रण रहता था, परन्तु अब यह नियंत्रण समाप्त हो गया है। इसको उसी तरह से और सशक्त बनाकर क्षेत्र समिति को नियंत्रण का अधिकार दिया जाना चाहिये। ये प्रधान और सरपंच जो चुने जाते हैं इनको प्रशिक्षण देने की अवधि बहुत कम रखी गयी है। ३ दिन का प्रशिक्षण इनको दिया जाता है। इससे इन लोगों को पूरा ज्ञान नहीं हो पाता है।

मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से बी० डी० ओ० को जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है ३—४ महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है तो कम से कम इन लोगों को १५ दिन का प्रशिक्षण अवश्य दिया जाना चाहिये। यह जरूरी है। सरकार लोगों की जो जमीन का लगान वसूल करती है उसका आधा हिस्सा ग्राम पंचायतों को दिया जाना चाहिये जिससे वे विकास कार्यों को कर सकें। न्याय पंचायतों की मीटिंगों में पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिये। इसमें एक बात रह गयी। जो बी० डी० ओ० पहले बने थे वे अब भी बी० डी० ओ० ही हैं। उनमें बहुत से व्यक्ति बड़े प्रतिभाशाली हैं। ऐसे लोगों का प्रमोशन होना चाहिये। इसी तरह से एक ग्राम सेवक जो शुरू में बनता है वह ग्राम सेवक ही रह जाता है। लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत किसान ने अपनी जमीन को रेहन करके रुपया प्राप्त किया है और आये दिन सुना

जाता है कि किसान की जमीन बिक रही है। यह जो पैसा मिलता है यह किसान को सीधे न मिलकर फर्मों को मिलता है। यह पैसा किसान को मिलना चाहिये। हमारे यहां पावर थ्रेशर की सप्लाई हुई और अधिकारियों ने एक एक पावर थ्रेशर पर ३–३ सौ रुपये बनाये तो इस तरह से आज काम हो रहा है। अगर यह पैसा किसान को सीधे मिला होता तो प्रति पावर थ्रेसर पर ३०० रु० अधिक न देने पड़ते।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया।

श्री मन्नूलाल द्विवेदी—

इस प्रकार बहुत ही गड़बड़ी होती है। अन्त में मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। यह बड़ा महत्वपूर्ण अनुदान है और यही एक विभाग है जैसा कि अभी हमारे कटौती के प्रस्तावक ने कहा था कि यहीं एक महत्वपूर्ण विभाग है जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ आशायें है स्वतंत्रता के बाद ज्यों के त्यों सभी विभाग अपने अपने स्थान पर जैसा अंग्रेजी हुकूमत में थे उसी प्रकार से आज भी हैं। पुलिस विभाग जैसा पहले अपनी जगह पर था उसी प्रकार से आज भी अपनी जगह पर है। शिक्षा विभाग जैसे अपनी जगह पर था वैसे ही अपनी जगह पर है। कृषि विभाग जैसा था वैसा ही है। परन्तु एक ऐसा विभाग, नया विभाग जनता के सामने आया था जिसके माध्यम से जनता ने यह सोचा था कि स्वतंत्रता के बाद हमारे लिए कुछ सुख सुविधा का यह संदेश लेकर आया है। यह हम लोगों के कहने की चीज नहीं है। इस विभाग ने कितनी प्रगति की है। मुझे एक छोटी सी कथा याद आ जाती है। एक गांव में एक तेली अपना एक कोल्हू चल रहा था और उसने अपने कोल्हू के ऊपर जहां पर उसके बैठने की जगह थी, उस पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया था, जिससे बैल को यह आभास हो कि तेली बैठा है और तेली स्वयं अपन काम करता था और उसने यह जानने के लिये कि बैल चल रहा है कि नहीं उस बैल के गर्दन में एक घंटी बांध रखी थी। एक दिन वह इधर उधर काम कर रहा था और उधर से हमारे प्लानिंग विभाग के एक बहुत बड़े अधिकारी निकले और उन्होंने तेली से पूछा कि क्या कर रहे हो? तो तेली ने कहा कि हमारा कोल्हू चल रहा है, उस पर पत्थर रखा है और बैल के गर्दन में घंटी बांध दी है, जब बैल चलना बंद कर देगा तो घंटी बजना भी बंद हो जायगी। तो उस अधिकारी ने कहा कि अगर बैल खड़ा हो जाय और खड़ा हो कर अपनी गर्दन हिलाता रहे तो क्या करोगे? मान्यवर तेली ने उत्तर दिया कि मेरे बैल ने अभी कोई प्लानिंग आदि नहीं देखा है। यदि एक बार सामुदायिक विकास मंत्री की कुर्सी यह बैल देख लेगा तो खड़े खड़े गर्दन हिलाने की कला सीखा देगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ४–४ योजनाएं पूरी हो गई यह घंटी ज्यों की त्यों बज रही है। लघु सिंचाई योजना पर की बात मंत्री जी कर रहे थे। आंकड़े सरकार के

[श्री राम प्रकाश त्रिपाठी]

बता रहे हैं कि १९४७ में इस उत्तर प्रदेश के अन्दर १८ प्रतिशत भूमि सिंचित भूमि कही गई है और चार चार योजनाएं पूरी हो गईं और अब ३१ प्रतिशत भूमि सिंचित कही जाती है वह भी कागज पर है। वस्तु स्थिति क्या है जिन्हें ये सिंचित मान रहे हैं, उसमें कितने गांव फर्जी हैं, कितने गांवों में बनाये गये है और मा० मंत्री जी भी यह अनुभव करते हैं कि कागजों में कितने गांव सिंचित हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यह इनकी विकास के प्रगति की गति है। ये केवल प्रगति के ऊपर आधारित अपनी योजनाएं चलाते हैं।

इन्होंने हरितक्रांति छोड़ा। फिर कहा गेहूं का निर्यात करेंगे, फिर खेत क्रांति का ढोल पीटा। अच्छे अच्छे सांड़ पाले जायेंगे और दूध की यात्रा बढ़ाई जायगी। स्वेत क्रांति से गांव के अन्दर देखते होंगे कि कितना दूध आज मिल रहा है। दूध की क्या स्थिति है और फिर उसके अलावा जिन एजेंसीज के द्वारा इन्होंने किसानों की प्रगति की कल्पना सोची थी, उनमें क्या हो रहा है। प्रदेश में २५ करोड़ के फर्जी बीज बांट दिये गये। हमारे फर्रुखाबाद जिले में कायमगंज में मूंग का बीज था। यह बीज बोने के बाद उसमें पौधे ही नहीं निकले। उस पर कहा गया कि जो मूंग का बीज बांटना चाहिये था वह नहीं बंटे बल्कि दूसरा बीज बांटा गया। पंचायत की बात अभी हमारे उप नेता विरोधी दल ने भी बताया। अभी एक माननीय सदस्य ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्हों ने कहा कि क्षेत्र समितियों के सदस्यों को कुछ भत्ता दे दिया जाय, क्यों कि उनकी उपस्थिति कम होती है। उन्हें शायद प्रदेश के किसानों की नाड़ी का सही ज्ञान नहीं है। क्षेत्र समिति में उपस्थिति कम होने का कारण रुपया पैसा नहीं है बल्कि इसका एक कारण है कि यहां के किसान अच्छी तरह जानते हैं कि क्षेत्र समिति की बैठकों में कुछ होने वाला नहीं है और न उनको कुछ अधिकार ही हैं। प्लानिंग के बारे में भी उनका कहना है कि प्लानिंग के तीन काम नक्शा, मीटिंग और सलाम। इसके अलावा और कुछ होने वाला नहीं है। इसलिये वे क्षेत्र समितियों की बैठकों में नहीं आते हैं।

जिला बुलन्दशहर में डिबाई ब्लाक के बी० डी० ओ० हैं। उनके बारे में वहां की क्षेत्र समिति ने ६ अप्रैल, १९७४ को एक प्रस्ताव पास किया कि इन्होंने सीमेंट के वितरण में बड़ा भारी घपला किया है। अन्य चीजों के बांटने के सम्बन्ध में भी भ्रष्टाचार के बारे में प्रस्ताव किया, सर्व सम्मति से पास किया, और यहां भेजा लेकिन पता नहीं है कि शासन के दफ्तर के किस कोने में वह सड़ रहा है। इसे देखने की आवश्यकता है।

यही नहीं इन्होंने १५० बोरे सीमेंट शाह महमूद आलम को फर्जी नामों से दे दिए और जब इन्क्वायरी हुई तो डी० आई० आर० में उन्हें बन्द कर दिया गया और बी० डी० ओ० के सम्बन्ध में सुनने में आया है कि उनके स्थानान्तरण के आदेश तो कर दिए थे लेकिन कोई अधिकारी उन्हें दबाये बैठा है। यहां की ही नहीं तमाम ब्लाकों के बारे में इस प्रकार की शिकायतें हैं। जो विकास विभाग बनाया गया था आशा तो यह थी कि इसके कर्मचारी किसानों की मदद करेंगे, उनके साथ खेतों में खड़े होंगे, किसानों के दुःख दर्द को समझकर उनको राहत देंगे लेकिन होता यह है कि आज जब किसान बी० डी० ओ० से मिलने जाता है कोई

दरख्वास्त देना चाहता है तो पहले उसे उस चपरासी से जो दरवाजे पर बैठा होता है, आवेदन करना पड़ता है तब वह बी० डी० ओ० से मिल पाता है ।

मैं नहीं समझ पाया कि इस सामुदायिक विभाग से किस समुदाय का लाभ होता है। यह विकास करता है उत्तर प्रदेश में उस समुदाय का जो चोरों का, डकैतों का, भ्रष्टाचारियों का, रिश्वतखोरों का है। इस समुदाय का इस विभाग ने विकास किया है। आज कोई भी गरीब नहीं कह सकता इन ४ पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी कि हमें कुछ राहत मिली है।

इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जगदीश मिश्र (जिला आजमगढ़)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे जो बोलने का समय दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान संख्या ४५, ७८ और ९४ सदन में प्रस्तुत किए हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं ।

श्रीमन्, हमने यहां पर माननीय मंत्री जी व अन्य माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना। सामुदायिक विकास में ग्राम सभायें, क्षेत्र समितियां और जिले आते हैं। ग्राम सभाओं में ग्राम सेवक और पंचायत सेवक पंचायतों की और सामुदायिक विकास की रीढ़ हैं। ऐसा कहा गया है कि हमारी ग्राम सभाओं और सामुदायिक विकास विभाग ने कोई तरक्की नहीं की है। मेरा निवेदन है कि सबसे बड़ी उपलब्धि इस विभाग की यह है कि बिना सरकार की उचित या काफी व्यवस्था के इतनी बड़ी ग्राम पंचायतों का ये स्वयं चुनाव कर लेते हैं और ग्राम सभाओं के सदस्यों को और प्रधान को चुनते हैं। ये प्रधान अपनी क्षेत्र समितियों को बनाते हैं और जिला परिषद के सदस्यों को बनाते हैं और फिर यही क्षेत्र समितियां और जिला परिषदों के सदस्य जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और अध्यक्ष बनाते हैं। यह इस विभाग की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सब इस सामुदायिक विकास विभाग में आते हैं। ऐसा भी कहा गया है कि सामुदायिक विकास ने जब २ अक्टूबर, १९५२ में, इस संस्था ने जब से अपना काम शुरू किया तो आज तक कोई उपलब्धि नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं १५ वर्ष तक लगभग ब्लाक प्रमुख रहा हूं बीच में कुछ वर्ष को छोड़ कर हमें अनुभव है कि अगर क्षेत्र समितियों या ग्राम सभाओं ने इस प्रदेश में काम किया होता तो जो रासायनिक खाद और नलकूप और ट्रैक्टर हैं इसका इस्तेमाल जनता तक कभी नहीं पहुंचता। श्रीमन, शुरू-शुरू में १९५२-५३ में सामुदायिक कार्य के संबंध में किसान कहता था गांव में कि यह सरकारी खाद डाल देंगे तो जमीन ऊसर, बंजर पड़ जायगी, इससे हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। ये ग्राम सेवक, पंचायत–सेवक, ए०डी० ओ०, बी० डी० ओ० लोग गांव में किसानों के बीच में बैठ कर खादों की उपयोगिता को समझाते थे और खादों की अनुदान दे देकर, सबसिडी देकर, प्रदर्शन कराकर मुफ्त में एक हिस्से में बिला खाद की और दूसरे में खाद की बुवाई किसानों के सामने करके और पैदा करके दिखा करके सामुदायिक विकास के हमारे कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच में एक क्रान्ति की लहर दौड़ाई है।

[श्री जगदीश मिश्र]

श्रीमन्, यह भी कहा गया है की सिंचाई की सुविधा की ओर जबसे सामुदायिक विकास कायम हुआ तभी से आकर्षित हुआ है, वरना पुर से, रहट और ढेंकली से काम चलाता था किसान। अनुदान और सिंचाई के साधनों के बढ़ने से, पेड़ पौधों के लगाने की समस्या आगे बढ़ी है। एक बात अपनी जगह पर साफ है कि यदि सामुदायिक विकास न रहा होता तो जनता और सरकार के बीच की कड़ी जैसी कोई संस्था नहीं है सेवा करने वाली। आज जनता पुलिस को भी करीब नहीं रखना चाहती। माल विभाग वालों से अपेक्षा करती है कि यह हमसे लेने आये हैं, देने के लिये नहीं। लेकिन यही पंचायत सेवक, ग्राम सेवक गांव के घरों और खेतों में बैठ कर किसानों को खेत की मेड़बन्दी की उपयोगिता, फसल की सुरक्षा की उपयोगिता बताते रहे हैं और आज हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि तरक्की नहीं हुई। यह सही है कि जितनी होनी चाहिये थी वह नहीं हुई इसमें दो राय नहीं हैं। यह तरक्की की निशानी है कि आगे हम तरक्की करें।

हमारे लायक दोस्त ने कहा है कि क्षेत्र समिति की बैठक के लिये प्रधानों को भत्ता दिया जाय इसलिये कि कम बैठक होती है और आपने कहा कि बैठक में कुछ नहीं होने वाला है, इसलिये क्षेत्र समिति की बैठक कम होती है। मैं बहुत ही नम्रता से निवेदन करूंगा कि वह जिलापरिषद् और क्षेत्र समिति अधिनियम पढ़ने की कृपा करें। समस्त ब्लाकों के अन्दर क्षेत्र समिति के अतर्गत जितने भी प्रगति के काम होने वाले हैं, चाहे कोआपरेटिव का काम हो, कृषि बीज का काम हो, पौध संरक्षण या किसी तरह का काम हो सारे क्षेत्र समिति ऐक्ट में प्रोवाइडेड है कि वह अपने अधिकार का प्रयोग करके अपने रिसोर्सेज का जैसा इस्तेमाल चाहें करें, जितना चाहे पुलिया, खरंजा बनावे और अन्य साधनों का प्रयोग करें। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसमें कुछ कमियां भी हमारे सामने हैं, जैसा कि (लाल बत्ती होने पर) ५ मिनट और चाहूंगा श्रीमन्। तो ग्राम सेवक और पंचायत सेवक जो होते हैं तो पंचायत सेवक का अपने जिलों में इसलिये काम नहीं हो पाता कि पंचायतों को यह अधिकार दिया गया है कि गांव के पंच बैठें और रबी और खरीफ इत्यादि के संबंध में समस्त ब्लाक के लोग बैठकर के अपने गांव की योजना को बनावें। और जब जब जरूरत पड़े मीटिंगों को करे। अपने गांवों के विकास की योजनायें वे स्वयं बनावें।

पंचायत सेवकों को और ग्राम सेवकों को कम से कम अपने शहरों जिलों में नहीं रहना चाहिये, बाहर रहना चाहिये ताकि वे अपना काम करें। पौध संरक्षण का काम भी ठीक प्रकार से नहीं होता है। बड़े बड़े पेड़ लगा तो दिये जाते हैं लेकिन उनकी देख रेख नहीं होती।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ, आप कृपया बैठें।

*श्री लक्ष्मी नारायण (जिला गोरखपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। इस विभाग को शुरू हुये २२ वर्ष हो रहे हैं। जब यह विभाग शुरू हुआ था तो उस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समय पंडित जी ने कहा था कि सामुदायिक विकास योजना एक प्रकाश स्तम्भ होगी देहात की जिन्दगी के अन्धकार को दूर करने के लिये। इस विभाग के जो केन्द्रीय मंत्री थे उन्होंने भी उस समय कहा था कि आजादी के बाद हमारे देश में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होना चाहिये जिससे जनता में सहयोग की भावना पैदा हो, जो भी विकास के कार्य शुरू किये जायें उनमें जनता का सहयोग हो और इसीलिये इसका नाम सामुदायिक विकास योजना रखा गया था। उस वक्त कहा गया था कि इस योजना में हम शासक वर्ग और शोषित वर्ग दोनों का ही सहयोग लेंगे। मगर देखने में यह आ रहा है कि जो भी योजनायें चलायी जाती हैं, चाहें वे ग्राम स्तर पर हों, चाहें ब्लाक स्तर पर हों, चाहे जिला स्तर पर हों, चाहें कोई प्लानिंग से संबंधित योजना हो, जो पैसे वाले और बड़े-बड़े लोग होते हैं वे ही उन योजनाओं का लाभ उठा पाते हैं और वे हीं लोग गांव सभा, न्याय पंचायत तथा ब्लाकों में काबिज हैं। ऐसे लोगों से क्या विकास का काम हो सकेगा, गरीब जनता का क्या लाभ हो सकेगा, यह समझ में नहीं आता। जो गरीब और पिछड़ी हुई जनता है उसका विकास इन २२ सालों में बिलकुल नहीं हुआ है। २२ वर्षों के सरकार के कार्यकलापों को जब हम देखते हैं तो बड़ी निराशा दिखाई देती है। ग्रामीणों के विकास में कोई योगदान इस विभाग का दिखाई नहीं देता।

आज जो सबसे पिछड़ा हुआ तबका है, जो हमारा गरीब वर्ग है जो हरिजन वर्ग है, उसकी तरफ आप देखिये। अखबारों में रोज ही उनके मारने पीटने की ओर उनके दबने की ओर इसी प्रकार की सूचनायें रोज आती हैं।

दूसरी तरफ आपके द्वारा जो योजनायें चलायी गयी हैं जो सरकार द्वारा चलायी गयीं हैं और जिन पर सरकार पैसा खर्च कर रही है, उस पैसों का इस्तेमाल ठीक नहीं हो रहा है। जैसे अन्य विभागों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसकी तरीके से आज इस विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अगर देखा जाय कि जो आपकी योजनायें हैं उनकी मंशा क्या है तो यही हैं कि जो देहात की जनता है उसको इसमें लाया जाय। उनके श्रम को लिया जाय, सहयोग को लिया जाय, योगदान को लिया जाय। तो यह आपको कहीं पर दिखायी नहीं देगा। अगर देहात की जिंदगी की ओर विकास के कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की जायेगी, उनसे सहयोग नहीं लिया जायेगा, जो सामाजिक वातावरण है उसको दूर नहीं किया जायेगा, जो समाज में विषमता व्याप्त है उसको हटाया नहीं जायेगा तो जो आपकी योजना की मंशा है वह पूरी नहीं होगी। यह मंशा कभी भी पूरी होना संभव नहीं है। तो मैं कुछ बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

आप मेरे जिले में देखें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके जरिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं। आप देखें ब्लाकों पर लोग किस तरह से कब्जा किये हुये हैं। मैं अपने जिले के ४ ब्लाकों की बात कहना चाहता हूं। एक ब्लाक में एक सेठ ब्लाक प्रमुख हैं। इस व्यक्ति को ब्लेक प्रमुख कहा जाता है। और दूसरे जो ब्लाक हैं वहां पर पहलवान लोग कब्जा किये हैं। पहलवान से मेरा मतलब गुन्डों और इसी किस्म के लोगों की तरफ है। यह बड़े-बड़े लोग आज ब्लाकों में बैठे हुये हैं। कब्जा किये हुये हैं। ऐसा आपने माहौल पैदा किया है। आजादी के बाद जिस माहौल के खिलाफ जनता ने आवाज उठायी थी कि उसको

[श्री लक्ष्मी नारायण]

दबाया जाना चाहिये, नयी रोशनी दी जानी चाहिये, समाज को पनपने का अवसर दिया जाना चाहिये, विकास के कार्यक्रमों को शुरू किया जाना चाहिये, जिस समझदारी को लेकर जनता ने आवाज उठायी थी वही आज उनको नहीं मिल रहा है। जो योजनायें चलायीं गयीं थीं उसके अंदर जो नीति क्लाश कोलेबरेशन की थी वह इन २२ सालों के बाद आज भी जनता को नहीं सुलभ हुयी है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपने अनेक कानून बनाये हैं। जो छोटे-छोटे लोग हैं उनसे बड़े-बड़े लोग १ रुपये रोज पर मजदूरी कराते हैं। एक रुपये रोज देकर वह १२ घंटे काम लेते हैं, सुबह सूरज निकलने से शाम को सूरज डूबने तक। अगर वह गरीब एक दिन काम पर नहीं आता है तो उसकी दो दिन की मजदूरी काट ली जाती है। उसको मारा-पीटा जाता है, परेशान किया जाता है। ऐसे बड़े-बड़े लोग आज ब्लाक प्रमुख हैं। आप समझ सकते हैं कि आज इनसे देहात की जनता की जिंदगी में कैसे तब्दीली आ सकती है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो यह क्लाश कोलेबरेशन की, वर्ग सहयोग की नीति आप की तब तक सफल नहीं होगी जब तक आप इस जनता को संघर्षरत नहीं करेंगे। उनमे चेतना नहीं पैदा करेंगे, तब तक आप सफल नहीं होंगें। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी नीतियों की ओर ध्यान दें, समाज को आगे ले जाकर उसका विकास करें, जनता का विकास करें और जो देहात की जिंदगी हैं उसमें एक नयी चेतना पैदा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने हमारे सामुदायिक विकास मंत्री जी ने जो अनुदान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में दो शब्द कहने का अवसर दिया। सामुदायिक विकास का निर्माण क्यों हुआ, कैसे हुआ यदि इसकी हम विवेचना करें तो निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह योजना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अति-आवश्यक और सबसे महत्वपूर्ण कार्य रूप में इस देश और प्रदेश में लागू की गई। आप उन दिनों का स्मरण करें जबकि यह देश आजाद नहीं था। हमारे किसानों की क्या दशा थी, सहकारिता की क्या दशा थी, शिक्षा की क्या दशा थी आदि। उस समय गांवों में किसान रसायनिक खाद का प्रयोग करने से डरता था। वह सोचता था कि यदि हम इसका प्रयोग करेंगे तो हमारी फसल को क्षति होगी तथा कहीं हमारी जमीन ऊसर न हो जाय। पुराने जमाने में किसान अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजता था क्यों कि उनको शिक्षा के महत्व के बारे में ज्ञान नहीं था। इसलिये आवश्यकता पड़ी कि सामुदायिक विकास का प्रादुर्भाव किया जाय। उस जमाने में यदि कोई मिडिल पास कर लेता था तो वह खेती करना अच्छा नहीं समझता था। उस समय रसायनिक खाद के प्रयोग के लिये ग्राम सेवक साइकिल से खाद ले जाकर तथा प्रदर्शन द्वारा किसानों को ज्ञान कराते थे कि इसके प्रयोग से क्या फायदा होते हैं। तब कहीं किसान ने उस खाद का स्तेमाल करना शुरू किया। और आज यह हालत है कि रसायनिक खाद की कमी पड़ गई है। इन सबका कारण था रुढ़िवादिता। आप जानते हैं कि किसी देश का विकास एवं आर्थिक स्थिति को तो कुछ वर्ष में सुधार सकते हैं लेकिन रुढ़िवादिता खत्म करने में सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। आज वह रूढ़िवादिता समाप्त हो गई है

और उसका श्रेय सामुदायिक विकाश के कार्यकर्ताओं को देना चाहिये। यदि रुढ़िवादिता न समाप्त होती तो नये-नये बीज, रसायनिक खादों का प्रयोग तथा हाई ईल्डिंग वैराइटीज के बारे में वे न जानते और इन चीजों का लाभ आज जो किसान उठा रहा है वह न उठा पाता। अतः इसका श्रेय सामुदायिक विकास के कार्यकर्ताओं को जाता है।

मान्यवर आज ग्राम सेवकों को प्रशिक्षण देने की जरूरत है क्योंकि उससे जो किसान जानना चाहता है उसकी उसमें योग्यता नहीं है। जैसे कि प्राइमरी स्कूल का शिक्षक जो कक्षा ५ तक ही पढ़ा सकता है और आगे नहीं पढ़ा सकता है क्योंकि उसमें आगे पढ़ाने की योग्यता नहीं है। यही स्थिति ग्राम सेवकों की है इसलिये ग्राम सेवकों को नयी कृषि, तकनीक का प्रशिक्षण दे। सहकारिता की प्रगति की बात देहातों में है, स्कूल बनने की बात है पंचायत भवनों की बात है तो इनको कार्य रूप में देने में सामुदायिक विकास ने जो सहायता की है वह स्मरणनीय है। उसको जितना आगे बढ़ायगे उतना ही अधिक विकास हमारे देश का होगा। होगा। ८५ प्रतिशत जनता जो गांव में रहती है यदि उसका विकास न हुआ तो इस देश और प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है।

मान्यवर, ब्लाकों में ग्राम सेविकायें थी जो ५० फीसदी जनता की सेवा करती थी उनको समाप्त कर दिया गया। इनको क्यों समाप्त कर दिया गया? यदि उनमें दोष था तो उस दोष को दूर किया जा सकता था। चूंकि व्यवस्था दोष पूर्ण थी इसलिये समाप्त कर दिया गया। यह उनके प्रति बड़ा भारी अन्याय किया गया है। अतः मैं निवेदन करूंगा कि इसको पुनः चालू किया जाय। पर्वतीय अंचल में स्त्रियां कृषि, पशुपालन और फलों का काम करती हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि इसको फिर से चालू किया जाय।

जहांतक कर्मचारियों की बात है यह सत्य है कि पी०सी० एस० और आई० ए० एस० का प्रदेश में आधिपत्य है और पूरे देश में है। सामुदायिक विकास या पंचायती राज विभाग में यह लोग उच्च स्थान ग्रहण किये हुये हैं। यह निश्चित बात है कि उस कार्य में उनकी रुचि नहीं है और कुछ दिनों के बाद दूसरे विभाग में चले जाते हैं और इसकी आलोचना करते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि ग्राम सेवक को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर तक होने के मौके दिये जांय आज तो वह ग्राम सेवक के रूप में आता है और ग्राम सेवक के रूप में ही अवकाश ग्रहण कर लेता है। वह सबसे अधिक दयनीय अवस्था में है। आप कहते हैं कि वह काम नहीं करता है। सच यह है कि सामुदायिक विकास के कार्यों को करने का उसे अवसर बहुत कम मिलता है क्योंकि ब्लाक में कभी गेहूं वसूली की योजना जाती है तो कभी परिवार नियोजन की योजना जाती है। सभी के अलग अलग विभाग हैं और उनको इन्हें करना चाहिये। यह उत्तरदायित्व सामुदायिक विकास के कार्य कर्त्ताओं पर नहीं रक्खा जाना चाहिये। जब तक ऐसा होगा वह अपना कार्य ठीक से पूरा नहीं कर सकेंगे। ग्राम सेवकों का प्रशिक्षण ३ या ९ महीनों का होता है और उसके बाद भी वह ग्राम सेवक ही रहता है। तो ग्राम सेवक जो प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास हो उसको ए० डी० ओ० और बी० डी० ओ० बनाया जाना चाहिये। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे काम में वह

[श्री देव बहादुर सिंह]

रुचि नहीं लेंगे। आपने बी० डी० ओ० को डी० पी० ओ० बनाया है। तो जब तक आगे का रास्ता खुला रहता है कर्मचारी काम में रुचि लेता है। मैं एक बार फिर पंचायती राज मंत्री के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि पंचायत सेवक सरकारी नौकरी में नहीं थे लेकिन अब वह सरकारी नौकरी में हो गये हैं। इन शब्दों के साथ मंत्री महोदय ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री रामअधार (जिला आजमगढ़)--

इस सामुदायिक विकास और पंचायती राज विभाग के ऊपर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये मैं चन्द बात कहना चाहता हूं कि। एक बात कही जाती है कि जब से अंग्रेज गये तो उसके बाद देश की बड़ी तरक्की हुई है। मेरा तो कहना यह है कि जब अंग्रेज गये और भारत का शासन कांग्रेस के हाथ में आया तो उसने पश्चिम की नकल की जिसका परिणाम यह हुआ कि जब अंग्रेज गये थे तो भारत का बाहर के देशों में १,३०० करोड़ रुपया जमा था लेकिन आज भारत पर दूसरे देशों का ७,०२७ करोड़ रुपया कर्ज है। यह कांग्रेस सरकार की भारत को सबसे बड़ी देन है। पहली और दूसरी योजना पर ३८२ करोड़ रुपया खर्च किया गया और तीसरी योजना पर ५०२ करोड़ खर्च किया गया तथा चौथी योजना पर १०४६ करोड़ रुपया खर्च किया गया। फिर भी पूरे भारत के अनुसार उत्तर प्रदेश की औसत आमदनी बढ़ी नहीं। जहां पहली योजना में औसत आमदनी २५९.६२ रु० पूरे भारत की थी वह उत्तर प्रदेश की २४७.५ रुपया ही थी।

दूसरी योजना में जहां संपूर्ण भारत की आय ३१० रु० थी वहां उत्तर प्रदेश की आय घटकर २४५.८८ रुपया हो गयी। इस तरह से यह बात साफ है कि आपने योजनाओं पर रुपया खर्च किया, विदेशों से कर्ज लिया, बैंकों से कर्ज लिया, केन्द्रीय सरकार से कर्ज लिया लेकिन आपकी योजना इस गलत रास्ते से चली कि आपकी योजना गांव तक नहीं पहुंच पायी और इसका कारण यह है कि योजना बनाने वालों का सम्बन्ध गांवों से नहीं है। हमारे जिले में जिलाधीश थे मेवाराम जी और अब शायद आपके पंचायती राज विभाग में एक बड़े अफसर हैं। मेरी जहां तक जानकारी है उनके नेतृत्व में आजमगढ़ में सड़कों और ब्लाकों का रचनात्मक सुधार हुआ और मैं समझता हूं कि अगर इस तरह के अधिकारी हो तो आपके विभाग की तरक्की हो सकती है नहीं तो जिस तरह से यह विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है इस विभाग में तरक्की नहीं हो सकती। एक तरफ उत्तर प्रदेश की आमदनी घट रही है और दूसरी तरफ केन्द्रीय सहायता कम मिल रही है। केन्द्रीय सहायता के मामले में भी यह सरकार असफल रही है। जहां प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सरकार ने ९२ रुपया दिया वहीं उत्तर प्रदेश को केवल ९२ रुपया दिया और केन्द्रीय सरकार का अनुदान सामुदायिक विकास के नाम पर केवल ४६ रुपया रहा। उत्तर प्रदेश की सरकार दिल्ली सरकार की चाहे लाख चापलूसी करे, मैं समझता हूं केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उपेक्षा करती है और उत्तर प्रदेश की सरकार यहां की जनता की उपेक्षा करती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)––

दिल्ली नाराज हो गयी ।

श्री राम अधार––

दिल्ली तो नाराज है ही माननीय बहुगुणा और बाजपेयी जी के झगड़े से । ९६५ करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित थी । उसके बाद भी १५० करोड़ रुपया आपने अधिक खर्च किया लेकिन जहां पूरे हिन्दुस्तान की ५ प्रतिशत आय बढ़ी वहां यू० पी० की ३ प्रतिशत ही रह गयी । लेकिन इस पर कांग्रेस के लोग कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दर इसलिये घटी कि यहां देवी प्रकोप हो गया । यहां तो अजीब हाल है । अगर फसल अच्छी हो जाय तो माननीय मुख्य मंत्री और पंचायती राज मंत्री कहेंगे कि यह हमारी सरकार की देन है और क्योंकि हमारे अधिकारियों ने बड़े जोश खरोस से काम किया इसलिये फसल अच्छी हुई और अगर कहीं फसल खराब हो जाय तो यह आरोप लगा देंगे कि इन्द्र का दोष है । मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में गलत आर्थिक नीतियों और चन्द भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से आपकी योजना कामयाब नहीं हो सकती । मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा । मैं अपने जिले आजमगढ़ की बात बतलाता हूं । एक नियोजन अधिकारी हैं । उनके बारे में सुनते हैं कि माननीय परिवहन मंत्री के कुछ रिश्तेदार लगते हैं । उनका इतना असर है कि वहां के जिलाधीश ने उनको ही सारे अधिकार दे दिये हैं । एग्रो की खाद, सीमेंट के बांटने में सारा भ्रष्टाचार उन नियोजन अधिकारी के नेतत्व में होता है । नगरपालिका, टाउन एरिया और म्युनिसिपल बोर्ड के माध्यम से खाद का ब्लैक करवाते हैं । एग्रो के खाद हमारे जिले में जिन प्राइवेट डीलर्स के पास थी उनकी बाबत शिकायत हुई और उनको कैंसिल किया गया । लेकिन नियोजन अधिकारी के माध्यम से फिर उनको बहाल कर दिया गया । यही नहीं गोरखपुर में एक कृषि रक्षा अधिकारी हैं । १ नवम्बर सन १९७१ को उनके विरुद्ध ८० हजार रुपये के गबन का चार्ज था । सन् ७१ में वह निलम्बित किये गये और फिर इस सरकार ने उनकी मुअत्तली समाप्त करके उनको नौकरी दे दी । अगर इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी होंगे तो आपका नियोजन नहीं चल सकता । आप किसान को रुपया देते हैं । उस रुपये को पास कराने में ग्राम सेवक और सम्बन्धित अधिकारी उस किसान से पैसा लेते हैं । इसके बाद ग्राम सेवक और फिर बी० डी० ओ० पैसा लेते हैं । ब्लाक में बिकास खंड अधिकारियों के लिए कमीशन बंधा हुआ है । बी० डी० ओ०, जिला नियोजन अधिकारी और सारे कर्मचारी मिले हुए रहते हैं । अगर कोई किसान एक इंजन खरीदता है तो उसे उस इंजन को एक निर्धारित दूकान से ही खरीदना पड़ता है । भले ही वह इंजन आगे चल कर कुछ दिनों के बाद ही खराब हो जाय । इससे आपकी इस योजना के प्रति किसानों में घनघोर असन्तोष है ।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक बात की ओर और आकृष्ट करना चाहता हूं । अगर आपके अन्दर और आपके विभाग के अन्दर भ्रष्टाचार को दूर करने की बात है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जिला परिषदों में जो सदस्यों को नामजद किया है, उसमें अधिक से अधिक कांग्रेस के सदस्यों को ही नामजद किया है । साथ ही

[श्री राम अधार]

साथ मेरा दावा है कि उसके अन्दर अधिक से अधिक भ्रष्ट सदस्य नामजद किये गये हैं। जैसे लखनऊ के जुगौर यूनियन के अध्यक्ष जिनके ऊपर गबन का आरोप है और जिनके ऊपर मुकदमा भी चल रहा है, उनको आपने नामजद किया है। मैं चाहता हूं कि हमारे जिले के जो नियोजन अधिकारी हैं उनको आप हटावें।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

*श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी (जिला बस्ती)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सामुदायिक विकास मंत्री के द्वारा प्रस्तुत बजट अनुदान के समर्थन में तथा कटौती प्रस्ताव के विरोध में मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह वह सामुदायिक विकास विभाग है जिसकी परिकल्पना उस भविष्यद्रष्टा पंडित जवाहर लाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी और उन्हीं के द्वारा यह सामुदायिक विकास अर्थात इस देश के ८५ प्रतिशत जनता के सर्वांगीण विकास के लिये यह कदम बढ़ाया गया था। अभी हमारे विरोधी पक्ष के माननीय राम अधार जी ने कहा कि यह पश्चिम की नकल है। लेकिन मुझे दुख है कि उनको अपने भूतकाल के इतिहास का ज्ञान नहीं है। उनको यह ज्ञान नहीं है कि हमारे देश में पहले प्रजातंत्र प्रणाली थी और गांव-गांव में पंचायतें थीं। पंच परमेश्वर है, इस उक्ति का उद्घोष हमारे ही देश से हुआ है। इसलिए यह कहना कि यह पश्चिम की नकल है, हास्यास्पद बात मालूम होती है।

मान्यवर, समय अधिक नहीं है इसलिय मैं अधिक न कह कर केवल आपके सामने यह चीज रखना चाहता हूं कि यदि यह सामुदायिक विकास एक सुनियोजित लक्ष्य के लिये सुनियोजित बद्ध तरीके से न किया गया होता तो आज इस देश व प्रदेश के रहने वाले जो ८५ प्रतिशत लोग हैं और जो हमारी कृषि की रीढ़ हैं, वे बाबा आदम के जमाने में रह गये होते। जैसे पहले राजा दशरथ के जमाने में कृषि प्रणाली चलती थी, वही प्रणाली आज भी चलती लेकिन आज जो हमारी धरती है वह शस्य श्यामला है और आज हम यहां नये-नये बीज के जरिये अधिक से अधिक उत्पादन कर रहे हैं। यही कारण है कि आज जो अनपढ़ किसान हैं वे भी जानने लगे हैं कि नाइट्रोजन वाली, फास्फेटिक या पोटास वाली खाद कौन है और किस खाद को किस मात्रा में देना चाहिये। साथ ही उनको फसल चक्र का ज्ञान भी है कि एक साल में कितनी फसल उगावें। मान्यवर, यह कहना कि यह विभाग कुछ नहीं कर रहा है, इसमें तो मुझको वही कहावत याद आती है कि सावन में जो अंधा होता है, उसे चारों तरफ हरियाली ही नजर आती है।

(इस समय ३ बजकर १२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामसुन्दर पाण्डेय पीठासीन हुए।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं माननीय विकास मंत्री के समक्ष कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। समय कम है, इसलिये अधिक नहीं बोलूंगा। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि ग्राम पंचायतों के अधिकार बढ़ाये जायं। ग्राम पंचायतें प्राथमिक इकाइयां हैं और यदि उनके अधिकार नहीं बढ़ाये जाते तो काम चलने वाला नहीं है। साथ ही, जैसा इधर और उधर के पक्ष के लोगों ने कहा, हमारे लगान का, इनकम का, ग्राम के द्वारा जो आमदनी होती है, उसका एक–चौथाई भाग उसी गांव पर लगाया जाय तो यह बुनियादी कदम होगा और इसकी आवश्यकता है। मान्यवर, न्याय पंचायतों के जो फैसले होते हैं, वे लागू नहीं हो पाते। वहां पर पुलिस उपस्थित हो। जो फैसले दीवानी या फौजदारी के हों, उनको तत्काल लागू कराया जाय, अन्यथा न्याय पंचायतों के फैसले मखौल बनकर रह जाते हैं। साथ ही, ग्राम सेवक और पंचायत सेवकों के विषय में यह कहना कि, जैसा कि कटौती का प्रस्ताव रखने वाले माननीय सदस्य ने कहा, इन लोगों को उन्नति का समुचित अवसर नहीं मिलता। शायद उन माननीय सदस्य को मालूम नहीं, बहुत से ग्राम–सेवकों को अच्छे कार्य के आधार पर पुरष्कृत किया जाता है अपने ही प्रदेश में,विभिन्न प्रदेशों में और पूरे भारत में। लेकिन मेरा यह भी कहना है कि उनकी पदोन्नति का पूरा ध्यान रखा जाय। यदि वे अच्छा कार्य करते हैं तो उनको ए० डी० ओ०/बी० डी० ओ० बनाया जाय ताकि उनमें अच्छा कार्य करने की रुचि हो। ग्राम सेवक, पंचायत सेवक और साथ ही साथ लेखपाल (जो कि ग्राम समाज की सम्पत्ति का सचिव होता है) के ऊपर हमारे गांव पंचायतों का, प्रधान के माध्यम से, नियंत्रण होना चाहिये, अन्यथा ये लोग ग्राम प्रधान को कुछ समझते नहीं। बहुत से ग्राम प्रधान, जो अनपढ़ हैं, दबे हुये हैं, इनका बस्ता ढोते हैं कि कहीं लेखपाल महोदय उनका खेत दूसरे के नाम न लिख दे। पंचायत सेवक कहीं अविश्वास का प्रस्ताव उनके खिलाफ न ला दे। अगर कार्यकारी नियंत्रण गांव पंचायतों का इन कर्मचारियों पर रहेगा, तो इनको डर रहेगा। ग्राम पंचायतों के प्रधान और सदस्यों द्वारा इनकी चरित्र पुस्तिका में कुछ प्रविष्टियां भी करायी जायं ताकि नियंत्रण रहे। आज बी० डी० ओ० का ए० डी० ओ० पर न तो नियंत्रण है और न काम में कोआर्डीनेशन मैं १२ साल तक ब्लाक प्रमुख रह चुका हूं। बी० डी० ओ० का कार्यकारी नियंत्रण ए० डी० ओ० पर नहीं है और ए० डी० ओ० मनमानी करता है। पहले दौरे अधिक होते थे लेकिन अब कम होते हैं। ये लोग पंखे के नीचे कुर्सी पर बैठे रहते हैं और गांव में धूप, कीचड़ और पानी में जाना नहीं पसंद करते। इसके लिये ये आदेश किये जायं कि ये लोग दौरे अधिक करें। महीने में २० दिन, बल्कि २५ दिन दौरे करें। आफिस में बैठने का क्या काम ? कुछ गांवों में जाकर काम देखें।

ब्लाकों की बैठकें नियमित नहीं होतीं। कभी दो महीने में कभी ढाई महीने में होती हैं। ब्लाक में पारित प्रस्ताव रजिस्टर में बंद पड़े रहते हैं। उन प्रस्तावों को उच्च अधिकारियों तक अविलम्ब भेजा जाना चाहिये। क्षेत्रीय विधायकों को ब्लाक मीटिंग्स की सूचना दी जानी चाहिये और यदि क्षेत्रीय विधायक उपस्थित न हो सकें तो पारित कार्यवाही की एक प्रति उनको भी भेजी जानी चाहिये ताकि उसकी क्षेत्रीय गतिविधियों की जानकारी रहे। आपके द्वारा मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि लघु सिंचाई योजना पर ध्यान दिया जाय

[श्री गोपीनाथ कामश्वरपुरी]

क्योंकि सबसे ज्यादा उसी की आवश्यकता है। इसके अलावा जिला परिषदों का चुनाव सदस्यों के द्वारा न करा कर पूरे ब्लाक से करायें क्योंकि जितना विस्तृत चुनाव करायेंगे उतना ही भ्रष्टाचार कम होगा। इतना कह कर मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं।

*बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)—

मैं मान्यवर, आपके द्वारा सामुदायिक विकास मंत्री से कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर लगभग ८० लाख आदमी ऐसे हैं जिनके पास रहने को जमीन भी नहीं है और जिन को आप आज तक जमीन नहीं दे सके। लिहाजा सुअर पालन, मुर्गी पालन, घोड़ा पालन की जो आप बात करते हैं तो वह मुर्गी रखेगा कहां जब उसके पास जमीन ही नहीं होगी। केरल सरकार ने एक रास्ता दिखाया है कि हरिजनों को, भूमिहीनों को सबसे पहले जमीन दी जाय और डेरी अथवा मुर्गी पालन की बात बाद में की जाय।

एक केश प्रोग्राम चलाया गया लिंक रोड्स का जिस पर २० करोड़ ३३ लाख रुपया खर्च हुआ जिसकेअन्तर्गत ४ हजार किलोमीटर की ६४८ सड़कों के निर्माण की बात कही गयी थी। मैं गारंटी से कहता हूं कि ६४८ सड़कें तो क्या ६४ सड़कें भी अच्छी तरह से नहीं बनीं होंगी। अगर इन सड़को की धनराशि गरीब आदमियों को दे दी होती तो अधिक लाभप्रद रहता। लिंकरोड्स पर लगभग ८५ लाख ३० हजार रुपया रखा गया और उसकी भी वही हालत हुई।

कम्युनिटी डेवलपमेंट का सबसे बड़ा काम है प्रचार का। लेकिन प्रचार का माध्यम या तो रेडियो हो या अखबार हो। दुर्भाग्य से पूरे देश के अन्दर १० हजार आदमियों में १३ व्यक्ति अखबार पढ़ते हैं तो वे आपकी योजनाओं को क्या समझेंगे जब शिक्षा का यह मापदंड है। इसके अलावा १० हजार आदमियों में से ७७ आदमियों के पास रेडियो है। तो फिर किस तरह से आप प्रचार करते हैं ?

बी० डी० ओ० तथा ए० डी० ओ० कारों को छोड़ कर पैदल देहातों में जायं तब भी प्रचार हो सकता है लेकिन यह नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में ७२००९ जो ग्राम सभायें हैं उनसे आप किस प्रकार से अपने विभाग का सम्बन्ध जोड़ते हैं ? जब तक आपके कर्मचारी ब्यूरोक्रेटिक लाइन छोड़ कर पैदल जा कर देहात में जन सम्पर्क स्थापित नहीं करते तब तक प्रचार नहीं हो सकता।

आप देखें कि फूड हेबिट्स भी बदलने की आवश्यकता है। हमारी खाने की आदतें शाकाहारी हैं, उनको छोड़ नहीं सकते। लेकिन डेरीफार्मिंग का हाल यह है कि ६०, ६५ लाख गायें हैं, भैंसे हैं तथा १८ लाख बकरियां हैं और दूध होता है ७४ लाख टन, प्रति व्यक्ति १ औंस से भी कम दूध मिल पाता है। आप बड़ी बड़ी योजनाओं की बात करते हैं.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

बाबा राम नाथ जी ने गधई का नाम नहीं लिया। भूतपूर्व खाद्य मंत्री सुब्रमनियम ने कहा था— जितने पशुओं का दूध होता है उसमें सबसे ज्यादा माकूल गधइया का दूध होता है. . . . .

श्री अधिष्ठाता —

आप बैठें ।

बाबा राम नाथ—

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह विभाग वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। महत्वपूर्ण कार्यों में सबसे बड़ा काम छोटा काम होता है। लेकिन आज दुर्भाग्य से चाहे वह केन्द्रीय सरकार हो या प्रदेशीय सरकार हो, छोटा काम नहीं करना चाहती है। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि रेडियो और अखबारों के द्वारा प्रचार का जो मापदंड है वह हमारे यहां सफल नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे यहां का किसान इतना पढ़ा–लिखा नहीं है। इसलिये आप इस विभाग में काम करने वाले लोगों को चौकन्ना कर दें। एक साहब ने बताया कि आज कृषि ने इंक्लाब पैदा कर दिया है। आपने जो आंकड़े दिये हैं उसकी तुलना जर्मनी और जापान के आंकड़ों से कर लें तो आप कहीं भी नहीं ठहरते हैं। २६ साल की आजादी के बाद आपने इतना कर दिया तो क्या आप इसे काफी समझते हैं? यदि आपको विकास करना है तो आज जो वास्तविक प्रदेशीय समस्यायें हैं उनको समझना पड़ेगा, साधारण तरीके जनता के बीच जाना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि हमारे यहां किन–किन चीजों की आवश्यकता है।

हमारे प्रदेश में पोल्ट्री फार्मिंग और फिशरीज की ओर सबसे कम ध्यान दिया गया है। जितनी मछलियां पकड़ी जाती हैं वे सब दूसरे प्रदेशों–कलकत्ता वगैरह भेज दी जाती हैं। तो मंत्री जी को इस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिये। इससे थोड़े रुपयों से ज्यादा काम चल सकता है, खाद्य समस्या हल हो सकती है और पर–कैपिटा इनकम भी बढ़ सकती है। मंत्री जी मेरे इन सुझावों को नोट कर लें और उन पर गौर करें कि हमारे यहां पोल्ट्री और फिशरीज का कार्य केरल की अपेक्षा बहुत कम है। हमारे यहां गंगा और जमुना आदि नदियों से काफी मछलियां पकड़ी जा सकती हैं और फार्मस् बनाये जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश के अन्दर एक बीमारी और है कि हमारे यहां सामुदायिक विकास विभाग के अतिरिक्त जो विभाग हैं उनका आपस में कोई सामंजस्य नहीं है। यदि खाद्य मंत्री से कोई सवाल कर दिया जाय तो वे यह तो कह सकते हैं कि खाद्य की कितनी डिमान्ड है और कितनी सप्लाई है लेकिन वे यह नहीं बता सकते कि कितने एकड़ जमीन किसके पास कहां है, कितनी भूमि बंजर है, कितनी भूमि में सिंचाई होती है और कितनी असिंचित है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इन सब विभागों में एक सामंजस्य होना चाहिये ताकि एक दूसरे की बातों को समझा जा सके। जिला लेबिल पर और केन्द्र में ऐसे लोगों को रखा जाय जो कि

[बाबा राम नाथ]

इस चीज के इक्सपर्ट हों। मान लीजिये कोई डी० पी० ओ० हैं वे एम० ए० पास हैं लेकिन वे यह नहीं जानते कि कितने बीज और खाद की आवश्यकता एक खास भूमि के लिये उपयुक्त है। तो ऐसे मामलों को तय करने के लिये इक्सपर्ट लोगों को रखा जाय। मैंने कई बार उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है लेकिन वह कह देती है कि खाद की समस्या के बारे में हम केन्द्र से लड़ नहीं पाते हैं। जितनी खाद की आवश्यकता किसान को होती है उतनी नहीं दी जाती है। इसके लिये क्यों नहीं आप केन्द्र से लड़ते हैं। इस लड़ाई के लिये आप केन्द्र से डरते क्यों हैं। प्लानिंग के लिये जो पर-कैपिटा इनकम डेवलपमेंट इक्सपेन्डिचर है वह हमारे यहां दूसरे सूबों की अपेक्षा बहुत कम है। हमारा सूबा इसीलिये अन्य सूबों के मुकाबले में पिछड़ रहा है। हम न प्लानिंग कमीशन से कह सकते हैं, न केन्द्र से कह सकते हैं कि हमें खाद की जरूरत है तो फिर कैसे हम उन्नति करें। इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि अगर हमें विकास करना है तो केन्द्र से कहें कि हमें ज्यादा से ज्यादा रेडियो और अखबारों की व्यवस्था कीजिये ताकि हमारे सूबे का विकास हो सकें।

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मैं मंत्री जी की तरफ से रखे गये मांगों का समर्थन करने के लिये और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, किसी मुल्क की तरक्की के लिये ५ इन्कलाब इकट्ठे आने बहुत जरूरी हैं। इन इनक्लाबों मे राजनैतिक इनक्लाब, सामाजिक इनक्लाब, टेक्निकल या वैज्ञानिक इनक्लाब, समैचारिक और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध म इनक्लाब—ये पांचों इनक्लाब महत्वपूर्ण बताए गए हैं। मैं यह समझता हूं भारतवर्ष में यह खुशकिस्मती है कि ये पांचों इनक्लाब इकट्ठे जोर दे रहे हैं। यदि इसलिये यह कहा जाए कि भारतवर्ष तरक्की की राह पर है तो किसी सूरत में गलत नहीं होगा। हमारा प्रदेश जो भारत-वर्ष का एक बड़ा अंग है, वह भी इसी तरक्की की राह पर है और आज मैं सामाजिक इनक्लाब जो पंचायती राज की तरफ से आया है, उस पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

पंचायत पुरातन शब्द है, इसकी अपनी खुशबू है, अपनी मर्यादा है। पुराने ग्रन्थों में 'पंच परमेश्वर, पंच प्रवाण, पंच प्रधान, पंचे पावे दरगेहमान, में लिखा हुआ है। पंचायत को प्रभू की दरगाह के समान पवित्र माना जाता था, व्यक्ति तो कोई भी कितना बड़ा हो उसके सामने खड़ा नहीं होता था। पंच फैसले को बहुत महानता दी जाती थी। तो यह खुश-गुजार चीज पुरातन समय से साल दर साल चली आई है। किन्तु इसका नाश हुआ ब्रिटिश राज्य में, उस समय इसका मटियामेट कर दिया गया है। इसमें तरमीम करके कलेक्टर के नीचे एक बड़े अम्ले की, समाज की रचना ब्रिटिश हुकूमत ने की थी। इस तरह से जो पंचायत-राज पहले से चला आ रहा था, उसका नास अंग्रेजों ने किया था। हमारे युग के महान नेता ने ऐसे विचारों के द्वारा कल्पना की थी कि वह इस देश में पंचायतराज चाहते हैं वह पंचायत-राज, जिसकी आधारशिला सोशलिज्म के आधार पर, समानता के आधार पर वह चाहते थे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनकी यह कल्पना थी कि पंचायत अपने सभी कार्यों को करने में स्वतन्त्र हो, वह अपने सभी कार्य बिना किसी लाग-लपेट के करें। उनसे बिना किसी प्रकार का जोर डाले काम कराया जाए और वह खुद इतनी शक्तिशाली हों कि सारे कार्य अपने तरक्की से बनाकर अपने गांव को तरक्की दे सकें। उनकी ख्वाहिश थी कि गांव की तरक्की का काम, गांव की तालीम का काम, गांव की सफाई का काम, गांव में छोटे मोटे धन्धों का काम, उनकी बढ़ोत्तरी का काम ये सब पंचायतें, न्याय पंचायतें निष्पक्ष तरीके से करें।

न्याय सम्बन्ध में तो उनकी निराली कल्पना थी, उन्होंने आज से कितने अर्से पहले ही आज की हालात के बारे में सोच लिया था। अब तो समाज में बहुत बढ़ोत्तरी हो गई है, जनसंख्या ६० करोड़ के करीब हो गई है। उन्होंने उस समय में विचार कर लिया था कि आने वाले समय में जब इतनी बढ़ोत्तरी होगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी से न्याय व्यवस्था में तरमीम की आवश्यकता है। न्याय लेने वाले और न्याय देने वाले के बीच की कड़ी पुलिस है, जो न्याय दिलवाते हैं किन्तु उस पर आज बहुत बोझ है। वह चुनाव करावें, जुलूस सम्हालें, एक्जामिनेशन की व्यवस्था देखें, चोरी डकैती की व्यवस्था देखें—जाने कितने उनके पास काम हैं। तो गांधी जी ने उसी समय विचार किया था कि न्याय का काफी हिस्सा पंचायतीराज में दिया जाए। जो झूठ–मूठ के छोटे मोटे झगड़े, रुपये के लेन–देन के झगड़े और जो दूसरे मसले हैं, वे सब न्याय पंचायतों के जरिए हल हों। यह सारी कल्पना गांधी जी ने की थी और इस देश और इस प्रदेश ने उसी कल्पना के आधार पर जो समाजवाद की रचना की है, उसमें पंचायतराज को प्रथम स्थान दिया गया है।

अब तो पंचायत राज व्यापक रूप से आपके सामने है, अपने यौवन पर है। गांव के लेविल पर विलेज लेविल वर्कर, प्रधान सरपंच, और इनके साथ एक टीम से कार्य करने के लिये जिले के छोटे और बड़े अफसर हैं। यह आपके सामने दिखाया गया है। यह व्यापक रूप में समाजवाद हमारे सामने है। लेकिन व्यापक रूप के होने के बाद हम कुछ मसहूस करते हैं कि कमी है। इसीलिए चर्चा है इस हाउस में।

समाजवाद के अन्दर जो पंचायत राज आया इसमें कुछ कमी आ गयी है। आज यह खुशी का मामला है कि इस प्रदेश के विभिन्न भागों में आये हुए प्रतिनिधि उस प्राचीन प्रणाली पर आज के युग में चिन्तन कर रहे हैं। यह तो महत्वपूर्ण चीज है। इसमें महसूस क्या हो रहा है, कमी क्या है? गांधी जी ने इसकी रचना के वक्त यह सोचा था कि केवल एकता गांव को तरक्की दे सकती है। एकता की कमी महसूस हो रही है। विधान सभा में आकर सरकार को जो कार्य करना है उसकी आलोचना करने वाले जरूर होने चाहिये, लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि आपके जरिये कहना चाहता हूं कि क्या यह सदस्यगण महसूस करते हैं कि समाज की कोई ऐसी स्टेज है जहां पर हम इकट्ठा हो कर उस कार्य को सफल बनाएं। यह स्टेज है पंचायत राज। जिस तरह से हम एलेक्शन के जमाने में गांवों में घूमते हैं, जब कि माना जाता है कि पंचायत राज का मुकम्मल गठन हो चुका है, अगर उसके जरिये समाज का उत्थान नहीं कर सके तो आने वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी? चिन्तन यह करना है कि जो पंचायतें बनी हैं उनको

[श्री अजीत सिंह सेठी]

किस तरह से ठीक से उभारें। गांधी जी की इस कल्पना को अगर इस प्रदेश को कार्यान्वित करना है; तो कृषि प्रदेश होने के साथ-साथ में यह महसूस करता हूं कि कृषि प्रदेश गांव पर निर्भर है, अगर पंचायत राज में इनकलाब नहीं ला सके तो दूध की नहरों की जो कल्पना करते हैं वह कैसे पूरी होगी। वह दिन तब आयेगा जब कि हम पंचायतों को शक्तिशाली बनाएं। अगर यह कार्य किया जाय तो हमारे जो पड़ोसी प्रदेश हैं, कृषि प्रदेश के यौवन को देख सकेंगे अन्यथा जैसा प्रदेश चल रहा है चलता रहेगा, हम पिछड़े ही रह जायेंगे और हमारी यही गाथा लिखी जायगी। इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इस इनकलाब के आदर्श में हमें पंचायत राज के नक्शे को स्वयं बना कर गांवों का कल्याण और उद्धार करना है। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय की तरफ से रखे गये अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री गोरेलाल शाक्य (जिला इटावा)---

अधिष्ठाता महोदय, ने आप के माध्यम से सरकार का कुछ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और साथ ही साथ इसको हम खिचड़ी डिपार्टमेंट कहते हैं। इसमें बहुत सी मदें हैं छोटी छोटी। इसमें तो लघु सिंचाई है कोई भी सिंचाई हो खिचड़ी डिपार्टमेंन्ट हो गया है। पंचायत और विकासखंड पर मैं कुछ बोलूंगा। एक माननीय सदस्य ने कहा पंचायत की यह विदेशी पद्धति है, यह विदेशी पद्धति नहीं है, यह प्राचीन पद्धति पंचायतों की है। और पंचायतों का जहां उल्लेख है वहां पर यह कहावत चली आ रही है, "पंचायतों के जाते ही गांव हमारे पिछड़ गये, सदियों के आनन्द हमारे बादल बन कर बिखर गये" यह बहुत पुरानी कहावत चली आ रही है। जब स्वतंत्रता मिली तो सोचा गया कि भारतीय स्वर्ण युग में गुहा काल में भी पंचायतें थीं। उस समय हमारे हिन्दुस्तान की व्यवस्था बड़े अच्छे ढंग से चल रही थी। लेकिन हमने इस इकाई को खो दिया। हमारी पद्धति मुगलों के हाथ में या अंग्रेजों के हाथ में खराब हुई तो गांवों की दुर्दशा हो गई। इसलिये हमने सोचा कि जिस पद्धति से हम स्वर्ण लाये थे उसी को अपनायेंगे और अपने देश का विकास करेंगे। जो हमें आशा थी वह पूरी नहीं हो रही है। इसलिये नहीं हो रही है कि हमारी पंचायत संस्था खराब है बल्कि इसलिये कि हमारे शासक एक ही बात जानते हैं कि शासन में किस तरह से सदैव बने रहें। जब यह बात है तो इस संस्था की ओर कैसे ध्यान जायेगा।

डाक्टर लोहिया ने चौखम्भा राज्य की कल्पना की थी। पंचायत पहली सीढ़ी, जिला दूसरी सीढ़ी, राज्य तीसरी सीढ़ी और केन्द्र चौथी सीढ़ी है। आप देखें कि अगर चित्र बनायें तो दो चित्र बनते हैं। एक इस तरह से बनता है और एक उस तरह से बनता है। इस तरह से जो नीचे की इकाई है वही सर्वोपरि होनी चाहिये लेकिन यहां उल्टा है। केन्द्र को सर्वोपरि मान लिया गया है। केन्द्र पर ही, जिला और पंचायतें आधारित हैं जबकि पंचायतों के ऊपर ये आधारित होनी चाहिये। जब तक इस पर बल नहीं दिया जायेगा तब तक पंचायत राज को सफल नहीं बनाया जा सकता है। पंचायतराज की सफलता पर ही देश का प्रजातन्त्र निर्भर करता है। अगर पंचायत राज असफल रहेगा तो प्रजातंत्र भी असफल रहेगा जब यह इतनी अहमियत रखती हैं तो इनकी दुर्दशा क्यों है ?

मैं दो सुझाव देना चाहता हूं। पंचायतों की सफलता पर ही देश की सफलता जुड़ी हुई है। कहा जा रहा है कि पंचायतों के अधिकार बढ़ायेंगे लेकिन बढ़ाये नहीं जा रहे हैं।

इसके अधिकार बड़े पैमाने पर बढ़ने चाहिये। पंचायतों की आमदनी के साधन बहुत कम हैं। इसलिये यह कुछ काम नहीं कर सकती है। इनकी आमदनी बढ़ानी चाहिये। विकास खंड में ब्लाक प्रमुख जो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है जब वह टूर पर जाता है तो टूर प्रोग्राम या यात्रा भत्ता बी० डी० ओ० सेंक्शन करता है। यह बड़े शर्म की बात है। यह बन्द होनी चाहिये। अब मैं यह सवाल करना चाहता हूं कि मैंने एक आरोप लगाया था, किसी इल विल से सरकारी अधिकारी के खिलाफ कोई बात नहीं कहना चाहता हूं और भविष्य में भी नहीं कहूंगा।

मैंने माननीय मंत्री जी को बी० डी० ओ० एरवा, जिला इटावा जिनका नाम गनपत सहाय श्रीवास्तव है, के बारे में लिखा था कि इन्होंने खाद, कपड़ा आदि चीजों को दूसरे जिले भेज दिया जिससे उस ब्लाक को उसका हिस्सा नहीं मिलता है। मान्यवर उनके खिलाफ सी० आई० डी० से जांच करायी जाये। उन पर आज तक कोई ऐक्शन नहीं लिया गया है। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप उनके खिलाफ बेफजूल में कार्यवाही करें, अगर आप सही पाते हैं तो ऐक्शन लीजिये, लेकिन कोई सुनवायी नहीं होती है। यहां कहा जाता है कि सदस्यों को उनके खिलाफ नहीं कहना चाहिये जिनकों यहां पर बोलने और अपनी सफाई देने का अवसर नहीं है। इसलिये जो बातें कहीं जाती हैं उनको नोट किया जाना चाहिये और उन पर कार्यवाही की जानी चाहिये। हम लोग यहां पर किस लिए बैठे हैं। दूसरे बी० डी० ओ० श्री सेठ हैं जो महरेरा जिला एटा में हैं। वह दवाई का धन्धा करते हैं। विकास का कार्य कुछ करते नहीं हैं।

अब हम एक बात और कहना चाहते हैं कि अभी हिन्दुस्तान में इतना विकास नहीं हुआ है, जनता जागरूक हुई है लेकिन कम जागरूक हुई है। तमाम विकास के कार्यों के लिये अनुदान दिया जाता था लेकिन अब सरकार ने इसे देना बन्द कर दिया है। हिन्दुस्तान की करोड़ो गरीब जनता सरकार की सहायता चाहती है और मैं चाहता हूं कि अनुदान की पद्धति को बरकरार रखा जाये इसको समाप्त नहीं करना चाहिये। अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, विरोध पक्ष के द्वारा जो कटौती आ प्रस्ताव पेश किया उसको सुनने के बाद मुझे बड़ी निराशा हुई। माननीय सदस्य ने कटौती के प्रस्ताव को पेश करते हुए कहा बहुत कुछ लेकिन उन्होंने कोई ठोस सुझाव नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ८० प्रतिशत जनता इस विभाग के सहारे है, लेकिन उन्होंने उस ८० प्रतिशत जनता के लिये और उसकी तरक्की के लिये कोई सुझाव नहीं दिया। माननीय विरोधी पक्ष के एक माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ गलत आदमी चुनकर प्रमुख और प्रधान हो गये हैं। मान्यवर इसमें सरकार का क्या दोष है जनता ने उनको चुना है इसमें सरकार का क्या कसूर है। यह तो चुनाव की प्रणाली है। उससे अच्छे आदमी चुने जा सकते हैं और गलत आदमी चुने जा सकते हैं। मान्यवर जहां तक लघु सिंचाई का सम्बन्ध है, किसानों को पैसा भूमि बंधक बैंक के द्वारा

[श्री गजेन्द्र सिंह]

दिया जाता है भूमि बंधक बैंकों के बारे में, इसी सत्र में जब कृषि का अनुदान आया था तो माननीय सदस्यों ने काफी इसकी आलोचना की थी और कोआपरेटिव का अनुदान आया था तब भी बहुत काफी आलोचना की थी। लघु सिंचाई के लिये जो पैसा देते हैं वह भूमि विकास बैंक के द्वारा बंद करें। अगर इसके द्वारा ही सम्भव समझते हैं तो ऐसी कोई वाडी बना देनी चाहिये जैसे ब्लाक में बी० डी० ओ० आदि काम करते हैं उनका प्रमुख काम, देखते हैं, इसी तरह से वहां पर स्थानीय कोई ऐसा नानआफिसियल का कैडर बनाना चाहिये जो उसकी इन्ट्री करे। मैनेजर और उनके कामों को देखें।

माननीय मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करूंगा जैसा माननीय गोरेलाल शाक्य ने बताया मैं भी उनकी इस राय से एग्री करता हूं। जो अनुदान १९६९ से बन्द कर दिये गये इसकी तरफ पुनः गौर करना चाहिये। लघु सिंचाई के लिये अनुदान दिया जाता रहा उससे हमारे प्रदेश में बहुत बडा विल्स हुआ। विकास खंड में बहुत ज्यादा पम्पिगं सेट, रहट, कुएं आदि बनायेगये हैं तथा सिंचाई के बहुत से साधन एकत्रित हुए लेकिन जब से बैंकों के द्वारा पैसा दिया जाने लगा तब से इसकी गति धीमी हो गई। मान्यवर, अभी पहाडी क्षेत्र में २ रु० प्रति फिट के हिसाब से बोरिंग में छूट दी जा रही है। बुंदेलखंड में १० एकड पर छूट दी जा रही है। मैदानी क्षेत्रों में भी यह छूट मिलनी चाहिये। कृत्रिम गर्भाधान का बहुत सा अंश फैल्योर होता है। इस दिशा में साडों के लिये अनुदान में बढ़ोत्तरी करनी चाहिये। अंशदान न होकर पूरा-पूरा पैसा इन सांडों के लिये दिया जाना चाहिये या अनुदान के द्वारा दिया जाना चाहिये। हमको पशुपालन की दिशा में प्रगति करना है। प्रगति में सरकार की ओर अगर कोई रुकावट है तो अनुदान की मात्रा बढ़ा देना चाहिये। सामुदायिक विकास के तहत बहुत से उद्योग चलाये गये हैं। हमारा अपना यकीन है कि हर ब्लाक पर एक-एक उद्योग चलाया गया है लेकिन हमको उसमें ज्यादा विकास करने की आवश्यकता है। मैं मा० मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि गांव पंचायतों में पड़ी हुई जमीनें हैं, में बास लगाने की व्यवस्था करें। इसके द्वारा चटाई है, कुर्सी है, और टोकरी वगैरह बनाने के उद्योग गांवों में चलाए जा सकते हैं। इस तरह से अगर हम चाहें तो यूक्यूलियस्टिक के पेड लगवा सकते हैं, उससे कागज की समस्या यूक्यूलिपस्टक के द्वारा हल की जा सकती है। इसी तरह से पंचायत की जगहों पर अगर हम तालाब खुदवायें और उसमें मछली पालने की व्यवस्था करें तो लाभ होगा। अगर इसके लिए यदि सरकार अनुदान नहीं दे सकती है तो इन पंचायतों को २० साल के लिए ऋण भी दिया जा सकता है।

मान्यवर जहां, तक ग्रामीणों को रोजगार देने की समस्या है त्वरित योजना चला कर इस दिशा में हमारी सरकार ने बहुत बड़ा काम कियाहै। ७–८ महीने तक किसानों के पास काम रहता है, ४-५ महीनों तक वे बेकार बैठे रहते हैं। इस दिशा में जो काम किया गया है वह बहुत ही सराहनीय है। हमारे इटावा जिले में एक ब्लाक से दूसरे ब्लाक तक बहुत सी सड़कें बनवाई गई हैं। हमारी जिला परिषद् की मांग इस कार्य के लिये ५–६ लाख की है। त्वरित योजना में जो सडकें बन रही हैं वह बरवाद हो रही हैं उनकी मैन्टीनेन्स के लिये रुपया चाहिये और जिन सड़कों का एक कोट हो चुका है, वे बरबाद हो गयीं हैं, उनमें दूसरे कोट के लिये पैसे की आवश्यकता है। मैं माननीय सामुदायिक विकास मंत्री जी से आग्रह

करूंगा कि वे सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट ने अनुदान बंद कर दिये हैं, इस बारे में प्रयत्न करें और अधिक से अधिक पैसा लायें ताकि जो हमारे छोटे-छोटे किसान और मजदूर ४-४ महीने बेकार बैठे रहते हैं, उनको रोजगार मिल सके, वे कुछ काम कर सकें।

जहां तक हरिजनों की बस्तियां हैं, उनमें हरिजनों को आवास के लिये सरकार की ओर से बहुत सारे प्रयास किए गये हैं। हरिजन विभाग और माल विभाग की ओर से हरिजनों के आवास के लिये पैसा दिया जाता है, भूमि को खरीदने के लिये पैसा दिया जाता है लेकिन इस बजट में कुछ कमी आयी हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ मेहतर भाई रहते हैं, उनके पास साधन नहीं हैं। मैंने एक दो पंचायतों के बारे में जिलाधिकारी से कहा था कि उनके लिये जमीन एक्वायर कर ली जाय तो उन्होंने पैसे की वजह से बड़ी परेशानी महसूस की। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे जो मेहतर भाई हैं, जो समाज के सबसे नीचे के लोग हैं, उनको मकान बनाने और जमीन खरीदने के लिये धन देना चाहिये।

*श्री भामी (जिला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सामुदायिक विकास मंत्री जी द्वारा जो अनुदान का प्रस्ताव पेश किया गया है, उसके विरोध में और कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में मुझे निवेदन करना है।

माननीय सामुदायिक विकास मंत्री जी के सुझावों और भाषण में, जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, उनको मैंने सुना और मैं श्रीमन्, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि पंचायत राज की कल्पना करके, जब कि यह देश आजाद भी नहीं हुआ था, शुरू से ही देश की जनता ने एक आशा लगाये बैठी थी कि आजादी मिलने के बाद हमारे देश में पंचायती राज बनेगा, पार्लियामेंट, एसेम्बली और जिला परिषद् ये तो पुरानी चीज थीं। गांव के लोगों ने जो सोचा था कि गांव पंचायतों में वे लोग अपने मन से समाजिक ढाचे पर इस पंचायत की रूपरेखा खड़ी रहेंगे जिससे देहात के लोगों का बहुत कल्याण होगा। लेकिन जब देश आजाद हुआ, गांवों को कुछ अधिकार मिलने लगे तो कुछ आशा बंधी थी कि हमारी ८० प्रतिशत जनता जो देहात में रहती है, वह आगे बढ़ेगी। आजादी मिलने के बाद ब्लाक्स बने, क्षेत्र समितियों का चुनाव हुआ, इनसे आशा लगी थी कि गांव की ८० प्रतिशत जनता की कुछ समस्या हल होगी लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि जब सिर्फ गांव पंचायतों और न्याय पंचायतों का गठन हुआ था उस जमाने में जनता की एक निगाह थी कि पंचायत बनी है, हर विभाग से ज्यादा इसमें काम होगा। कम कर्मचारी थे, पंचायत इन्सपेक्टर था वह पूरे के पूरे ब्लाक को डील करता था, गांव सभा का प्रधान था और गांव सभा का सेक्रेट्री था। उस जमाने में ऐसी भावना हुई थी और श्रमदान से बड़ी-बड़ी सड़कों का निर्माण कराने में गांव वालों ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भाशी]

सहयोग दिया था। कम पैसे में ज्यादा काम होता था लेकिन जब से ब्लाक बने तो लोगों ने सोचा कि अब कृषि उत्पादन बढ़ेगा, हमारा निर्माण कार्य होगा, लघु सिंचाई की योजनाओं को देखकर सोचा कि हमारी सिंचाई के साधन बढ़ेंगे। गांवों के लोग यह भी समझे कि अब रासायनिक खाद से हमारा कृषि उत्पाद बढ़ेगा।

(इस समय ३ बजकर ५५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

तरह-तरह के अरमान लेकर ये ब्लाक चले, लेकिन हाय रे सरकार। खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। आज हालत यह है कि आज दूसरे विभाग वाले लोग इस पंचायत को जिस तरह से कमजोर करना चाहते हैं, वैसे आप पंचायत को, गांव सभा को और ब्लाक को जो कड़ियां हैं उसको इतनी ढीली कर दिये हैं कि आज निगम ऐसा हो गया। आपके जो काम थे सिंचाई के साधन, हरिजनों को जो अनुदान मिलते थे, आज आपके ब्लाक में क्या हो रहा है। सिर्फ बी० डी० ओ० घूम-घूम करके झूठ-मूठ अपना वक्त रायगां कर रहे हैं। ब्लाक में बड़ा झगड़ा है। आज क्षेत्र समिति का प्रमुख, जनता का चुना हुआ आदमी, ब्लाक का अध्यक्ष आज उसकी क्या हैसियत बनाई हुई है? आज बी० डी० ओ० ब्लाक में जाकर जीप लेकर दौरा करे और क्षेत्र समिति का प्रमुख बेकार बैठा रहे। एक महीने में कोई बता दे कि क्षेत्र समिति के प्रमुख या अध्यक्ष का बी० डी० ओ० ने अपने दौरे के सिवा उनका कोई प्रोग्राम बनाया हो। न कोई प्रोग्राम न दौरे का कोई रेकार्ड। तो मैं साफ कह देना चाहता हूं कि वैसे अच्छे काम में जितना भी पैसा लगे, घर का पैसा लगे, कर्जे का लगे, ठीक ढंग से उसका सदुपयोग हो तो हर आदमी चाहता है, लेकिन गलत तरीके से एक पैसा भी कोई इनसान नहीं लगाना चहता है।

अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सामुदायिक विकास मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप गांव की पंचायत की ८० प्रतिशत जनता को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको अपने बजट का ज्यादातर भाग देहाती जनता के विकास कार्य के लिये जो ब्लाक बने हैं उन पर खर्च करना चाहिए, सिंचाई पर और निर्माण कार्य पर, कृषि उत्पादन की व्यवस्था में, रासायनिक खाद, बिजली की व्यस्था इन सब कार्यों का आपको विकास करना है। लोगों को कर्जा देकर ट्यूब वेल लगायें। आज लोगों को बिजली की लाइनें नहीं मिल रही हैं, ५-५ साल से रजिस्ट्रेशन होकर वह बेकार बैठे हैं। वह कर्जदार हुए और सिंचाई का साधन भी नहीं मिल पाया। तो आप सब मंत्रियों से परामर्श करके अपने विकास कार्यों को सफल बनाने के लिये, जिन मंत्रियों से सम्बन्ध है उनसे संपर्क स्थापित करें तभी ब्लाक के काम को पूरा कर पायेंगे। आज जनता की कतई आस्था उठ गयी है कि सरकार गांव सभा की तरफ कतई निगाह नहीं किये हुए है। आप लोग बड़ी-बड़ी जगह पर अपनी-अपनी शान रखते हैं। पार्लियामेन्ट की अपनी शान है, असेम्बली की शान है, इससे छोटी शान जिला परिषद् की, फिर ब्लाक की और उससे कम गांव सभा की शान को आपने कम किया है। गांधी जी ने कहा था कि राष्ट्र की जो सीढ़ियां हैं उनमें पंचायत एक इकाई है उसको मजबूत करना होगा। लेकिन पंचायत आपकी आज बिल्कुल निकम्बी हो चुकी है। जो कि नीचे की इकाई है उसकी बुनियाद पुख्ता करके ही आप तरक्की कर सकते हैं। अगर नीचे से पंचायत को मजबूत नहीं करेंगे, गांव सभा मजबूत

नहीं करेंगे तो आपके ब्लाक, जिला परिषद्, असेम्बली और पार्लियामेन्ट में जितना पैसा खर्च हो रहा है वह सब मजाक हो रहा, है, इससे गांव मजबूत होने वाला नहीं है।

सरकार की निगाह गांवों की तरफ जाना चाहिये। आपने नलकूपों में जाने कितना-कितना पैसा लगवाया है, मगर उनको बिजली न मिलने के कारण वे बेकार पड़े हुये हैं। आपने पैसा लगवाकर उनको बनवाया है, इसलिये यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन नलकूपों के लिये बिजली दिलावायें। इसी प्रकार जो सड़कें ब्लाकों के जरिये अधूरी बनी हुई हैं उनको भी आप सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री से बात करके पूरा करायें। आजादी के इतने वर्षों के बाद अभी तक आप हरिजनों के पीने के पानी तक का इन्तजाम नहीं कर पाये हैं। उनके लिये एक भी हैंडपाइप नहीं लगवाया है। उनके लिये पीने के पानी की व्यवस्था करायें। इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों का घोर विरोध करता हूं। बहुमत के बल पर सरकार इन्हें पास तो करा ही लेगी, सरकार को उसका सदुपयोग करना चाहिये, यही मुझे निवेदन करना है।

श्रीमती श्यामा देवी (जिला बस्ती)––

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे इस सामुदायिक विकास विभाग वित्त की चर्चा पर बोलने के लिये समय दिया। यह योजना सन् १९५२ में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गांधी जी के स्वप्नों के आधार पर शुरू की गयी थी ताकि ग्रामों में पंचायत राज की स्थापना हो सके। प्रारम्भ में इस योजना को चलानेवाले हमारे जो अधिकारी रहे हैं प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल तक इस योजना में बड़ा योगदान दिया है। प्रदेशीय स्तर पर इसके अधिकारी श्री डी० पी० सिंह जी थे, जिन्होंने समस्त जिला स्तर और विकास स्तर पर अधिकारियों को यह निर्देश दे रखे थे कि वे अपने-अपने कार्य-क्रमों को विकास क्षेत्रों के ग्रामों में भी जाकर प्रतिपादित करें और जनता का सहयोग प्राप्त करें। मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रही हूं क्यों कि इस योजना में मैं भी एक कार्य करती रही हूं, कि उस समय जनता विभाग के कार्य-क्रमों में अपना सहयोग देती थी। ग्रामीण जनता बड़े उत्साह से विकास कार्यों के लिये बैठकों में भाग लेती और बड़े बड़े निर्णय विकास सम्बन्धी गांवों में बैठ कर लिये जाते थे तथा संपादित होते थे यह गांधी जी चाहते थे ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल तक उसमें नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में हमारे एक मात्र सामुदायिक विकास आयुक्त हुआ करते थे, वह नियोजन अधिकारी क्षेत्र विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी ग्राम सेवक को कन्ट्रोल करते थे, विकास के समस्त कर्मचारी का सीधा सम्बन्ध था तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में परिवर्तन आया जिससे जो इसकी दिशा थी प्रगति की ओर राम राज्य की ओर और पंचावती राज्य की ओर और वह जो इसके लक्ष्य थे बदल गये। सामुदायिक बिकास क्षेत्रों में विकास अधिकारी (कृषि) रहते थे उनको कृषि विभाग दिया गया और उनकी सेवायें भी कृषि आयुक्त के मातहत कर दी गयीं जिससे वे क्षेत्र विकास अधिकारी के मातहत नहीं रह गये । इस तरह की व्यवस्था करने से कुछ त्रुटि आयी कि उनको जो भी कार्य क्षेत्र विकास स्तर पर दिया जाता है;

उसे पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ नहीं निभाते हैं। इसी तरह से सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) भी क्षेत्र विकास अधिकारी के निर्देश पर रहते थे, वह निबंधक सहकारिता शाखा के अंदर हो गये हैं। स्वास्थ्य विभाग के सेनेटरी इंसपेक्टर जो विकास क्षेत्र स्तर पर थे, उनको भी विभागीय बना दिया गया। विभागीय बन जाने से जो विकास के प्रति उत्तरदायित्व हैं, उसको ठीक तरह से नहीं निभाते। इसलिये इसमें यह त्रुटि आयी। मैं यह कहती हूं कि इस त्रूटि को फिर से दूर किया जाय और ग्रामसेवक, सहायक विकास अधिकारी आदि के प्रशासन जैसे प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में योजनाबद्ध होकर शासन के अन्दर काम करते थे, उसी तरह से कर दिया जाय ताकि विकास का जो लक्ष्य है कि हमारे गांवों के ८५ प्रतिशत कृषि प्रधान जनता है उसका सर्वतोन्मुखी विकास हो और जो हमारे गांधी जी का स्वप्न था वह साकार हो और गांधी जी का पंचायत राज शक्तिशाली बने।

पंचायत राज के संबन्ध में मैं थोड़ा सा माननीय सदस्यों का ध्यान भी दिलाना चाहती हूं। यह हमारा और आपका भी कर्त्तव्य है कि जो जनता गांवों में रहती हैं उसके जागरूकता की तरफ ध्यान दें। उनके जीवन में जागरण लाये। उनको यह समझाने की जरूरत है कि पंचायत राज क्या है। हमारी क्षेत्र समितियां क्या हैं और हमारे जिला परिषद् क्या हैं तथा उनका उनसे कितना गहरा सम्बन्ध है।

आज गांवों के लोग अपने अधिकारों की तरफ पूरी तरह से उदासीन हैं। उनके जो अधिकार हैं उनको उसका ज्ञान नहीं है। तो हम और हमारे विधायक यह महसूस करें और उनको जो जानकारी देने का औचित्य है उसको पूरा करें।

माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा मैं अपने मंत्री जी का ध्यान उधर आकृष्ट करूंगी कि विकास क्षेत्र में जो ग्रामसेवक बीज वितरण करते हैं उसके बारे में जो यहां माननीय सदस्यों ने आलोचना की है वह सत्य है। वह बीज शुद्ध नहीं है। जो सीड स्टोर तथा सहकारिता के द्वारा सवाई पर बीज वितरण किया जाता है वह अशुद्ध बीज है। हमारे फैजाबाद विश्वविद्यालय द्वारा जो शोध का काम शुरू होने जा रहा है उस पर जोर दें कि क्वारी धान, मक्का, अरहर, गन्ना का संशोधित शुद्ध बीज शीघ्र दें और मटर की जो फसलें हमारे पूर्वी जिले जैसे बनारस और जौनपुर क्षेत्र में अधिक पैदा होती है उसके लिये भी शोध कार्य सम्पन्न करके पैदावार को बढ़ाने के लिये उन्नतिशील वितरण कार्य को पूरा करें। इसके साथ मैं मंत्री जी के प्रस्तुत सामुदायिक बजट का समर्थन करती हूं और जो माननीय विरोधी दल के सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव दिया है वह त्रुटिपूर्ण है। उन्होंने जो योजनायें प्रस्तुत की और जो सुझाव दिये उनको यदि मान लिया जाय तो एक रुपये में पूरा करना असम्भव है। इसलिये वे अपनी कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें यह अनुरोध करती हूं।

*श्री शारदा भक्त सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कटौती के प्रस्ताव के संबंध में सभी माननीय सदस्यों के सुझाव सुने और एक बात सभी ने समर्थन में कही है कि यह विभाग बहुत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महत्वपूर्ण है । इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है। इस विभाग की सम्भावनायें जो उत्थान के लिये अपेक्षित थी वह बहुत अधिक थीं। मैंने एक बात जो प्रारम्भ में कही कि इस विभाग के कार्यकर्ताओं ने या कर्मचारियों ने आम जनता को सामुदायिक कार्यक्रमों में सक्रिय भाग लेने के लिये प्रेरित नहीं कर पाये । इस कमी के कारण स्थानीय नेतृत्व का भी निर्माण नही हो सका । जिला, ब्लाक और गांव स्तर पर जो जन प्रतिनिधि संस्थाओं का निर्माण हुआ उनके लिये उचित नेतृत्व का निर्माण होना आवश्यक था । उधर से कहा गया कि मैंने कोई ठोस सुझाव नहीं दिये, मैं समझता हूं कि उन्होंने इसको ध्यान से सुना नही है । मैं आशा करता हूं कि जो प्रश्न मैंने उठाये हैं उनका उत्तर माननीय मंत्री जी अवश्य देगें ।

मान्यवर, एक बात और मैं कह देना चाहता हूं कि इस विभाग ने एक आज्ञा प्रसारित की कि जितने ग्राम सेवक हैं या लगभग ७० प्रतिशत उन्हीं जिले में भेज दिये जायं जहां कि वे रहने वाले हैं। मैं समझता हूं कि इस आशा से इस कार्यक्रम में बहुत हानि हुई है। ग्राम सेवक अपने विकास खंड में रहते थे और बहुधा प्रतिदिन दूसरे स्थान पर होने के कारण गांव में घूमते थे, लोगों से सम्पर्क स्थापित करते और कुछ न कुछ काम करते थे।

लेकिन जब से यह व्यवस्था हुई है कि ग्राम सेवक भी पंचायत मंत्री की तरह अपने जिले में रहकर नित्य प्रति अपने गांव चला जावेगा और दूसरे दिन साइकिल पर आकर काम करेगा, तो ग्राम सेवक के पीछे जो भावना थी वह खतम हो गई है। ग्राम सेवक ग्रामवासियों के साथ रहकर उनकी समस्याओं को जानता था लेकिन आज वह बात नहीं रह गई है।

दूसरी बात जो मुझे कहना थी और मैं कहना भूल गया था वह यह है कि लैंड मारगेज बैंक कर्ज देती है और वहां जो प्रार्थना-पत्र दिया जाता है उसके भरने का ९० पैसे प्रति सैकड़ा दाम काटा जाता है और इस प्रकार १२ महीने काम करके बैंक वाले १५ महीने का वेतन पाते हैं। इस प्रार्थना पत्र को भरने का कार्य ग्राम सेवक कराता है लेकिन उसको यह श्रेय नहीं मिलता है। फलस्वरूप दिसम्बर से उन्होंने इस कार्य को छोड़ दिया है और सरकार को इसकी सूचना भी दे दी है और अब लैंड मारगेज बैंक का कर्ज देने का कार्य रुका हुआ है। सरकार के पास इसकी सूचना है लेकिन, उसने कोई निर्णय नहीं लिया है। मैं समझता हूं कि सरकार को इस मांग पर विचार करना चाहिये और ग्राम सेवक जो कार्य करता है उसका श्रेय उसे अवश्य मिलना चाहिये। जहां मैंने कहा कि जनता का सक्रिय सहयोग इसमें होना चाहिये वहीं उसका प्रशिक्षण भी होना चाहिये जिससे जो गरीब तबके के लोग हैं वह फायदा उठा सकें ।

एक बात बहुत आवश्यक है कि यह जो योजनायें बनती हैं उनकी ब्लाक स्तर पर और गांव के स्तर पर ग्राम सभा और ब्लाक में कापी जाना चाहिये, ताकि उनके सामने लक्ष्य रहे कि यह काम ५ वर्ष में करना है। इसी के साथ यह भी आवश्यक है कि समय-समय पर इस

[श्री शारदा भक्त सिंह]

कार्य का मूल्यांकन होना चाहिये। जब तक यह नहीं होता तब तक ब्लाक स्तर पर और ग्राम स्तर पर कौन कार्य होता है और कौन अधूरा रह जाता है, इसका पता नहीं लगता है। मैं जैसा कि पहले कह चुका हूं यह बड़ा महत्वपूर्ण अनुदान है लेकिन इसकी उपलब्धियां उतनी नहीं हैं जितना कि आशाजनक चित्र सामने रक्खा गया है। मैं इस बात को अनुभव करता हूं कि जो योजना बनाई जाती है वह जिस भावना और उद्देश्य से बनाई जाती है उसको पूरा किया जाना चाहिये तभी ग्रामीण जनता का भला हो सकता है। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि मैंने जो सुझाव रक्खे और जो समस्यायें उठाई हैं, और जो उनका मंत्री जी उत्तर देंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं मंत्री जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अभी नहीं, कटौती का प्रस्ताव का जवाब अन्तिम होना चाहिये, इसलिये वह शुरू कर दें।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माननीय सदस्यों का हृदय से आभारी हूं जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं इस विभाग के प्रशासन से बहुत पीड़ित हूं। मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी की सज्जनता को इतना आधिक्य है कि प्रशासन चल नहीं रहा बल्कि रेंग रहा है। मेरे सामने दो प्रमाण हैं। एक जगह ७ लाख का कैश प्रोग्राम था। मैंने एक पत्र लिखा। आपने सीधा उत्तर दे दिया कि सम्बन्धित अधिकारी के पास भेजा जा रहा है। दोनों जगह जाकर मैंने स्वयं देखा और मेरी इतनी महत्वपूर्ण रिक्वेस्ट आपने इस तरह से टाल दिया। जब मैंने मुख्य मंत्री जी से कहा तो उन्होंने विजीलेंस अधिकारियों को भेजा और वे जब वहां गये तो वह बात सही निकली। मैं कहना चाहता हूं कि मैं आंखों से देखकर रिक्वैस्ट करता हूं कि उसका परिणाम यह होता है कि सरसरी तौर पर लिख देते हैं कि सम्बन्धित अधिकारी को भेजा जा रहा है। जब इस तरह होगा तो मैं नहीं कह सकता कि क्या होगा। यह तो एक चांवल है सारी खिचड़ी को परखने का। आप वहां जाकर देख ले कि क्या हुआ है। मेरा कहना है कि आप प्रशासन को दुरुस्त करें, टाइट करें और अपनी सज्जनता को एडमिनिस्ट्रेशन से अलग रखें।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, श्री शारदा भक्त सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा और जो विचार उस पर व्यक्त किये हैं, मैं उनकी एक बात से सहमत नहीं हूं कि उन्होंने उसमें राजनीति की बात

और जोड़ दी कि विदेशों से भीख मांगकर देश को अपमानित किया गया। यह एक ऐसा प्रश्न है कि जिस रूप में उन्होंने कहा है उस रूप में मैं उसे नहीं मानता हूं। बाकी उनका जितना भाषण हुआ और जितना सुझाव उन्होंने दिये उनसे मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि इस विभाग की योजना इस तरह से बननी चाहिये जिस देहात में रहने वाले छोटे और बड़े सबको लाभ हो सके। मैं समझता हूं कि उनके सभी सुझाव जो हमें मिले हैं उन पर विचार करके अमल करनेकी आवश्यकता है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)––

जब आपको सारे सुझाव मंजूर हैं तो क्या कटौती का प्रस्ताव भी मंजूर फरमा रहे हैं।

श्री बलदेवसिंह आर्य––

आप बीच में ही खड़े हो गये। आपने मेरी पूरी बात तो सुनी नहीं। कुछ गलतफहमियां उनकी हैं। जिन बुनियादी सवालों को उन्होंने उठाया है उनके बीच में कुछ गलतफहमी है। उन्होंने एक बात कह दी कि पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हुई अभी तक। बात तो ठीक है। लेकिन सामुदायिक विकास विभाग की ओर से बराबर इस दिशा में प्रयत्न जारी हैं और इस दिशा में काफी काम भी हुआ है। आम तौर से जो कमजोर वर्ग के लोग देहात में रहते हैं उनको पीने के पानी की कठिनाई है। मैं माननीय सदन को इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस विभाग का बराबर यह प्रयास है कि पीने के पानी की उन के लिये व्यवस्था हो। हमारे लिए भी कोई लोगों की बात नहीं है कि २०/२५ सालों में गांव के उन लोगों को स्वच्छ पानी न मिल सके जो कि मुश्किल से दूर तालाबों और बावलियों से पानी लाते हैं। परन्तु जितने हमारे साधन हैं उनके अन्दर ही हमें काम करना है और हम प्रयास कर रहे हैं कि उन लोगों को शुद्ध जल प्राप्त हो सके जो अब तक इससे वंचित रहे हैं। मान्यवर, कुछ आंकड़े मेरे पास हैं। मान्यवर, सामुदायिक विकास विभाग ने जो अब तक पीने के पानी के कुवें खासतौर से हरिजन बस्तियों में बनाये उसका ब्योरा मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता हूं। १२,५५२ कुवें हमने तैयार किये हैं और इन पर अब तक सरकार का २,७९,१३,३७३ रुपया खर्च हुआ है। १९६९ में हरिजन कल्याण विभाग ने एक सर्वे किया था। उस सर्वे में कहा गया है कि ८० हजार गांवों में पीने के पानी की कमी है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी––

इसमें से कितने कुवें काम कर रहे हैं और कितने खराब हो गये ?

श्री बलदेव सिंह आर्य––

मेरी सूचना तो यह है कि ये कुवें ठीक काम कर रहे हैं।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

माननीय मंत्री जी कृपया यह भी बतला दें कि जो १२ हजार कुवें बने हैं उनमें से कितने में ३ फीट से ज्यादा पानी है ? (हंसी)।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर यह तो एक ऐसा प्रश्न माननीय सदस्य ने कर दिया जिसका उत्तर मेरे पास हो नहीं सकता। इसकी सही सूचना मेरे पास इस समय नहीं है। इस वर्ष २५ लाख रुपये नये कुवें बनाने में खर्च होंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

इतना तो मरम्मत में ही खर्च हो जायेगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, माधव बाबू को शिकायत है कि कुवें ठीक नहीं बने। मैंने एक दिन उनसे और विरोधी दल के नेता से भी बात की कि चाहे क्रैश प्रोग्राम हो, चाहे कुवें निर्माण का प्रोग्राम हो, उनमें जहां-जहां अनियमिततायें हुई हों, हम लोग आपस में एक रोज बैठ कर तय कर लें कि उनकी जांच के लिये कौन सा तरीका निकालना चाहिये। मैं इस कार्य में माधव बाबू का सहयोग चाहता हूं। मैं बिलकुल नहीं चाहता कि अगर कहीं अनियमितता हुई हो, या कहीं गलती हुई हो तो उसे छिपाया जाय। अगर गलती हुई है तो प्रत्यक्ष रूप से वह सबके सामने आनी चाहिये और जो गलती करने वाला हो उसे सजा मिलनी चाहिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

एक डेढ़ महीने हुए, मैंने दरख्वास्त दी तो स्थानान्तरण हुआ करता है। मैंने अपनी आंखों से देख कर शिकायत की थी और उसका जवाब तक नहीं आया।

एक सदस्य--

मैंने अपने जिले के बारे में व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर शिकायत की थी कि कुवें तो कहने के लिये बन गये लेकिन गर्मी के दिनों में उन कुओं की कोई उपयोगिता नहीं रहती। इसलिये मेरी मांग है कि जिन अधिकारियों ने कुवें बनवाये उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो शिकायत की है, उसकी जांच के लिये आदेश कर दिये मैं तो अपनी ओर से भी कह रहा हूं, फिर माननीय सदस्य को शिकायत नहीं रहनी चाहिये। अगर कुवें ठीक नहीं बने हैं तो उसकी जांच हो जायेगी।

एक सदस्य--

जांच के बाद जो कार्यवाही होगी उससे भी हमें अवगत करायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष––

माननीय सदस्य जो स्वयं कुर्यें झांक रहे हैं, वे माननीय मंत्री जी से कुर्यें न झकावें। (हंसी)।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक––

मान्यवर, एक बात उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार कायम हुई, कि जिसने इस तरह से विकास खंड समाप्त किये। अगर सब न कर सकें तो कम से कम एक मेरी प्रार्थना कृपा कर स्वीकार कर लें कि ये जो विकास खंण्डों के छुट्टा सांड़ हैं, बी०डी०ओ०, इनसे मोटर छीन लें। सामुदायिक विकास और ग्राम्य विकास के लिये एक और काम करदें तो इससे भी काफी काम होगा। गांवों में जो गोबर होता है, उसको ९० प्रतिशत जलाया जाता है। इसके लिये किसानों को प्रशिक्षित किया जाय कि यह गोबर जलाया न जाय, तो इससे खाद की मात्रा काफी बढ़ जायेगी।

श्री अध्यक्ष––

ज्यादा इंटरप्शन न करें। इन्टरप्शन का मतलब यह है कि भाषण होता रहे। भाषण न हो और इन्टरप्शन ही होता रहे तो अगर नमक ज्यादा हो जाय तो दाल कड़वी हो जावेगी।

श्री बलदेव सिंह आर्य––

मान्यवर, माननीय शारदा भक्त सिंह जी ने एक बात कही कि खंड विकास अधिकारियों और ग्राम सेवकों का केडर नहीं बन पा रहा है और उनकी पदोन्नति का मार्ग अवरुद्ध है। तो मैं उनसे नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं, जैसाकि कि उनको खुद मालूम है, कि १० प्रतिशत ग्राम सेवकों को सलेक्शन ग्रेड दे दिया है। अब उनकी मांग है कि यह अधिक होना चाहिये। उस पर शासन विचार कर रहा है। मान्यवर, जो सलेक्शन ग्रेड में ग्रामसेवक आ जायेंगे, उनको ए० डी० ओ० होने का हक है, उससे भी ऊपर जाने का हक है। तो माननीय शारदा भक्त सिंह जी की यह बात कुछ ठीक नहीं बैठ रही है। मान्यवर, हमारी पूरी सहानुभूति ग्रामसेवकों को हर तरह से प्रोत्साहन देने की है और बराबर अपनी ओर से जो कुछ होता है, करते भी रहते हैं। इस समय हमारे यहां करीब १९९ बी० डी० ओ० हैं जो स्पेशल ग्रेड में काम करते हैं। ३६ खंड विकास अधिकारी ऐसे हैं जो प्रशिक्षण अधिकारी हैं जिनको अलग से विशेष वेतन–क्रम मिलता है और ४ ऐसे हैं जो उप विकास आयुक्त के पद पर काम कर रहे हैं। ३१ पद ऐसे हैं जो जिला परिषदों में अतिरिक्त मुख्य अधिकारी के पद पर काम करते हैं। तो, ऐसी बात नहीं है कि हम उनकी प्रोन्नति के मार्ग को अवरुद्ध करें बल्कि सरकार ने तो उनकी प्रोन्नति के मार्ग को खोल रखा है और सरकार इस बात के लिये बराबर प्रयत्नशील रहती है कि जो अधिकारी अच्छा काम करने वाले हैं, उनको तरक्की करने का बराबर अवसर मिलता रहे। तो यह जो सवाल मा० सदस्य ने उठाया, उसके बारे में मैंने निवेदन कर दिया।

श्री बलदेव सिंह आर्य

अब सड़कों के बारे में प्रश्न उठाया गया था कि सड़कें, चाहे कैश की हों या लिंक रोड्स हों, उनकी हालत अच्छी नहीं है। मान्यवर, यह हो सकता है कि हम उन सड़कों को पूरी तरह से ठीक न बना सके हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि सड़कें नहीं बनी हों, बता दी गयी हों कि सड़कें बनी हैं। मान्यवर, ७१–७२ और ७३–७४ के ३१ मार्च तक जो अब तक सड़कें बनीं हैं वे ४४९६ कि० मी० लम्बी हैं और इन में ४१०४ पुलियां बनाई गयी हैं।

अब उनमें से कुछ पेन्टेड हो गयी हैं लेकिन उनके रख-रखाव की व्यवस्था नहीं हो सकी। (व्यवधान) सोचा यह जा रहा है कि जिन कैश सड़को को बनाया गया है उनका रख-रखाव पी० डब्लू० डी० करे और लिंक रोड्स का रख-रखाव जिला परिषद् करे।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

जिन सड़कों को आपने बनाया वे अधूरी हैं। जो मिट्टी डाली गयी बरसात में वह बह गयी और सड़क अधूरी पड़ी हैं। हाटा ब्लाक में सड़क का निर्माण प्रारम्भ किया गया लेकिन सारी मिट्टी बह गयी। क्या इसी तरह से आप सड़कें बना कर छोड़ेंगे ? अगर मिट्टी बह जाने देंगे तो सड़कें बनाने से फायदा क्या हुआ ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

७१ —७२ से ७४ तक ८०० किलो मीटर लिंक रोड्स बनाई गयीं और इनको अधिकतर पंचायतो ने बनाया। जिला परिषद् को कुछ हमने धन दिया था कि बड़े बड़े ग्रामों को मुख्य सड़कों से सम्बद्ध किया जाय और ऐसी सड़के बनाई जायं ताकि ग्रामों के लोग अपने उपज को बाजार तक आसानी से ला सकें। (व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम (कौशिक)—

माननीय मंत्री जी ने लिंक रोड्स बनाई हैं अथवा इंक रोड्स जो केवल कागज पर ही हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

भ्रष्टाचार की यहां चर्चा हुई। मैं कहना चाहता हूं कि हम इसके प्रति सजग हैं। भाभी यादव जी ने मुझ पर आरोप लगाया था कि मेरी भलमनसाहत से अधिकारी नाजायज फायदा उठाते हैं। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि जहां मैं शान्त स्वभाव का हूं वहां अपने काम में मजबूत भी हूं और मुझ में दृढ़ता भी है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

आप ज्वालामुखी मालूम पड़ रहे हैं।

श्री बांकेलाल—

सारी मिट्टी बह गयी, सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं और सड़कें जैसी की तैसी रह गयीं। आप बरबाद करने के लिये शान्त स्वभाव के हैं।

श्री बलदेव सिंह आर्य——

बांकेलाल जी की बात समझ मेंनहीं आ रही है। वह बार बार खड़े हो जाते हैं। कुछ न कुछ उनको कहना है। मैं कह रहा था कि जिन अधिकारियों व कर्मचारियों को हमने दोषी पाया उनके खिलाफ हमने कार्यवाही की। इस समय ३६८ अधिकारी व कर्मचारी ऐसे हैं जिनको हमने निलम्बित किया है। (व्यवधान) ५१ अन्य प्रकार से दंडित किये गये। किसी को वार्निंग दी गयी और ७ को बरखास्त किया गया। शेष निलम्बित किये गये और इस प्रकार से कुल ४८२ हैं जिनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है। माधव बाबू यह चाहते हैं कि सारे विभाग में जितने लोग हैं सभी को दंडित किया जाय यह मुमकिन नहीं है। व्यवधान जैसे-जैसे जिसको दोषी पाया जायगा उसको दंडित किया जायगा। तो यह आरोप सही नहीं मालूम होता है कि हम किसी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

मान्यवर, एक बात पंचायतों के बारे में कही गई कि वे ठीक तरह से काम नहीं कर रही हैं, उनको अधिकार नहीं दिये गये हैं जितने कि उनको मिलने चाहिये थे और उनके पास कोई काम धन्धा नहीं है। मान्यवर, १९७२ में सरकार ने एक योजना तैयार की ताकि गांवों में जो बेरोजगारी है वह दूर की जा सके। सरकार ने एक पंचायत राज वित्त निगम की स्थापना की है और उसके द्वारा हमने ५० लाख पूंजी आंकी है। ३४ लाख रुपये के उसमें पंचायतों के शेयर होंगे और १६ लाख गवर्नमेन्ट की तरफ से होगा। इस प्रकार ५० लाख की योजना बनाई है। उसमें ५३३० ग्राम पंचायतों में उद्योग चल रहे हैं। २८७ उद्योग अब तक स्थापित हो चुके हैं। मैं यहां पर यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि १९७३-७४ में कुल उत्पादन जो इन पंचायतों ने किया है वह २,५८,४१,९४६ रुपये का है और जो बिक्री हुई वह २,४८,५१,२६१ रुपये की है। इस तरह से गांवों में पंचायतों के उद्योग चलाने की जो सुविधा दी गई है उस वित्त निगम के द्वारा, उससे मैं समझता हूं कि गांवों की आवश्यकताओं की जो वस्तुयें हैं उनका निर्माण होगा और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। इस प्रकार उनको बाजार या इधर-उधर से अपनी आवश्यकता की चीजें नहीं लानी पड़ेगी। इन चीजों में जैसे कृषि सम्बन्धी औजार हैं, स्कूलों की टाट-पट्टियां हैं, फर्नीचर है और इसी प्रकार की चीजें जिनका देहातों में उपयोग होता है देहात में ही तैयार हो सकेंगी। मैं चाहता हूं कि आगे इन उद्योगों को बढ़ाया जाय ताकि गांवों में ही उनको रोजगार भी मिल सके।

मान्यवर, माननीय शारदा भक्त सिंह जी ने एक बात यह कही कि महाराष्ट्र पैटर्न पर यहां भी व्यवस्था होनी चाहिये। अभी इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। मैं भी इस बात की आवश्यकता समझता हूं कि पंचायतों, क्षेत्र समितियों, जिला परिषदों या इस तरह की जो निर्वाचित संस्थायें हैं उनके प्रतिनिधियों को ग्राम्य विकास में इन्वालवमेंट (योगदान) होना चाहिये। अभी तक जितना योगदान हमें इस क्षेत्र में मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाया है। इस पर हम विचार कर रहे हैं। उनको कुछ अधिक अधिकार दिये जायं जिससे वे अच्छी तरह से विकास के कार्य में दिलचस्पी लेकर जो काम प्रदेश में हैं, जिलों में हैं, गांवों में हैं उनको पूरा करने में समर्थ हो सकें। इसी तरह से महाराष्ट्र

[श्री बलदेव सिंह आर्य]

पैटर्न वाली बात भी सरकार के विचाराधीन है। किन्तु अभीतक शासन ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। जब निर्णय हो जायेगा उसके बाद ही उस पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है।

एक बात यह कही गई कि ग्राम सेवकों को पंचायत सेवकों के अपने घरों में तैनात कर दिया गया है। ऐसे आदेश शासन की ओर से गये हैं। मैं भी यही समझता हूं कि इस आदेश से उनको कार्य करने में रुकावट पैदा हो सकती है। इससे ये लोग स्वतंत्रता से काम नहीं ले पायेंगे और स्थानीय दलबन्दी में भी वे पड़ सकते हैं। इस पर हम विचार करेंगे और मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि हमारा भी विचार यही है कि दूर रहकर ही वे अच्छे से अच्छा और अधिक से अधिक काम कर सकते हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण मैं चाहता था, ९० प्रतिशत जो हमारी न्याय पंचायतें हैं, उनका चार्ज आजतक नहीं हुआ है। उस सम्बन्ध में आप क्या कर रहे हैं और पंचायतों की जो सम्पत्ति है, वह रोज लूटी जा रही है, लोग नाजायज कब्जा कर रहे हैं, उसके लिये कोई धारा नहीं है, जिससे हम उसे रोक सकें। इसका भी कृपया आप उत्तर दे दें।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यहां पर इस बात की चर्चा हुई कि जो सरकारी अधिकारी हैं और जनता के जो प्रतिनिधि हैं या जो नेता हैं उनके बीच में बराबर खाई बढ़ती जा रही है, वह खाई पूरी नहीं हो रही है। उस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात का शासन की ओर से बराबर प्रयास रहा है कि सरकारी अधिकारी अपने को जनता को सेवक समझें और जनता के अधिक सम्पर्क में आकर उनकी कठिनाइयों को समझें तथा उनको शीघ्र दूर करने का प्रयास करें। मैं समझता हूं हम चाहें मंत्री हों, चाहे उच्च अधिकारी हों, चाहे विधायक हों, हम सभी जनता के सेवक हैं, सभी को जनता की सेवा में उसी निष्ठा के साथ काम करना चाहिये, जिस निष्ठा के साथ कोई भी अच्छा कार्यकर्त्ता काम कर सकता है। मान्यवर, हमारे यहां कुल न्याय पंचायतें ८७७१ हैं, इनमें से ७५१२ अभीतक गठित हो चुकी हैं और १३९५ अभी गठित होना शेष हैं। उनके गठित करने की कार्यवाही हो रही है। मेरा ऐसा विश्वास है कि इस मास के भीतर यह सारी न्याय पंचायतें गठित हो जायंगी। यहां पर इस तरह से कहा गया है कि न्याय पंचायतों की बैठकों के मौके पर वहां कोई पुलिस कांस्टेबिल हाजिर रहना चाहिये। मैं समझता हूं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पंचायतों में पुलिस जाए खड़ी रहे यह सब कम से कम मैं ठीक नहीं समझता हूं। पुलिस दूसरे तरीके से अपने कामों को करती है। यह तो पंचायत है। पंच लोग बैठकर अपने गांव के छोटे-मोटे झगड़े निपटाते हैं, यदि वहां पुलिस पहुंच जाएगी तो उनको ठीक से काम करने की सुविधा नहीं होगी, उसमें कठिनाई पैदा होंगी।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं इस बात से भी सहमत हूं जो शारदा भक्त सिंह ने कहा कि विकास के कार्यों में—

श्री पुरूषोत्तम कौशिक––

आपकी पुलिस मंदिरों में, गुरुद्वारों में जाती है, धार्मिक स्थानों में जाती है, विद्यालयों में जाती है तो यहां ही क्यों कमी रखी जाए ।

श्री बलदेव सिंह आर्य––

राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिये । मैं उससे सहमत हूं राजनीति यहां हम करते रहें, लेकिन जब आप गांवों में जाएं तो गांव के विकास कार्यों में हम आपका सहयोग चाहते हैं और जब तक हम परस्पर सहयोग से गांव के विकास कार्यों को नहीं करेंगे, तब तक वह कार्य आगे नहीं बढ़ सकते हैं । तो मैं उनकी इस राय से पूरी तरह सहमत हूं ।

श्री हरीश कुमार गंगवार––

मैं यह जानना चाहता था कि न्याय पंचायतों का जो गठन हुआ है, चार्ज हुआ है, उसमें से ९० प्रतिशत जगहों पर चार्ज नहीं मिला है, वह आप बताएं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य––

गंगवार जी को कुछ गलतफहमी है । कुछ ग्राम पंचायतों के प्रधान अवश्य ऐसे थे, जिन्होंने अपना चार्ज नहीं दिया था । हमने वह सारे मामले अदालत में दे दिये हैं या पुलिस के सुपुर्द कर दिये हैं ।

श्री हरीश कुमार गंगवार––

केवल सारी पंचायतों के चुनाव हो गये हैं, लेकिन चार्ज नहीं हुआ है––

श्री बलदेव सिंह आर्य––

जो पंचायतें गठित हुई हैं उनके बारे में आदेश हैं कि ––

एक सदस्य––

ठीक है, मैं समझ गया, जिन्होंने चार्ज नहीं दिया उनको आपने पुलिस के सुपुर्द कर दिया । मैं भी देखूगा यह कहां तक ठीक है । मेरे यहां का भी एक है, नहीं हुआ होगा तो आपकी नोटिस में लाऊंगा ।

श्री बलदेव सिंह आर्य––

एक बात और शारदाभक्त सिंह जी ने कही है किसानों को प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है । पहले प्रशिक्षण की व्यवस्था थी । तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां २१ प्रशिक्षण केन्द्र हैं । उनमें ग्राम सेवक, बी०डी० ओज जो सर्विस में हैं, उनकी भी समय-समय पर ट्रेनिंग होती रहती है । १७ केन्द्र ऐसे हैं जहां पर कृषकों का प्रशिक्षण

[श्री बलदेव सिंह आर्य]

होता रहता है। इस समय भारत सरकार ने १९७४–७५ में हमको पांच केन्द्र प्रशिक्षण के लिये दिये हैं, पौड़ी, हवालाबाग, वाराणसी, चिरगांव झांसी और बदायूं। ये प्रशिक्षण केन्द्र और खुलेंगे जहां पर किसानों को बराबर प्रशिक्षण मिलता रहेगा।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक––

माननीय सदस्य न्याय पंचायतों के बारे में पूछ रहे हैं, माननीय मंत्री जी ग्राम पंचायतों की बातें कर रहे हैं।

श्री बलदेव सिंह आर्य––

आदेश भेजे जा चुके हैं। जहां न्याय पंचायत गठित हो गयी हैं वहां उनको चार्ज देकर कार्य प्रारम्भ कर दें।

(व्यवधान)

श्री बांकेलाल––

देवरिया जिले के मोती चक ब्लाक में अजीजनगर पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच को अब तक चार्ज नहीं मिला है। आप सब जगह की कह रहे हैं। मैं एक जगह का प्रमाण स्वरूप पेश कर रहा हूं। कोई कानून कायदा तो है नहीं।

श्री बलदेव सिंह आर्य––

हमारे प्रदेश में (व्यवधान तथा शोर) १८५ विकास खंडों में से पौष्टिक आहार योजना चल रही थी।

(व्यवधान)

एक सदस्य––

मंत्री जी बोल रहे हैं बीच में न टोकें।

श्री बलदेव सिंह आर्य––

७५ विकास खंडों में योजना चल रही है। यह एक विशेष योजना भारत सरकार की ओर से पौष्टिक आहार की शुरू होने वाली है। उस योजना के अन्तर्गत करीब ३५ जिले लिये जायेंगे और ३५ जिलों में पौष्टिक आहार योजना प्रारम्भ की जायगी। छः वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनको, धात्री, और गर्भवती महिलाओं को, पौष्टिक आहार दिया जायगा। यह एक नयी योजना अलग से, विशेष योजना इस प्रदेश में प्रारम्भ की जाने वाली है।

श्री राम अधार––

जिला परिषदों के चुनाव कब करवाने जा रहे हैं?

श्री बलदेव सिंह आर्य––

मैंने इससे अधिक समय नहीं मांगा। इसलिये अधिक न कह कर माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस अनुदान पर अपने सुझाव पेश किये हैं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४५–सामुदायिक विकस, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १५,३५,३६,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अनुदान संख्या ७८—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि को घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७८—सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को अतिक्रमित करते हुये २६,५०,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अनुदान संख्या ९४—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि को घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ९४–ऋण और अग्रिम सामुदायिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५,००,००० रुपये से अनधिकृत धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम ५१ के अन्तर्गत एक सूचना माननीय काशीनाथ मिश्र की है केन्द्रीय सरकार द्वारा हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के लिये उत्तर प्रदेश को प्रदत्त एक करोड़ रुपया समय से न लिये जाने तथा उसके लैप्स हो जाने से उत्पन्न असंतोष के संबंध में है। इस पर सुबह की सूचना पर केवल वक्तव्य में इनका नाम जोड़ दिया जायेगा।

एक माननीय काशीनाथ मेहरोत्रा का है कि लखनऊ से ३० मील दूर संडीला में मकान में सोते हुये ६ व्यक्तियों की निर्मम हत्या। यह भी वक्तव्य के लिये स्वीकृत हुआ है।

एक माननीय सत्यप्रकाश मालवीय का है जो इलाहाबाद के जनपद में थाना नबाबगंज के अन्तर्गत मैंरो का पुरवा ग्राम में २०/२१ जुलाई की रात में भीषण डकैती के संबंध में है। इससे भी महत्वपूर्ण ६ हत्याओं वाला है उसको स्वीकार किया है। उसमें आपका नियम ५६ वाला जोड़ दिया जायेगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

एक हमने नियम ५६ में दिया था।

श्री अध्यक्ष--

अभी हम नियम ५१ को देख रहे हैं।

शेष अस्वीकृत हुये हैं। गेहूं वाला जो मामला है तो उस पर माननीय खाद्य मंत्री का सोमवार या मंगलवार को वक्तव्य होना है।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, हमने जो देवबंद में गेहूं, चावल, डालडा साबुन वगैरा की कमी के बारे में दिया था उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो मैंने कहा कि गेहूं कि मामले में खाद्य मंत्री का सोमवार या मंगलवार को वक्तव्य होगा।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

मान्यवर, इस तरह से तो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है।

(व्यवधान तथा शोर)

श्री राम सेवक यादव--

मोटे तौर पर आपने कहा कि खाद्य मंत्री का बयान हो जायेगा।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

अध्यक्ष महोदय, मेरी सूचना का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

आपने सुना नहीं। मैंने कहा था कि वह वक्तव्य के लिये स्वीकार हुआ है। आप क्या चाहते हैं, इसको स्वीकार न किया जाय ?

श्री राम सेवक यादव--

मान्यवर, यह तो बिलकुल भिन्न प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

यह जो गेहूं, मैदा वगैरा के बारे में प्रश्न है इस पर खाद्य मंत्री को वक्तव्य देना है।

श्री राम सेवक यादव--

श्रीमन्, स्थिति बहुत गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष--

सोमवार या मंगलवार को माननीय खाद्य मंत्री जी का बयान होगा।

श्री राम सेवक यादव--

वहां पर सारी चीजों का अभाव है .....

श्री अध्यक्ष--

वह सब चीजें आ जायेगी।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, बी० टी० सी० प्रशिक्षणार्थियों के अधिकारों का हनन हो रहा है.....

श्री राम सेवक यादव--

वहां पर अकाल की स्थिति हो रही है।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)--

डबल रोटी नहीं मिल रही है.....

आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील में चकबन्दी में हुई अनियमितताओं के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

अब आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील में चकबन्दी में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद मसूद खां, श्री दयाराम भास्कर तथा श्री राम बचन यादव द्वारा नियम ५१ के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य होगा।

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

जिला आजमगढ़ की तहसील फूलपुर के ग्राम नोहरा के सम्बन्ध में धारा ४(२) जोत-चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की विज्ञप्ति २० मई, १९७२ को प्रकाशित की गयी थी और इस ग्राम में चकबन्दी-कार्य का प्रारम्भ जुलाई, १९७२ में हुआ था। १५ जनवरी, १९७४ को इस ग्राम के २१२ निवासियों की ओर से एक शिकायती पत्र मुझे दिया गया जिसमें यह शिकायत की गयी थी कि सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा चक ठीक नहीं बनाये गये हैं

[श्री स्वामी प्रसाद सिंह]

और चक प्रस्तावित करने में सहायक चकबन्दी अधिकारी ने पक्षपातपूर्ण कार्य किया है। इस प्रार्थना पत्र को आवश्यक जांच तथा उचित कार्यवाही के लिये चकबन्दी आयुक्त को भेज दिया गया। चकबन्दी आयुक्त ने २५ जनवरी, १९७४ को प्रार्थना पत्र को, जांच के लिये क्षेत्रीय उप संचालक, चकबन्दी, आजमगढ़ को भेज दिया और अप्रैल, १९७४ में क्षेत्रीय उपसंचालक ने स्थल पर शिकायतों की जांच की और अपनी आख्या ६ मई, १९७४ को चकबन्दी आयुक्त को भेज दी। इसी बीच में २२ अप्रैल, १९७४ को माननीय श्री राम बचन, चकबन्दी आयुक्त से मिले और उन्होंने एक और शिकायती पत्र प्रस्तुत किया। इस शिकायती पत्र के प्राप्त होने पर चकबन्दी आयुक्त ने एक संयुक्त संचालक, चकबन्दी, को शिकायतों की जांच गहराई से करने का आदेश दिया। संयुक्त संचालक ने २१ व २२ मई, १९७४ को इस गांव के अभिलेखों की जांच की और २४ मई, १९७४ को गांव में जा कर स्थल-निरीक्षण किया। इन्होंने अपनी आख्या चकबन्दी आयुक्त को १८ जून, १९७४ को प्रस्तुत की। इसके पूर्व ही माननीय श्री राम बचन ने २९ मई, १९७४ को मुझे तथा १७ जून, १९७४ को मुख्य मंत्री जी को प्रार्थना पत्र, इस गांव की चकबन्दी के सम्बन्ध में, दिये।

२—संयुक्त संचालक, चकबन्दी द्वारा की गयी जांच की आख्या से प्रकट हुआ कि इस गांव के बीच चक बनाने में गंभीर त्रुटियां की गयीं हैं तथा कुछ अनियमितताएं भी की गयीं हैं एवं चक बनाने कार्य पक्षपातरहित तथा निष्ठापूर्वक नहीं किया गया है। इस आख्या के प्राप्त होने पर शासन द्वारा २२ जून, १९७४ को यह आदेश दिया गया कि अनियमित कार्य के लिये दोषी चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी का स्थानान्तरण करके उनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जावे एवं अनियमितताओं को दूर करने के लिये चकबन्दी आयुक्त अपने विवेक के अनुसार चकबन्दी अधिनियम के अधिकारों का प्रयोग करके उपयुक्त आदेश दें। इसके बाद क्षेत्रीय उपसंचालक, चकबन्दी ने काश्तकारों को यह सूचना दिला दी कि वे अपने मूल गाटों पर ही काबिज रहें, यद्यपि इस गांव की चक-अपीलों का निस्तारण १७ अप्रैल, १९७४ को हो चुका था और कब्जा परिवर्तन की वैधानिक कार्यवाही २४ अप्रैल, १९७४ को ही सम्पन्न हो चुकी थी।

३—क्षेत्रीय उपसंचालक, चकबन्दी के उपरोक्त आदेश के पूर्व ही कुछ चकदारों ने नये चकों पर गन्ना, मक्का की फसल बो दी थी। मूल गाटों पर कब्जा प्राप्त करने के प्रयास में ही ८ जुलाई, १९७४ को कुछ व्यक्तियों में झगड़ा भी हुआ, जिसकी रिपोर्ट धारा १४७/३२३/४२६, आई० पी० सी० के अन्तर्गत चौकी दीदारगंज पर अंकित करायी गयी। ऐसे व्यक्तियों की कठिनाई दूर करने के लिये, जो अपने नये चकों पर फसल बो चुके थे, ८ जुलाई, १९७४ को ही काश्तकारों को बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी द्वारा यह सूचना दी गयी कि वे अपने नये चकों पर ही काबिज बने रहें। ९ जुलाई, १९७४ को सब-इंस्पेक्टर, पुलिस, मौके पर तफ्तीश के लिये गये और उस समय उन्हें एक और प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके आधार पर धारा १४७/३२३/४५२, आई० पी० सी० का दूसरा मुकदमा कायम किया गया। इन दोनों मुकदमों के सिलसिले में १५ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और ये मुकदमें जेर तफतीश हैं।

४—इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहां कुछ व्यक्ति अपने नये चकों पर काबिज हैं वहां कुछ अन्य व्यक्तियों ने अपने मूल गाटों को बो लिया है। अधिकांश कब्जे आपसी

समझौते के आधार पर हैं पर कुछ में विवाद भी है। इस गड़बड़ी को दूर करने के लिये जिला मजिस्ट्रेट तथा उप-संचालक, चकबन्दी प्रयत्नशील हैं और वे स्थिति के अनुसार जो भी वैधानिक कार्यवाही आवश्यक होगी, उसे करेंगे।

५——जोत–चकबन्दी–अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न व्यक्तियों के अधिकार आदि सम्बन्धी विवाद तथा चक–प्रदेशन का कार्य न्यायिक रूप से किया जाता है और इन कार्यों में शासन द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता। प्रश्नगत ग्राम में भी उप-संचालक, चकबन्दी ने उनके समक्ष विचाराधीन सभी निगरानियों की सुनवाई गांव में २० जुलाई, १९७४ को की तथा ग्राम के अभिलेखों का भी परीक्षण किया। इसके बाद २१ जुलाई, १९७४ को उन्होंने यह आदेश दिया कि: "इस गांव के चक-निर्माण की कार्यवाही जो अत्यन्त दोषयुक्त है, निरस्त की जाती है तथा इस गांव के चक-निर्माण का कार्य, त्रुटियों को सुधारने हेतु सहायक चकबन्दी अधिकारी स्तर पर प्रत्यावर्तित किया जाता है।' इस प्रकार गांव की जो चकबन्दी योजना पहले बनी थी, अब निरस्त की जा चुकी है और नये सिरे से चकबन्दी योजना पुन: बनायी जायगी।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)——

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने बयान में कहा है पहले पृष्ठ पर आखिरी पैराग्राफ में कि शासन ने इस संबंध में जो अनियमितताएं हुई हैं उन्हें दूर करने के लिये अधिकारी नियुक्त किया और उसके बाद क्षेत्रीय उप संचालक चकबन्दी ने कास्तकारों को आदेश दिया कि वह अपने गाटों पर ही काबिज रहें। यह किस तारीख को उस अधिकारी ने सूचना दी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह——

श्रीमन्, यहां से २१ जुलाई, ७४ को आदेश गया था। अब यह वहां जिस तारीख को आदेश हुआ हो कि वह अपने मूल जोत को जोतेंगे।

श्री राम सेवक यादव——

मान्यवर, पृष्ठ २ पर शुरू में ही यह कहा गया है कि अपीलों का निस्तारण १७ अप्रैल, १९७४ को हो चुका था और कब्जा परिवर्तन की संवैधानिक कार्यवाही २४ अप्रैल, १९७४ को हुई। यह तो बाकायदा अदालती कार्यवाही हो गई। इसके बाद यह जो पुराने अपने चकों पर कब्जा करने की बात कही, यह सम्भव है? क्या यह शासन के आदेशों द्वारा सम्भव हो सकता है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह——

श्रीमन् १७ अप्रैल, १९७४ को इस अपील का निस्तारण हो गया और २४ अप्रैल, १९७४ को इसका कब्जा भी दिया जा चुका है। लेकिन जब जांच कराई गई तो वहां के डी० डी० सी० को अधिकार है कि वह रिमांड कर सके। तो इस अनियमितता के बिना पर डी० डी० सी० कोई कार्यवाही करें और स्वत: उस कार्यवाही को निरस्त कर सकते हैं।

श्री राम सेवक यादव——

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी के बयान में ही है कि २४ अप्रैल को ही लोगों ने वहां पर कब्जा कर लिया और आपके आदेश जाते हैं २२ जुलाई को तो सबसे पहले शासन ने कार्यवाही क्यों नहीं की कि जो लोगों ने नये चकों पर कब्जा किया पहले उनको हटाया जाता तब पुराने चकों पर कब्जा होता, तो कम से कम फौजदारी की घटना से बच गये होते।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, जब चक बंट गये उसके बाद कुछ व्यक्तियों ने शिकायतें कीं। शासन ने वहां पर डी० डी० सी० से जांच करवायी। फिर भी वहां के किसानों को कुछ रोष रहा कि चक ठीक नहीं बटें हैं।

श्री राम सेवक यादव—

माननीय मंत्री जी ने यह ठीक कहा। मेरा प्रश्न तो यह था कि जब यह स्थिति थी और आपने ही अपने बयान में कहा कि फौजदारी हो गयी, २–२ मुकदमें कायम हो गये। पहले लोगों ने कब्जा किया और फिर बदलने का प्रयास हुआ तो जिन लोगों का चकों पर कब्जा हो गया था, उनको कानूनी ढंग से क्यों नहीं हटाया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यहां से जो ज्वाइन्ट डायरेक्टर की जांच हुई, उसमें यह कहा गया कि वहां पर घोर अनियमिततायें हुई हैं, उनको निरस्त होना चाहिये। उस रिपोर्ट में यह नहीं था कि जमीन बो ली गयी है।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यहां जो बंदोबस्त अधिकारी और चकबन्दी अधिकारी एस० ओ० सी० हैं वे कितने वर्षों से हैं और उनके खिलाफ सरकार के पास कितनी दरख्वास्तें आई और उनका स्थानान्तरण कितनी ही बार होने के बावजूद भी, वे वहीं पर डटे हुए हैं। इन्हीं की वजह से वहां पर चकबन्दी में गड़बड़ियां हुई हैं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह प्रश्न दूसरा है। इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री राम बचन (जिला आजमगढ़)—

जब जांच चल रही थी २५ जनवरी से तो सी० ओ० और एस० ओ० सी० ने फैसला क्यों कर दिया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया। जब चक बदल दिये गये तो कुछ शिकायतें आयीं। उन जोतों के पहले कुछ फसल बो ली थी तो आयुक्त के यहां से यह आया कि नयी जमीनों पर जिन्होंने बो ली, उनका निस्तारण हो और उनका नुकसान न हो।

श्री राम बचन—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है २५ जनवरी को आपने चकबन्दी की जांच के लिये भेज दिया। तो जांच के पहले सी० ओ० और एस० ओ० सी० ने क्यों फैसला कर दिया ? यही गड़बड़ी हुई है। मूल पर १३५ आदमियों ने कब्जा कर लिया। केवल ४५ व्यक्तियों ने बड़े बड़े चकों पर कब्जा कर लिया था। तो वे छोटे छोटे किसान कहां पर जायें। वे बे जमीन हो गये हैं। इसलिये वहां पर मारपीट हुई है और फौजदारी के मुकदमें हो रहे हैं। ऐसे ५० छोटे छोटे काश्तकार भूमिहीन हो गये हैं।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

जब एतराजात मौजूद थे, जांच चल रही थी, तो फाइनल कब्जा कैसे दिला दिया गया ? जब सारे झगड़े निपट जाते हैं और गांव में कम से कम ८०–९० प्रतिशत ऐसे चक हो जाते हैं कि उन पर कोई विवाद नहीं रह जाता तब कब्जा दिलाया जाता है दफा ५२ की कार्यवाही होती है लेकिन इसमें डायरेक्टर के यहां जनवरी में शिकायत आई, कि जांच करानी चाहिए तो एस० ओ० सी० और सी० ओ० ने कब्जा क्यों दिलाया, और फौजदारी करा दी, इसकी जिम्मेदारी किस पर आती है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इसमें २ इन्क्वायरीज हुई। एक डी० डी० सी० ने की और एक ज्वाइन्ट डायरेक्टर ने की। जब पहला निस्तारण हो जाता है, निगरानियां हो जाती है तो एस० ओ० सी० या डी० डी० सी० के यहां से कब्जा दिलवा दिया जाता है। वह कार्यवाही वहां के उप–संचालक या जो डी० डी० सी० कहलाते हैं उन्होंने उस जांच में अनियमितताओं को ज्यादा स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने लिखा कि कोई मूलत: गलती नहीं हुई है। इस बात पर उनका निस्तारण और वहां की जो पहली जांच थी उसका एक रुख था, लेकिन फिर जब किसानों ने मेरें यहां दरख्वास्त दी कि यह गलती की है डी०सी०सी० ने तो हाइयेस्ट अथारिटी, ज्वाइन्ट डायरेक्टर को भेजा गया। तो आदेश हुआ कि वहां के डी० डी० सी० ऐसी अनियमितताओं को देखते हुए ऐसा प्रबन्ध करें कि मूल चक लोग जोत सकें और दोबारा चकबन्दी करायी जा सके। जब मूल चकों पर फिर आदेश गये तो किसानों ने कहा कि जो नये चक बने थे उनमें फसल बो ली है। तो दोबारा लोगों का ऐसा इन्तजाम किया जाय कि जिसने फसलें बो ली हैं उनको नुकसान न हो। तो वहां पार्टीबन्दी है। नये चक हों या पुराने हों, झगड़े जो अमूमन इस तरह के गांव में होते हैं वह वहां के किसानों में हैं और यह झगड़े तो होंगे ही।

श्री मुहम्मद मसूद खां (जिला आजमगढ़,—

डिप्टी डायरेक्टर या ज्वाइन्ट डायरेक्टर धारा ४८ में फैसला कर सकते हैं। आपका जो वक्तव्य है उसके मुताबिक २२ जुलाई को फैसला दिया और वह रेगुलर रिवीजन का हुआ। दूसरा मालूम पड़ता है कि १७ अप्रैल का था फैसला और २२ अप्रैल को जो भेजा इंक्वायरी के लिये, दफा ४८ में उसको कर दिया। तो डिप्टी डायरेक्टर ने जब आर्डर कर दिया ४८ में तो जाहिर है कि डिप्टी डायरेक्टर के फैसले के पहले ही एस० ओ० सी० कब्जा दिलाने का अख्तियार नहीं होता और २४ अप्रैल को, १९७४ में कब्जा दिलाने का क्या तरीका है तो २२ जुलाई को जब कि कब्जा दिलाने का अख्तियार नहीं था तो कैसे करा दिया?

दूसरे यह कि कब्जा तो आपने दिला दिया, फैसला भी २२ जुलाई को हो गया कि लोग अपनी-अपनी चकों पर काबिज हो जायं, लेकिन चकन्बदी में कब्जा दिलाया जाता है और निरस्त होता है तो वापस दिलाया जाता है, लेकिन वापसी की कोई कार्यवाही इसमें नजर नहीं आती। तो यह जो खिला है इस पर जाहिर है कि इसकी बुनियाद पर मार-पीट हो सकती है, तो इसको भी जरा क्लैरिफाई कर दें।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, जो यहां से आदेश चकबन्दी आयुक्त के गये उसके मुताबिक यही था कि अपने मूल चक जोतें और उस वक्त तक जो वहां से जांच आयी थी उसमें स्पष्टीकरण नहीं था

[श्री स्वामी प्रसाद सिंह]

कि कुछ लोगों ने अपने चकों पर फसल बो ली है। इसलिये वहां से जो इंक्वायरी आयी, इसका स्पष्टीकरण नहीं था। इसीलिये यह यहां से गया कि वह मूल चक दोबारा चकबन्दी करना आवश्यक है, इसलिये अपने मूल चक जोतें और जो यह शिकायत आयी है, यह रोशन हुआ कि कुछ लोगों ने अपनी फसल बो ली है और कुछ लोगों ने जानबूझकर ऐसा किया है कि निरस्त होने वाले हैं तो फसल बोने के बहाने कब्जा दिखला दें और कुछ ने ईमानदारी से बो ली है, तो यहां से निराकरण हुआ कि ऐसी व्यवस्था कीजिये कि जिनकी फसल सही या गलत बोई हुई है उसको नुकसान न हो, उसकी व्यवस्था चकबन्दी अधिनियम में है कि या तो प्राइस दिलवा दें या बेदखल करके दे दें। तो शासन की तरफ से कोई झगड़ा करवाने की बात कुछ नहीं हुई और न यहां से कोई कांट्रेडिक्टरी आर्डर ही गया।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मैं जानना चाहता हूं कि इस गांव की नये सिरे से चकबन्दी कर दी तो क्या चकबन्दी का खर्चा काश्तकार पर पड़ेगा ?

दूसरे, क्या यह प्रारम्भ से की जायगी, वैलुएशन लगायी जायगी, कैसे होगी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इसका खर्चा किसान पर एक ही मर्तबा पड़ेगा। नया वैलुएशन होकर होगी।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

ज्वाइन्ट डायरेक्टर के जाने से पहले जो डिप्टी डायरेक्टर, एस० ओ० सी०, सी० ओ०, वगैरह ये सब सारे ऐसे काम किये कि गरीबों के चकों को बरबाद कर दिया और उसकी सूचना डिप्टी डायरेक्टर को नहीं की और ज्वाइन्ट डायरेक्टर जब गये थे तो गम्भीर आरोप उनके सामने लगाये गये थे। तो जिन लोगों के खिलाफ गम्भीर आरोप लगाये गये थे उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उनको निलम्बित किया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

ट्रान्सफर तो किया. . . . .

(व्यवधान)

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

किस-किस का. . . . . .

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सी० ओ० का।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

जबरन लोगों ने मान्यवर, कब्जा कर रखा है और गरीबों को, जिनकी जमीन थी, उस जमीन पर कब्जा नहीं मिला है। तो क्या मंत्री जी डिप्टी डायरेक्टर तक के लेविल के लोगों को मुअत्तल करेंगे और उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

अगर जांच में वे दोषी पाये गये तो अवश्य कार्यवाही की जायेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २१ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ,
२४ जुलाई, १९७४ ।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा

नत्थी 'क'

[देखिए नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५ पर]

नाम विकास क्षेत्र	निर्मित नल कूपों की संख्या	निर्मित गूल (मीलों में)	
		कच्ची	पक्की
१—सहजनवां	९	११–६	२–६
२—पाली	८	१२–४	१–०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९ पर]

मथुरा जनपद में सन् १९७० से मार्च ३१, १९७४ तक स्वीकृत सड़कों का विवरण

क्रमांक	मार्ग का नाम	भौतिक प्रगति कि०मी० में ३१ मार्च, १९७४ तक	वित्तीय प्रगति मार्च ३१, १९७४ तक
१	२	३	४
			रुपये
१	राया–सादाबाद ..	मिट्टी–२८, पुलिया–२८, सोलिंग–२५.५ मध्ये सतह.— एकत्रीकरण–२६.६, कुटाई–२०.६; ऊपरी सतह ; एकत्रीकरण—२५.०, कुटाई–१४; प्रथम सतह लेपन—४। ..	१३,५१,२७५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	मार्ग का नाम	भौतिक प्रगति कि० मी० में ३१ मार्च, १९७४ तक	वित्तीय प्रगति ३१ मार्च, १९७४ तक
१	२	३	४
			रुपये
२	मथुरा–सौंख	मिट्टी–२०.७५, पुलिया–१५, सोलिंग–२०.००	८,८९,९०१
		मध्य सतह :	
		एकत्रीकरण—१६, कुटाई—१५;	
		ऊपरी सतह:	
		एकत्रीकरण—९, कुटाई—७;	
		प्रथम सतह लेपन—७	
		द्वितीय सतह लेपन—०	
३	मई–खंदौली	मिट्टी—६.५०, पुलिया—४.५०, सोलिंग—५.७५	२,४८,४३५
		मध्य सतह :	
		एकत्रीकरण—५.५, कुटाई—४.५;	
		ऊपरी सतह :	
		एकत्रीकरण—४.० ।	
४	कौसी—बठैन	.. मिट्टी—३.००, पुलिया—१.००	५८,१८८
५	बरोली—कैलाश	.. मिट्टी—२.८	५३,१८६
६	कौसी–शाहपुर	.. मिट्टी—१	३१,११४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

७	जचौदा—जखनगांव ..	मिट्टी—३.३, पुलिया—१, सोलिंग—२.५ मध्य सतह : एकत्रीकरण—२.५; ऊपरी सतह : एकत्रीकरण—१ ।	१,०७,०३७
८	भांट–जावरा ..	मिट्टी—४.६	५५,२१७
९	रसूलपुर–ओल ..	मिट्टी—१.३, सोलिंग–०.८	५६,१६२
१०	राया–बल्देव–बरौली ..	मिट्टी—२४.१२, पुलिया–२१, सोलिंग—२३.५० मध्य सतह : एकत्रीकरण–२१, कुटाई—९ ; ऊपरी सतह : एकत्रीकरण—१६, कुटाई—१५; प्रथम सतह लेपन—० ।	११,२७,२८५
११	फरह–परखम	प्रथम सतह लेपन–५, परखम बांईपास—१.६ कि०मी० में मिट्टी–१.५, सोलिंग—६, पुलिया—०.६ ।	४,१४,६५०
१२	साख–रसूलपुर ..	मध्य सतह: कुटाई—९.८; ऊपरी सतह : कुटाई—८.०० ; प्रथम लेपन सतह—७.००; द्वितीय सतह लेपन—० ।	६,४५,११३
१३	गोवर्धन—छाता ..	मिट्टी—२३, पुलिया—९, सोलिंग—१८ मध्य सतह :	८,३५,७५०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४
		एकत्रीकरण—१७, कुटाई—७;	रु०
		ऊपरी सतह :	
		एकत्रीकरण—१२, कुटाई—५;	
		प्रथम सतह लेपन—० ।	
१४	कोसी–शेरगढ़ ..	मिट्टी—१६.२५, पुलिया—१२, सोलिंग—१५	७,१४,४९५
		मध्य सतह :	
		एकत्रीकरण—१५, कुटाई—१३.००;	
		ऊपरी सतह :	
		एकत्रीकरण—९, कुटाई—६.७५;	
		प्रथम सतह लेपन—०	
१५	अकबरपुर—टैटीगांव–खैर ..	मिट्टी—१३, पुलिया—११, सोलिंग—११	४,०३,५४०
		मध्य सतह :	
		एकत्रीकरण—१०;	
		ऊपरी सतह :	
		एकत्रीकरण—५।	
१६	अछनेरा–झुन्डावाई ..	मिट्टी—१.८५, पुलिया—०.८५	२९,१७२
१७	मथुरा–सौख मार्ग को राजस्थान सीमा तक।	प्रथम सतह लेपन तक २.९६	२,०८,५२८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५ पर)

यांत्रिक वृति के कार्य के लिये स्वीकृत अधिशासी अभियन्ता या उसके समकक्ष पदों की संख्या				कार्यरत अधिशासी अभियन्ता		रिक्त पद	योग
				यांत्रिक	सिविल		
१				२	३	४	५
१—वर्कशाप	६	..	..	५	..	१	६
२—परियोजनायें	२३	..	..	१७	..	६	२३
३—नलकूप ..	४६	..	..	४१	४	१	४६
४—अन्य यान्त्रिक पद	१०	..	..	९	..	१	१०
५—लिफ्ट इर्रीगेशन	१५	..	..	१०	५	..	१५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३ पर)

प्रस्तावित नहरों के निर्माण हो जाने पर लाभान्वित ग्रामों की सूची

क्रम सं०	नहर का नाम	लाभान्वित ग्राम
१	२	३
१	चन्दरताली माइनर ..	.. वमनी, फरीदपुर, उलहो, मुइली, चन्द्रताली ।
२	मदावल माइनर ..	.. मंदावल, हरदो, सजनी ।
३	रीवा राजवहा ..	.. खजुराल, जमुड़ी, डेढौना, रसूलपुर, मरीना, मदनेपुर, शाहपुर।
४	माईपुर फीडर ..	.. बड़मुइली, चांदपुर, सकलडीहा, माईपुर खुर्द, धसडौली–विथरा।
५	तेंतरिया माइनर ..	.. सिकन्दरपुर, नेवारिया, जमालपुर, मदरा ।
६	वनौली ..	.. डही खर्द बनौली, मनउरपुर पटेटी
७	असरफाबाद ..	.. असरफाबाद, शुमनपुर, मंगलपुर, वालूपुर, रामपुर, रमैया ।
८	खुनका माइनर ..	.. अतरौली खुर्द अतरौली कलां, भुड़बुडा, रानीपुर खुंका, सिलौड़ी, रोहिया ।
९	बरैवा	.. सझौले बरेवा भरेउवा ।
१०	पथरौरा माइनर टेल का विस्तार	.. परसोया, अपौधा, रसूलपुर, अगरसन ।
११	विसुनपर माइनर ..	.. खानजादीपुर, चौकिया, बिसुनपुर, जरहा, जमुहार ।
१२	सरइया माइनर ..	.. वैरमपुर, सेरवा, सरीघाल ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१३	फरेहवा माइनर	..	फरेहवा, बखाकपुर, मूजडीह, घाटमपुर ।
१४	लेभरो माइनर	..	लेझरी कलां, आराजी लेकरी, रजौले, फरहवा, बरक्कपुर ।
१५	रुकूमपुर माइनर टेल का विस्तार	..	रुकूनपुर, देवनाथपुर, कोलना ।
१६	कोलनापुर माइनर टेल का विस्तार	..	कोलना, सिकारपुर।
१७	जमुहार माइनर	..	जमुहार, विशुनपुर ।
१८	घरवासपुर माइनर टेल का विस्तार	..	घरवासपर, भरुहिया ।
१९	दयालपुर माइनर टेल का विस्तार	..	कैलथ, शिवराजपुर, मुहम्मदपुर ।
२०	भरुहिया माइनर	..	भरुहिया, लगला ।
२१	नौकुन्डी माइनर टेल का विस्तार	..	वियापुर, धासीपुर ।
२२	वेलवा माइनर टेल का विस्तार	..	भगवति ।
२३	खुटहा माइनर	..	खुटहा ।
२४	नीवी माइनर टेल का विस्तार	..	पचेगड़ा ।
२५	हटिया माइनर	..	कन्हईपुर, मोहरपुर, मुहददीपुर, हटिया ।
२६	सोनपुर माइनर	..	अहिलपुर, सोनपुर, सरिया ।
२७	मदापुर माइनर	..	मदापुर ।
२८	पटिहटा माइनर टेल का विस्तार	..	रामपुर ढबही ।
२९	शेरवा माइनर	..	वैरमपुर , सरियां, शेरवा ।
३०	जफरखानी माइनर टेल का विस्तार	..	बिगौरा कलां, शेरवा ।
३१	मनई माइनर	..	मनई ।
३२	शेरवा माइनर टेल का विस्तार	..	गौरी, चौबेपुर ।
३३	मुड़हुवा माइनर	..	मुड़हुआपुरा, वालम, हसौली ।
३४	मित्की माइनर	..	मित्की, पथरौरिया, चिलविलिया, माईपुर ।
३५	गुलौरी माइनर	..	ममौस, देवकली, ग्लोरी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३
३६	चौकिया टेल का विस्तार ..	.. चरगोड़वां, गेगहरा, मिनकी ।
३७	भड़ेवल माइनर ..	.. रघुनाथपर, रुकुनपुर ।
३८	लेढ़वा माइनर ..	.. मुड़हुआ लोढ़वा, सिरौला ।
३९	रघुनाथपुर माइनर ..	.. रघुनाथपुर ।
४०	धुरिया माइनर टेल का विस्तार	.. जिगना ।
४१	सिकन्दरपुर माइनर टेल का विस्तार	.. मंदरा ।
४२	धारा माइनर ..	.. धारा ।
४३	इमिलिया माइनर ..	.. इमिलिया कलां, इमिलिया खुर्द ।
४४	दौलताबाद माइनर ..	.. डोहरी, सुरहा, गयासपुर, दौलताबाद ।
४५	ककरही माइनर टेल का विस्तार	.. ककरही ।
४६	मेरेहटा माइनर ..	.. वरेवा, मरेहटा ।

प्रेस सूचना विधान सभा

प्रस्तावित नहरों का विवरणकिस ग्राम से किस ग्राम तक

क्रमांक	नाम नहर	ग्राम से (हेड से)	ग्राम तक (टेल तक)
१	२	३	४
१	चन्द्र ताली माइनर	फरीदपूर	मुइला
२	भदावल माइनर	भदावल	सजनी
३	रीवा रजबहा	खजराल	शाहपुर
४	मईपुर फीडर	वडमुहली	विथरा
५	तैतरिया माइनर	सिकन्दरपुर	मदरा
६	वनौली माइनर	ढुहीखुर्द	वनौली
७	असरफाबाद माइनर	समनपुर	रगौधा
८	खुनका माइनर	मुडकुडा	रोहीया
९	वरेवा माइनर	सजवली	मरेवा
१०	पथरौरा माइनर टेल का विस्तार	अगरसन	परसाया
११	विसनपुर माइनर	पानखानजादीपुर	जमौहार
१२	सरैया माइनर	वैरमपुर	सरइयाल
१३	फरेहवा माइनर	फरेहवा	बरवकपुर
१४	लेझरा माइनर	लेझरी कलां	बरकपुर
१५	रुकुनपुर माइनर टेल का विस्तार	रुकुनपुर	वालना
१६	कोलना माइनर टेल का विस्तार	कोलना	सिकारपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	नाम नहर	ग्राम से (हेड से)	ग्राम तक (टेल तक)
1	2	3	4
17	जमुहार माइनर	जमुहार	विशुनपुर
18	धरवासपुर माइनर टेल का विस्तार	धरवासपुर	भराइया
19	दयालपुर माइनर टेल का विस्तार	केलहट	शिवराजपुर
20	भरुहुया	भरुहीया	तंगला
21	नौकुन्डी माइनर टेल का विस्तार	पचेगढ़ा	पचेगढ़ा
22	वेलवा माइनर टेल का विस्तार	भगवती देई	भगवती देई
23	खुटहा माइनर	खुटहा	खुटहा
24	नीवीं माइनर टेल का विस्तार	पचेगढ़ा	प चेगढ़ा
25	हटिया माइनर	कन्हईपुर	हटिया
26	सोनपुर माइनर	सोनपुर	सरीया
27	मदापुर माइनर	मदापुर	मदापुर
28	पटीहटा माइनर टेल का विस्तार	रामपुर ढवई	रामपुर ढवई
29	सेरवा माइनर	वैरमपुर	सरीया
30	जफरखानी माइनर टेल का विस्तार	सेरवां	विसौरा
31	मनई माइनर	मनई	मनई
32	सेरवां माइनर टेल का विस्तार	गोरा	चौबेपुर
33	मुड्हुवां माइनर	मुड़हुवा	हसौला
34	मित्की माइनर	पकसीरया	सरैंया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

३५	गुलौरा माइनर ..	.. थमौरा .	.. गुलौरा
३६	लेढवा माइनर ..	.. मुडुवा ..	.. लेढ़वा
३७	चोकिया टेल का विस्तार	.. मिस्पू .	.. चरवेढवा
३८	मढेवल माइनर	.. ओइनवा ..	.. भड़ेवल
३९	रघुनाथपुर माइनर	.. रघुनाथपुर ..	.. रघुनाथपुर
४०	घुरियामाइनर टेलका विस्तार	.. जिगना ..	.. जिगना
४१	सिकन्दरपुर माइनर टेल का विस्तार	मदरा ..	.. मदरा
४२	धारा माइनर	.. धारा ..	.. धारा
४३	इमिलिया माइनर	.. इमिलिया कलांई	.. इमिलिया खुर्द
४४	दौलताबाद माइनर	.. परादवासी ..	.. दौलताबाद
४५	ककरही टेल का विस्तार	.. ककरही ..	.. ककरही
४६	मरेहटा माइनर	.. वरेवा ..	.. भरेखा

विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३ पर)

जनपद गोरखपुर व बस्ती में कुआनो पम्प नहर व बखीरा पम्प नहर (द्वितीय तथा प्रथम) द्वारा गत तीन वर्षों में हुई सिंचाई का विवरण

वर्ष	कुआनो पम्प नहर	बखीरा पम्प नहर (द्वितीय)	बखीरा (प्रथम)
१	२	३	४
	एकड़	एकड़	
१९७१–७२	९६६३	२२३२	३६३१
१९७२–७३	३५४७	२०९०	२५०६
१९७३–७४	५९१९	२१७९	२१११

पी० एस० यू० पी०—एल० २६० वि० सभा—(१२२३)—१९७४—८३५ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा